

जीएसटी से छूट




अध्याय में उल्लिखित खंडएँ, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से संबंधित हैं। अध्याय में दिए गए उदाहरण/व्याख्याएँ/प्रश्न एवं उत्तर, 30.04.2025 की स्थिति के अनुसार विद्यमान जीएसटी कानून पर आधारित हैं।

अगधिम पररणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात्, आप सक्षम होंगे –

- ❑ केंद्र सरकार को सीजीएसटी/आईजीएसटी से छूट प्रदान करने की शक्ति का वर्णन करना।
- ❑ जीएसटी से मुक्त वस्तुओं का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करना।
- ❑ जीएसटी से मुक्त विभिन्न सेवाओं की पहचान करना एवं उनका विश्लेषण करना।

अध्याय का अवलोकन



1. परिचय

जब किसी वस्तु और/या सेवा की आपूर्ति चार्जिंग खंड के अंतर्गत आती है, तो उस आपूर्ति पर जीएसटी लगाने योग्य होता है। हालांकि, कर भुगतान की देयता निर्धारित करने के लिए यह और भी जाँचना आवश्यक है कि क्या ऐसी वस्तु और/या सेवा की आपूर्ति कर से मुक्त है।

छूट प्राप्त आपूर्ति को किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर कर की दर शून्य हो

या जो पूरी तरह कर से मुक्त हो, और इसमें गैर-करयोग्य आपूर्ति भी शामिल है [भाग 2(47)]।


गैर-करयोग्य आपूर्ति का अर्थ है ऐसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति जिस पर सीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत **कर नहीं लगता** है [भाग 2(78)]। अतः जीएसटी के तहत, कर न लगने वाली आपूर्ति भी 'छूट प्राप्त आपूर्ति' की श्रेणी में आती है।




कर लगने योग्य न होने वाली आपूर्ति में मानव उपयोग के लिए मदिरा, निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन शामिल हैं।

जीएसटी से छूट प्रदान करने की शक्ति सीजीएसटी अधिनियम की भाग 11 और आईजीएसटी अधिनियम की भाग 6 के माध्यम से प्रदान की गई है। राज्य जीएसटी कानूनों में भी समान प्रावधान हैं जो एसजीएसटी से छूट प्रदान करने की शक्ति देते हैं। **जीएसटी के तहत, आवश्यक वस्तुएँ/सेवाएँ, अर्थात् सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएँ/सेवाएँ, को छूट प्रदान की गई है।** खुले अनाज, दूध, अंडे, दही, लस्सी और ताजी सब्जियाँ जैसी वस्तुएँ जीएसटी से मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, शैक्षिक सेवाएँ आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को भी छूट प्रदान की गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी के तहत छूट किसी भी निम्नलिखित प्रकार से प्रदान की जा सकती है।:


<p>(क)</p>	<p>निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन को छूट</p> <p>कभी-कभी, छूट निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन के संबंध में प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप, आपूर्ति करने वाले या प्राप्तकर्ता की स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है।</p>  <p>(1) चल रही इकाई की आपूर्ति के रूप में सेवाएँ, चाहे पूरी इकाई हो या उसका स्वतंत्र भाग।</p> <p>(2) चल रही चावल के लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या गोदाम की सेवाएँ।</p>
<p>(ख)</p>	<p>निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं को छूट</p> <p>कभी-कभी छूट केवल निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं को ही प्रदान की जाती है। इस स्थिति में, प्राप्तकर्ता की स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है।</p> <p>(3) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जहाँ ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त मूल्य ₹5,000 से अधिक न हो।</p> <p>(4) आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के अंतर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा दानात्मक गतिविधियों के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
<p>(ग)</p>	<p>निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं को छूट</p> <p>कुछ मामलों में, छूट केवल निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाती है। यहाँ पर प्रदाता की स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है।</p>

	 <p>(6) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र को किसी भी बीमा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल प्रीमियम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भुगतान किया गया हो।</p> <p>(7). केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल व्यय का 75% या उससे अधिक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया गया हो।</p>
(घ)	<p>निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं और निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं को छूट</p> <p>कभी-कभी छूट केवल तब दी जाती है जब गतिविधियाँ या लेन-देन केवल निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं के लिए की जाती हैं।</p> <p>(8) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आते हैं।</p> <p>राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्राप्त मूल्य के बदले प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>

इस अध्याय में, हम सीजीएसटी अधिनियम/आईजीएसटी अधिनियम के तहत कर से छूट प्रदान करने की शक्ति, जीएसटी से मुक्त सेवाओं की सूची का विस्तृत विवरण और कर से मुक्त वस्तुओं का अवलोकन चर्चा करेंगे।



2. कर से छूट प्रदान करने की शक्ति [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 11 / आईजीएसटी अधिनियम की भाग 6]

 <h3>कानूनी प्रावधान</h3>	
भाग 11	कर से छूट प्रदान करने की शक्ति
उप- भाग	<i>विवरण</i>
(1)	जब सरकार यह संतुष्ट हो जाती है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह परिषद की सिफारिश पर ऐसा कर सकती है।

	<p>अधिसूचना द्वारा, सामान्यतः किसी भी निर्दिष्ट विवरण की वस्तु या सेवा या दोनों को पूरी तरह या कुछ शर्तों के अधीन, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उस पर लगाए जाने वाले कर के पूरे या किसी भाग से छूट प्रदान कर सकती है, और ऐसा प्रभावी तिथि से किया जाएगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट होगा।</p>
(2)	<p>जहाँ सरकार यह संतुष्ट हो कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है, वह परिषद की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे असाधारण परिस्थितियों के तहत जिन्हें आदेश में स्पष्ट किया जाएगा, किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों को, जिस पर कर लगाया जाता है, कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।</p>
(3)	<p>सरकार, यदि वह उप- भाग (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उप-खंड (2) के अधीन जारी किसी आदेश की प्रयोज्यता या क्षेत्र को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त समझे, तो वह ऐसी अधिसूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, में स्पष्टीकरण को अधिसूचना द्वारा सम्मिलित कर सकती है, बशर्ते कि उप- भाग (1) के अधीन अधिसूचना या उप- भाग (2) के अधीन आदेश के जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा किया जाए; तथा ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण ऐसा माना जाएगा मानो वह प्रारंभ से ही ऐसी अधिसूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, का भाग रहा हो।</p>
<p>व्याख्या — इस भाग के प्रयोजनों के लिए, जहाँ किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के पूरे या किसी भाग पर लगाए जाने वाले कर से छूट पूरी तरह प्रदान की गई हो, वहाँ ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति प्रभावी दर से अधिक कर वसूल नहीं करेगा।</p>	



विश्लेषण

- (i) **कर भुगतान से छूट** : जीएसटी कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, जैसा प्रासंगिक हो, कर से छूट प्रदान करने का अधिकार देता है। यह छूट जीएसटी परिषद की सिफारिश पर प्रदान की जाती है।

छूट पूरे कर या कर के किसी भाग से दी जा सकती है। इसे सार्वजनिक हित में प्रदान किया जाना चाहिए।

मुक्ति कर की संपूर्ण राशि से या कर के किसी भाग से दी जा सकती है।

मुक्ति अधिसूचना द्वारा या विशेष आदेश द्वारा प्रदान की जा सकती है।

किसी भी निर्दिष्ट विवरण की वस्तु या सेवा या दोनों को अधिसूचना जारी करके छूट प्रदान की जा सकती है, या तो पूरी तरह से [अर्थात् बिना शर्त छूट; छूट किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं है] या शर्तों के अधीन [अर्थात् छूट निर्दिष्ट शर्तों पर निर्भर है]। असाधारण परिस्थितियों में विशेष आदेश के माध्यम से भी छूट प्रदान की जा सकती है।

पूर्ण/निर्विवाद छूट अनिवार्य प्रकृति की होती है। जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को बिना किसी शर्त के पूरे कर से मुक्त किया गया है, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर एकत्र करने और चुकाने का विकल्प नहीं होता।


निःशर्त मुक्ति अनिवार्य होती है।


जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को बिना किसी शर्त के कर के किसी भाग से मुक्त किया गया है, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर एकत्र करने और चुकाने का विकल्प नहीं होता।

हालाँकि, जहाँ छूट शर्तीय होती है, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति के पास यह विकल्प होता है कि वह ऐसी छूट का लाभ ले या नहीं।

शर्तों के साथ दी गई मुक्ति वैकल्पिक होती है।

उपरोक्त प्रावधानों को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से समझाया गया है:





- (ii) किसी भी अधिसूचना/आदेश की सीमा या लागू होने की स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से, अधिसूचना/आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर शामिल की गई व्याख्या, पूर्ववर्ती प्रभाव के लिए: जहाँ भी सरकार महसूस करती है कि इस खंड के तहत जारी किसी भी अधिसूचना/आदेश की सीमा या लागू होने की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह उक्त अधिसूचना/आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर व्याख्या जारी कर सकती है। ऐसी व्याख्या का प्रभाव ऐसा होगा जैसे यह पहली बार उस अधिसूचना/आदेश के जारी होने पर ही मौजूद थी, अर्थात् यह व्याख्या पूर्ववर्ती रूप से प्रभावी होगी।

यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि किसी अधिसूचना में किसी विशेष प्रविष्टि के लिए जो व्याख्या जोड़ी गई है, वह अधिसूचना में उस प्रविष्टि के आरंभ से प्रभावी है, न कि उस तिथि से जब अधिसूचना (जिसमें उक्त व्याख्या जोड़ी गई) प्रभावी होती है।



(10) प्रमुख अधिसूचना संख्या 11/2017 सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017¹ 01.07.2017 से प्रभावी हुई। इसके बाद, एक नई प्रविष्टि - प्रविष्टि संख्या 3(vi) 21.09.2017 से जोड़ी गई। इसके पश्चात,

प्रविष्टि संख्या 3(vi) के संबंध में भी 26.07.2018 को अधिसूचना जारी करके एक व्याख्या जोड़ी गई [अर्थात् प्रविष्टि 3(vi) को जोड़े जाने के एक वर्ष के भीतर]।

¹ यह अधिसूचना विभिन्न सेवाओं पर लागू कर की दर को अधिसूचित करती है।

हालाँकि उस अधिसूचना में उल्लिखित प्रभावी तिथि, जिसने उक्त व्याख्या जोड़ी थी, 27.07.2018 थी, फिर भी वह व्याख्या अधिसूचना में प्रविष्टि 3(vi) की शुरुआत से प्रभावी होगी, अर्थात् 21.09.2017 से, न कि 27.07.2018 से।

परिपत्र संख्या 120/39/2019 जीएसटी दिनांक 11.10.2019]]



आईजीएसटी अधिनियम की धारा 6 के तहत भी आईजीएसटी से छूट प्रदान करने की शक्ति देने वाले समान प्रावधान किए गए हैं।



3. कर से मुक्त वस्तुएँ

जीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 11(1)/आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 6(1) के तहत वस्तुओं की एक सूची अधिसूचित की गई है। इन वस्तुओं को पूरे कर से मुक्त किया गया है। जीएसटी के तहत, आम आदमी द्वारा रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को छूट दी गई वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। जैसे कि बिना ब्रांड वाला आटा/मैदा/बेसन, अनपैकड अनाज, दूध, अंडे, दही, लस्सी और ताज़ी सब्जियाँ जीएसटी से मुक्त वस्तुओं में शामिल हैं। कर से मुक्त कुछ वस्तुओं के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं²:



		
जीवित मछली (0301)	ताज़ा दूध (0401)	आलू (0701)
		
अंगूर(0806)	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (63)	प्लास्टिक की चूड़ियाँ (3926)

² छात्र ज्ञान के उद्देश्य से, सीबीआईसी की वेबसाइट— www.cbic.gov.in पर जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की पूरी सूची देख सकते हैं।



4. कर से मुक्त सेवाओं की सूची

I. सीजीएसटी और आईजीएसटी से मुक्त विशिष्ट सेवाएँ

अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017³ (जिसे आगे 'अधिसूचना' कहा जाएगा), जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ने विभिन्न सेवाओं को सीजीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। छूट अधिसूचना की प्रत्येक प्रविष्टि का विवरण नीचे दिया गया है:

1. धार्मिक और चैरिटेबल गतिविधियों से संबंधित सेवाएँ

प्रविष्टि संख्या ⁴	सेवाओं का विवरण
1	आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12ए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा चैरिटेबल गतिविधियों के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
13	<p>व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ-</p> <p>क) किसी धार्मिक अनुष्ठान का संचालन;</p> <p>ख) किसी धार्मिक स्थल के परिसर का किराया लेना, जो सामान्य जनता के लिए है, यदि वह परिसर आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12ए या 12एबी के तहत पंजीकृत चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट के स्वामित्व में हो या उसका प्रबंधन उसी द्वारा किया जाता हो, या भाग 10(23सी)(v) के तहत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन में हो, या उक्त आयकर अधिनियम की भाग 10(23बीबीए) के अंतर्गत आने वाले किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व/प्रबंधन किया जाता हो।</p> <p>हालाँकि, इस छूट की प्रविष्टि (ख) में शामिल कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा-</p> <p>(i) उन कमरों का किराया लेना जहाँ शुल्क प्रतिदिन ₹1,000 या उससे अधिक हो;</p> <p>(ii) भवन, सामुदायिक हॉल, कल्याण मंडप का किराया लेना;</p>

³ विभिन्न सेवाओं को अधिसूचना संख्या 9/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के माध्यम से आईजीएसटी से छूट प्रदान की गई है। सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी से छूट प्राप्त सभी सेवाओं को आईजीएसटी से भी छूट दी गई है। इनके अलावा, कुछ अतिरिक्त सेवाएँ हैं जिन्हें केवल आईजीएसटी कानून के तहत छूट दी गई है। ऐसी सेवाओं पर फाइनेल लेवल पर चर्चा की जाएगी।

⁴ यहाँ उल्लिखित प्रविष्टि संख्याएँ अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टियों के अनुरूप हैं। हालाँकि, ये प्रविष्टि संख्याएँ केवल संदर्भ के उद्देश्य से दी गई हैं और परीक्षा की दृष्टि से सुसंगत नहीं हैं।

	या खुले क्षेत्र, आदि का किराया लेना जहाँ शुल्क प्रतिदिन ₹10,000 या उससे अधिक हो; (iii) वाणिज्य या व्यापार के लिए दुकानों या अन्य स्थानों का किराया लेना जहाँ शुल्क प्रति माह ₹10,000 या उससे अधिक हो।
60	सर्विसेज किसी निर्दिष्ट संगठन द्वारा, धार्मिक तीर्थ यात्रा के संबंध में, जो भारत सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौते के तहत सुविधा प्रदान की गई हो।
80	प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ- (क) किसी व्यक्ति द्वारा कला या संस्कृति से संबंधित मनोरंजन गतिविधियाँ, या (ख) खेल, जो आयकर अधिनियम की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं।”



विश्लेषण

क, चैरिटेबल/धार्मिक ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

प्रविष्टि 1 उन सेवाओं को मुक्त करती है जो आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा चैरिटेबल गतिविधियों के रूप में प्रदान की जाती हैं। अतः प्रविष्टि 1 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:-

- संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत हो, और
- संस्था को एक या अधिक निर्दिष्ट चैरिटेबल गतिविधियों का संचालन करना अनिवार्य है।

आगे बढ़ने से पहले, हमें पहले 'चैरिटेबल गतिविधियों' शब्द का अर्थ समझना चाहिए। '**चैरिटेबल गतिविधियों**' का अर्थ उन गतिविधियों से है जो निम्नलिखित से संबंधित हैं-

- सार्वजनिक स्वास्थ्य** के क्षेत्र में, निम्नलिखित के रूप में -

(क) देखभाल या परामर्श

- टर्मिनली बीमार व्यक्ति या गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति;
- एचआईवी या एड्स से प्रभावित व्यक्ति;



- (III) नशीली दवाओं या शराब जैसी निर्भरता उत्पन्न करने वाली वस्तु की लत वाले व्यक्ति;
या
- (ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता;;
- (ii) धर्म, आध्यात्मिकता या योग का विकास;
- (iii) शैक्षिक कार्यक्रमों/कौशल विकास का विकास, जो निम्नलिखित से संबंधित हों,-
- (क) परित्यक्त, अनाथ या बेघर बच्चे;
- (ख) शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित और मानसिक आघातग्रस्त व्यक्ति;
- (ग) कैदी; या
- (घ) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;
- (iv) पर्यावरण का संरक्षण, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र, वन और वन्यजीवन शामिल हैं। अतः केवल वही सेवाएँ जो चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्टों [आयकर अधिनियम की भाग 12 एए या 12 एबी के तहत पंजीकृत] द्वारा प्रदान की जाती हैं और जो उपरोक्त चैरिटेबल गतिविधियों की परिभाषा में आती हैं, जीएसटी से मुक्त होने के लिए पात्र हैं। ऐसी कई अन्य सेवाएँ जो इन ट्रस्टों द्वारा प्रदान की जाती हैं, चैरिटेबल गतिविधियों की परिभाषा में शामिल नहीं हैं और इसलिए उन सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को चैरिटेबल/धार्मिक ट्रस्ट के परिसर में या ट्रस्ट की प्रकाशनों में प्रचार के लिए विज्ञापन अधिकार देना, या कार्यक्रमों, समारोहों, शो में प्रवेश टिकट या शुल्क के बदले प्रवेश देना, आदि पर जीएसटी लागू होगा।

अगले अनुच्छेदों में, हमने आयकर अधिनियम की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं का विश्लेषण किया है:

चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन

परित्यक्त, अनाथ, बेघर बच्चों, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित व्यक्तियों, कैदियों, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शिक्षा या कौशल विकास के माध्यम से शिक्षित करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य शैक्षिक संस्थाओं की गतिविधियाँ चैरिटेबल गतिविधियों के रूप में मानी जाएँगी और ऐसी आपूर्ति से होने वाली आय पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त होगी।

ग्रामीण क्षेत्र शब्द का अर्थ उस क्षेत्र से है जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गाँव के रूप में परिभाषित हो, जिसमें किसी भी नगर पालिका समिति, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति का क्षेत्र शामिल नहीं हो; या कोई भी क्षेत्र जिसे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।



(11) शिक्षा अकादमी, एक शैक्षिक संस्थान जो सर्वसेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित है,

एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो आयकर अधिनियम की भाग 12एबी के तहत पंजीकृत है,

ने बेंगलुरु शहर (एक शहरी क्षेत्र) में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। शिक्षा अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ 'चैरिटेबल गतिविधियों' के दायरे में नहीं आती हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के कौशल विकास से संबंधित गतिविधियाँ केवल तभी 'चैरिटेबल गतिविधियों' की परिभाषा में आती हैं जब ऐसे व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों।

किसी स्कूल, कॉलेज या संस्था की गतिविधियाँ जो एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं और जो चैरिटेबल गतिविधियों के दायरे में नहीं आती, उन्हें प्रविष्टि 1 के तहत छूट प्राप्त नहीं होगी। हालांकि, ऐसी गतिविधियाँ प्रविष्टि 66 [इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई] के तहत छूट प्राप्त कर सकती हैं, यदि स्कूल, कॉलेज या संस्था 'शैक्षिक संस्था' के रूप में योग्य हो।

ट्रस्टों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रावास आवास सुविधा

ट्रस्टों द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रावास आवास सेवाएँ ऊपर परिभाषित चैरिटेबल गतिविधियों के दायरे में नहीं आती हैं।

धार्मिक यात्राएँ या तीर्थयात्राएँ

किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा आयोजित धार्मिक यात्राएँ/तीर्थयात्राएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं।

ऐसी धार्मिक तीर्थयात्रा की सेवाएँ जो किसी निर्दिष्ट संगठन द्वारा भारत सरकार (जीओएल) के माध्यम से द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत आयोजित धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में प्रदान की जाती हैं, जीएसटी से मुक्त हैं। [ऊपर की तालिका में प्रविष्टि 60 देखें]। यहाँ उल्लिखित 'निर्दिष्ट संगठन' का अर्थ है-

- कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएन), उत्तराखंड सरकार का उपक्रम; या
- हज कमेटी ऑफ इंडिया' या 'राज्य हज कमेटी जिसमें संयुक्त राज्य कमेटी शामिल हो.



संक्षेप में, प्रविष्टि 60 के अनुसार, हज कमेटी और केएमवीएन द्वारा क्रमशः मक्का और कैलाश-मानसरोवर की तीर्थयात्रा से संबंधित प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं होता है।



(12) केएमवीएन तीर्थयात्रियों को कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा के दौरान कई सेवाएँ प्रदान करता जैसे चिकित्सा सुविधाएँ, कैटरिंग सेवाएँ, सुरक्षा, आवासीय सेवाएँ आदि। कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा के संबंध में केएमवीएन द्वारा प्रदान की जाने वाली ये सेवाएँ प्रविष्टि 60 के अंतर्गत आती हैं और इसलिए जीएसटी से मुक्त हैं।

चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा योग और ध्यान शिविर का आयोजन

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12ए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा धर्म, आध्यात्मिकता या योग के विकास के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ चैरिटेबल गतिविधियों की परिभाषा में शामिल हैं।



धर्म, आध्यात्मिकता या योग के विकास के लिए आयोजित धार्मिक, योग या ध्यान कार्यक्रम या शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से किसी अन्य रूप में लिया गया शुल्क या पारिश्रमिक भी जीएसटी से मुक्त होगा।

ऐसे आवासीय कार्यक्रम या शिविर, जहाँ लिया गया शुल्क आवास और भोजन की लागत शामिल करता हो, भी जीएसटी से मुक्त होंगे, जब तक कि ऐसे आवासीय कार्यक्रम या शिविर की मुख्य और प्रधान गतिविधि, उद्देश्य और उद्देश्य धर्म, आध्यात्मिकता या योग के विकास से संबंधित हो।



हालाँकि, यदि चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट केवल या मुख्य रूप से आवास प्रदान करते हैं या किसी भी रूप में शुल्क सहित (दान सहित) भोजन और पेय सामग्री परोसते हैं, तो ऐसी गतिविधियाँ कर योग्य होंगी। इसी प्रकार, फिटनेस कैंप या एरोबिक्स, डांस, संगीत आदि जैसी कक्षाएँ आयोजित करना भी कर योग्य होगा।⁵



(13) भव्यज्योति फाउंडेशन, आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एबी के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट, ने बुजुर्ग लोगों के लिए 'योग ध्यान शिविर' आयोजित किया है। चूंकि आयकर अधिनियम की खंड 12एबी के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा धर्म आध्यात्मिकता या योग के विकास के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं, इसलिए इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

⁵ परिपत्र संख्या 66/40/2018 जीएसटी दिनांक 26.09.2018

चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा संचालित अस्पताल

प्रविष्टि 74 [इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई] के तहत स्वास्थ्य सेवा पर उपलब्ध छूट, किसी धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित क्लिनिकल संस्थान, अधिकृत चिकित्सक या पैरा-मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लागू होती है।

कला, संस्कृति या खेल में प्रशिक्षण या कोचिंग

प्रविष्टि 80 के अनुसार, निम्नलिखित में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ –

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कला या संस्कृति से संबंधित मनोरंजक गतिविधियाँ; या

(ख) आयकर अधिनियम की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली खेल संबंधी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कला या संस्कृति से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर छूट केवल तभी उपलब्ध है जब यह सेवाएँ किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाएँ। इसी प्रकार, खेल में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ केवल तभी जीएसटी से मुक्त होंगी जब ऐसी सेवाएँ आयकर अधिनियम की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत चैरिटेबल संस्था द्वारा प्रदान की जाएँ।



अब हम 'मनोरंजक गतिविधियाँ' शब्द का विश्लेषण करते हैं। मनोरंजक गतिविधियों की परिभाषा बहुत व्यापक है।



हालाँकि, इस प्रविष्टि के तहत, मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग का दायरा केवल कला और संस्कृति तक सीमित है। इसलिए, कला या संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित नहीं होने वाली मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग इस प्रविष्टि के दायरे में नहीं आती है।

इसके अलावा, कला, संस्कृति या खेल के सभी प्रकारों में प्रशिक्षण या कोचिंग इस प्रविष्टि के अंतर्गत शामिल है, जैसे किसी भी स्कूल, परंपरा या भाषा से संबंधित नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्यिक गतिविधियाँ, रंगमंच आदि, या किसी भी प्रकार के खेल।



(14) मानवता संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की भाग 12एबी के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने किशोरों के लिए 'बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर' आयोजित किया है। चूंकि आयकर अधिनियम की भाग 12एबी के तहत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा खेलों में प्रशिक्षण या कोचिंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं, इसलिए इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

चैरिटेबल ट्रस्टों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर

चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्टों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटीके दायरे से बाहर नहीं हैं। जब तक विशेष रूप से छूट प्रदान न की गई हो, चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्टों को आपूर्ति किए जाने वाले सभी वस्तु और सेवाएँ जीएसटी के अधीन हैं।


ख. किसी धार्मिक समारोह का आयोजन

प्रविष्टि 13(क) के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी धार्मिक समारोह के आयोजन के लिए लिया गया राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जीएसटी से मुक्त है। धार्मिक समारोह जीवन-चक्र संबंधी अनुष्ठान होते हैं, जिनमें विशेष धार्मिक पूजाएँ शामिल होती हैं, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे उक्त धार्मिक ग्रंथ द्वारा अधिकृत किया गया हो। जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे अवसरों पर विस्तृत धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं।



(15) रामानंद जोशी, एक पुजारी, घनश्याम के पुत्र के जन्मदिन पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए ₹12,000 शुल्क लेते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के संपादन के लिए लिया गया शुल्क जीएसटी से मुक्त है।

ग. सामान्य जनता के लिए निर्धारित धार्मिक स्थल के प्रांगण का किराया

- ❑ **प्रविष्टि 13(ख)** सामान्य जनता के लिए निर्धारित धार्मिक स्थल के प्रांगण के किराये को छूट देती है, यदि वह स्थल आयकर अधिनियम की किसी निर्दिष्ट खंड के तहत पंजीकृत संस्था के स्वामित्व में हो और ऐसे किराये के लिए लिया गया शुल्क निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो। इसलिए, यह छूट इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि ऐसे किराये के लिए कितना शुल्क लिया गया है। आइए यहाँ प्रयुक्त 'धार्मिक स्थल', 'सामान्य जनता' और 'प्रांगण' शब्दों का अर्थ समझें। 
- ❑ **धार्मिक स्थल** का अर्थ है ऐसा स्थल जो मुख्य रूप से किसी धर्म से संबंधित प्रार्थना या पूजा, ध्यान, या आध्यात्मिकता के आयोजन के लिए निर्धारित हो।
- ❑ **सामान्य जनता** का अर्थ है बड़ी संख्या में लोग, जिन्हें किसी सामान्य या निष्पक्ष सार्वजनिक गुण द्वारा पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जा सके।
- ❑ **'प्रांगण'** शब्द की व्याख्या सीमित रूप में नहीं की जानी चाहिए और धार्मिक स्थल के परिसर (भवनों और सुविधाओं सहित) की बाहरी सीमा की दीवारों के भीतर स्थित सभी अचल संपत्ति को

धार्मिक स्थल के प्रांगण में स्थित माना जाएगा। धार्मिक स्थल के निकटतम क्षेत्र और आसपास स्थित अचल संपत्ति, जो धार्मिक स्थल की संपत्ति हो या उसी प्रबंधन के अंतर्गत हो, को धार्मिक स्थल के प्रांगण में स्थित माना जा सकता है और ऊपर दी गई छूट का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

- धार्मिक समारोह के आयोजन और धार्मिक स्थल के प्रांगण के किराये के अलावा अन्य गतिविधियाँ, चाहे शुल्क किसी भी रूप या नाम में प्राप्त किया जाए, कर योग्य होंगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी दाता और प्राप्तकर्ता के बीच विशेष निर्देश/आपसी समझौते के तहत दान प्राप्त किया जाता है कि धार्मिक स्थल दाता के व्यवसाय का प्रचार करने वाला विज्ञापन प्रदर्शित करेगा, तो उस दान पर जीएसटी लागू होगा। हालांकि, यदि दान बिना ऐसे निर्देशों के प्राप्त किया जाता है, या जब दाता का नाम प्राप्तकर्ता संस्था के परिसर में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि इसे कृतज्ञता और दाता के परोपकारी कार्य की सार्वजनिक मान्यता के रूप में माना जा सके, और इसका उद्देश्य दाता के व्यवसाय का प्रचार करना नहीं है, तो इसे सेवा की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, दान या उपहार प्राप्तकर्ता पर किसी कार्य (सेवा की आपूर्ति) का कोई दायित्व (quid pro quo) नहीं है। इसलिए, ऐसे दान पर जीएसटी की देनदारी नहीं होगी।⁶



(15) दुर्गादेवी ट्रस्ट, आयकर अधिनियम की खंड 12एबी के तहत पंजीकृत एक धार्मिक ट्रस्ट, अपने क्षेत्र में एक मंदिर का स्वामित्व और प्रबंधन करता है। यह मंदिर के प्रांगण में स्थित व्यावसायिक दुकानों को किराये पर देता है, जिसकी किराया राशि ₹10,000 प्रति माह प्रति दुकान। यह किराया जीएसटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि केवल ₹10,000 प्रति माह से कम किराए पर ही यह सेवा जीएसटी से छूट पाएगी।

(16) सर्वोदया ट्रस्ट, आयकर अधिनियम की भाग 10(23BBA) के तहत पंजीकृत एक धार्मिक ट्रस्ट, एक गुरुद्वारे का स्वामित्व और प्रबंधन करता है। यह गुरुद्वारे के प्रांगण में स्थित कम्युनिटी हॉल को किराये पर देता है, जिसकी विवाह समारोह के लिए ₹ 9,000 प्रति दिन का किराया। प्राप्त यह किराया जीएसटी से मुक्त है क्योंकि यह ₹ 10,000 प्रति दिन की सीमा से कम है।


⁶ इस शीर्षक के तहत चर्चा मुख्य रूप से सीबीआईसी जीएसटी फ्लायर – अध्याय 39 – धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों पर जीएसटी तथा सीबीआईसी द्वारा जारी अन्य स्पष्टियों पर आधारित है।



एबीसी न्यास, जो आयकर अधिनियम की भाग 12कख के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ न्यास है, राजस्थान में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है। इसने जून माह में किशोरों को क्रिकेट के लिए प्रशिक्षण, मध्यम आयु वर्ग के लोगों को योग प्रशिक्षण और एक महानगर में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कौशल विकास सेवाएँ प्रदान कीं। एबीसी न्यास निम्नलिखित पर जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैः:

(क) कौशल विकास सेवाएँ और योग प्रशिक्षण	(ख) कौशल विकास सेवाएँ	(ग) क्रिकेट के लिए कोचिंग, योग प्रशिक्षण और कौशल विकास सेवाएँ	(घ) क्रिकेट के लिए कोचिंग और योग प्रशिक्षण
--	-----------------------	---	--

2. कृषि संबंधी सेवाएँ

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
24	चावल के लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या गोदाम सेवाओं के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
24A	लघु वन उत्पाद के गोदाम सेवाओं के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
24B	अनाज, दालें, फल और सब्जियों के भंडारण/गोदाम सेवाओं के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
54	<p>पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशु जीवन के पालन-पोषण से संबंधित सेवाएँ, घोड़ों के पालन को छोड़कर, खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के लिए, निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।—</p>  <p>(क) किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्य, जिसमें खेती, कटाई, झाड़ाई, पौधों की सुरक्षा या परीक्षण शामिल हैं।</p>

	<p>(ख) कृषि श्रम की आपूर्ति;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म में किए जाने वाले प्रक्रियाएँ, जिसमें देखभाल, छंटाई, काटना, कटाई, सुखाना, सफाई, ट्रिमिंग, धूप में सुखाना, फ्यूमिगेशन, क्यूरिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, क्लिंग या थोक पैकेजिंग जैसी क्रियाएँ शामिल हैं, जो कृषि उपज की मूल विशेषताओं को नहीं बदलती बल्कि केवल प्राथमिक बाजार के लिए उसे विपणन योग्य बनाती हैं;</p> <p>(घ) कृषि मशीनरी या खाली भूमि का किराया या लीज़ देना, संरचना के साथ या बिना, जो इसके उपयोग से संबंधित हो;</p> <p>(ङ) कृषि उपज का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या गोदाम सेवाओं के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ;</p> <p>(च) कृषि विस्तार सेवाएँ;</p> <p>(छ) किसी भी कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या कृषि उपज की बिक्री या खरीद के लिए किसी कमीशन एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
55	<p>पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशु जीवन के पालन-पोषण से संबंधित मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया को जॉब वर्क के रूप में करना, घोड़ों के पालन को छोड़कर, खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के लिए।</p>
55A	<p>पशुपालन (घोड़े को छोड़कर) में कृत्रिम गर्भाधान के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>



विश्लेषण

प्रविष्टि 54

प्रविष्टि 54 में प्रयुक्त शब्द 'पौधों की खेती तथा सभी प्रकार के पशुओं के पालन-पोषण से सम्बन्धित सेवाएँ, घोड़ों के पालन को छोड़कर, जो भोजन, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों के लिए हों' में मछली पालन (मत्स्यपालन), रेशम के कीड़े पालन (सेरीकल्चर), सजावटी फूलों की खेती (फ्लोरीकल्चर), बागवानी (हॉर्टिकल्चर), वानिकी (फॉरेस्ट्री) आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।



इसके अलावा, 'कृषि उपज' शब्द का अर्थ है किसी भी उपज जो पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशुओं के पालन-पोषण (घोड़ों के पालन को छोड़कर) से प्राप्त होती है, जो भोजन, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों के लिए होती है, जिस पर या तो कोई आगे की प्रक्रिया नहीं की जाती है या ऐसी प्रक्रिया की जाती है जैसी आम तौर पर कोई कृषक या उत्पादक करता है, जो उसकी मौलिक विशेषताओं को बदलती नहीं है, बल्कि उसे प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाती है।



यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषि उपज या तो बिल्कुल भी आगे की प्रक्रिया के अधीन नहीं होती है, या यदि उस पर कोई प्रक्रिया की जाती है तो वह उसकी मौलिक विशेषताओं को बदलती नहीं है,



बल्कि उसे प्राथमिक बाजार के लिए

विपणन योग्य बना सकती है। ऐसी प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं: कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएँ जैसे देखभाल करना, छंटाई, कटाई, फसल काटना, सुखाना, सफाई करना, ट्रिमिंग आदि।



आइए देखें कि प्रविष्टि 54 के तहत क्या मुक्त है।

प्रविष्टि 54 कृषि उपज के उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्यों जैसे कि खेती, कटाई, थ्रेसिंग, पौध संरक्षण या परीक्षण को कर-मुक्त (मुक्त) करती है। इसके अलावा, कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएँ जैसे देखभाल करना, छंटाई, कटाई, फसल काटना, सुखाना, सफाई करना, ट्रिमिंग, धूप में सुखाना, धूमपान करना, उपचार करना, छंटाई, ग्रेडिंग, ठंडा करना या थोक पैकेजिंग **जैसी प्रक्रियाएँ जो कृषि उपज की मौलिक विशेषताओं को नहीं बदलती बल्कि उसे केवल प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाती हैं, भी कर-मुक्त हैं। इसी दृष्टिकोण से, निम्नलिखित प्रक्रियाएँ इस प्रविष्टि के दायरे से बाहर हैं और इसलिए इन पर जीएसटी लागू होगा।:-**

- (क) **वह प्रक्रिया जो कृषि उपज की मौलिक विशेषताओं को बदल देती है:** उदाहरण के लिए, आलू चिप्स या टमाटर केचप आदि ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं जो कृषि उपज (इस मामले में आलू और टमाटर) की मौलिक विशेषताओं को बदल देती हैं।
- (ख) **वह प्रक्रिया जो कृषि उपज को खुदरा बाजार में विपणन योग्य बनाती है:** कृषि उत्पादों को पीसना, स्टेरिलाइज करना, निकालना, खुदरा पैक में पैक करना जैसी प्रक्रियाएँ, जो कृषि उत्पादों को खुदरा बाजार में विपणन योग्य बनाती हैं, इस प्रविष्टि के तहत शामिल नहीं होंगी। इस प्रविष्टि में केवल ऐसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो कृषि उपज को प्राथमिक बाजार में विपणन योग्य बनाती हैं, न कि खुदरा बाजार में।

इसके अलावा, खेत मजदूरी की आपूर्ति पर भी जीएसटी से छूट है।

कृषि मशीनरी या खाली भूमि का किराया या पट्टा देना

इस प्रविष्टि का आइटम (ख) कृषि मशीनरी या खाली भूमि के किराए या पट्टे को, चाहे उसके उपयोग से संबंधित कोई संरचना हो या न हो, कर-मुक्त करता है।



(18) मूलचंद ने एक किसान – तुलसीदास – को कृषि हेतु एक खाली भूमि पट्टे पर दी है, जिसमें एक ग्रीनहाउस और भंडारण शेड हैं, जो इसके कृषि उपयोग से संबंधित सहायक सुविधाएँ हैं; ऐसे ग्रीनहाउस और भंडारण शेड सहित खाली भूमि पट्टे पर देने की यह सेवा जीएसटी से मुक्त है।

कृषि प्रसार सेवाएँ

इस प्रविष्टि का आइटम (च) **कृषि प्रसार सेवाओं (ईएस)** को कर-मुक्त करता है। उक्त सेवाओं को अधिसूचना के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह किसान शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि प्रथाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के अनुप्रयोग को दर्शाती हैं।

ईएस का मुख्य उद्देश्य किसानों तक नवीनतम तकनीकी ज्ञान पहुँचाना है। यह फसल तकनीकों के बारे में किसानों के ज्ञान को बढ़ाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता करता है। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, किसान कॉल सेंटर्स, खेतों के दौरे, ऑन-फार्म परीक्षण, किसान मेले, किसान क्लब, सलाहकार बुलेटिन और इसी प्रकार के माध्यमों से किया जाता है।

कृषि उपज विपणन समिति की सेवाएँ

किसी भी **कृषि उपज विपणन समिति** या बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ, या कृषि उपज की बिक्री या खरीद के लिए किसी कमिशन एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जीएसटी के अधीन नहीं आतीं। कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड का अर्थ है वह कोई भी समिति या बोर्ड जो वर्तमान में लागू राज्य कानून के तहत कृषि उपज के विपणन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो।



ऐसी विपणन समितियों या बोर्डों की स्थापना अधिकांश राज्यों में की गई है और वे शेड, जल, प्रकाश, विद्युत, ग्रेडिंग सुविधाओं आदि जैसी सुविधाओं और सुख-साधनों के प्रावधान द्वारा कृषि उपज के विपणन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री या क्रय की रोकथाम के लिए भी उपाय करते हैं। कृषि उपज विपणन समितियाँ (एपीएमसी) बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, किराया आदि एकत्र करती हैं।

ऐसी कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रविष्टि 54 के आइटम (छ) में शामिल हैं। हालाँकि, ऐसी किसी भी सेवा जो सीधे पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशुओं के पालन से संबंधित नहीं है (घोड़ों के पालन को छोड़कर) या खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चे माल या इसी तरह के अन्य उत्पादों या कृषि उपज से संबंधित नहीं है, उस पर कर लागू होगा। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुकानों या अन्य संपत्तियों का पट्टा।

कृषि उपज का गोदाम सेवाएँ

प्रविष्टि 54 के आइटम (ड) में कृषि उपज के लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या गोदाम की सेवाओं को कर-मुक्त किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए::

प्रसंस्कृत चाय और कॉफी



पेय बनाने के लिए प्रयुक्त चाय, जैसे काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय, एक प्रसंस्कृत उत्पाद है जो चाय कारखानों में कई प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया जाता है, जैसे सुखाना, रोलिंग, आकार देना, परिष्करण और ऑक्सीकरण,



हरी पत्तियों पर पैकिंग आदि की जाती है और यही इसका प्रसंस्कृत उत्पादन है। इसलिए, हरी चाय की पत्तियाँ ही "कृषि उपज" मानी जाती हैं जो प्रविष्टि 54 के तहत कर-मुक्त हैं, जहाँ कृषि उपज के लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या गोदाम की छूट उपलब्ध है। कॉफी के बीन्स के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त कॉफी के साथ भी यही स्थिति लागू होती है।

गुड़



इसी प्रकार, गन्ने को गुड़ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उसके मूल लक्षणों को बदल देती है। इसलिए, गुड़ भी कृषि उपज नहीं माना जाता है।



दालें

दालें, जिन्हें आमतौर पर "दाल" कहा जाता है, छीलने या विभाजित करने की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती हैं या कभी-कभी दोनों। छीलने या विभाजित करने की प्रक्रिया आमतौर पर किसान द्वारा या खेत स्तर पर नहीं की जाती, बल्कि दाल मिलों द्वारा की जाती है। इसलिए, छिली हुई या विभाजित दालें भी कृषि उपज नहीं मानी जातीं। हालाँकि, पूरी दाल जैसे ~~खाद्य दाल, मसूर, मसूर, मसूर~~ आदि, कृषि उपज की परिभाषा में शामिल हैं।



उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चाय (जैसे काली चाय, सफेद चाय आदि), संसाधित कॉफी बीन्स या पाउडर, दालें (छिली हुई या विभाजित), गुड़, संसाधित मसाले, संसाधित सूखे फल, संसाधित काजू आदि जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद कृषि उपज की परिभाषा के बाहर आते हैं और इसलिए ये प्रविष्टि 54⁷ की आइटम (ड) में शामिल नहीं होते।

प्रविष्टि 55

धान को चावल में परिवर्तित करने की कस्टम मिलिंग

पौधों की खेती और सभी प्रकार के जानवरों के पालन से संबंधित मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रियाओं को (घोड़े के पालन को छोड़कर) खाद्य, रेशम, ईंधन, कच्चे माल या अन्य समान उत्पादों या कृषि उत्पादों के संदर्भ में जॉब वर्क के रूप में करना जीएसटी के तहत छूट प्राप्त है।



धान की मिलिंग पौधों की खेती से संबंधित मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो खेती की प्रक्रिया पूरी होने और धान की फसल कटाई के बाद की जाती है।



इसके अलावा, धान को चावल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आमतौर पर कृषक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इसे चावल मिलों द्वारा किया जाता है।

धान को चावल में पीसने की प्रक्रिया उसके आवश्यक गुणों (मुख्य लक्षणों) को भी बदल देती है। इसलिए, धान को चावल में पीसने की प्रक्रिया को पौधों की खेती से संबंधित कृषि उत्पादों या खाद्य, रेशे या अन्य समान उत्पादों के उत्पादन में एक मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट किया जाता है कि धान को चावल में पीसने की प्रक्रिया प्रविष्टि 55⁸ के तहत छूट के लिए पात्र नहीं है।

⁷ सर्कुलर संख्या 16/16/2017 जीएसटी, दिनांक 15.11.2017

⁸ सर्कुलर संख्या 19/19/2017 जीएसटी, दिनांक 20.11.2017

प्रश्नोत्तरी
का
समया!



2

निम्नलिखित में से कौन-सी कृषि से संबंधित सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं?

(क) चावल की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भंडारण या वेयरहाउसिंग।	(ख) धान को चावल में मिलिंग करना।	(ग) कृषि संवर्धन सेवाएँ।	(घ) कृषि मशीनरी का किराए पर देना।
--	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

3. शैक्षिक सेवाएँ


प्रविष्टि संख्या.	सेवाओं का विवरण
66	<p>प्रदान की गई सेवाएँ -</p> <p>(a) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, संकाय (फैकल्टी) और कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाएँ;</p> <p>(aa) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के रूप में, प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त भुगतान के बदले प्रदान की गई सेवाएँ;</p> <p>(b) किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, के रूप में,-</p> <p>(i) छात्रों, संकाय और कर्मचारियों का परिवहन;</p> <p>(ii) कैंटरिंग, जिसमें किसी भी प्रकार की मध्याह्न भोजन योजना शामिल है जो कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रायोजित हो;</p> <p>(iii) उस शैक्षणिक संस्थान में प्रदान की जाने वाली सुरक्षा, सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएँ;</p> <p>(iv) उस संस्थान में प्रवेश से संबंधित या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएँ;</p> <p>(v) ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं या पीरियॉडिकल्स की आपूर्ति।</p> <p>हालांकि, आइटम (b) के उप-आइटम (i), (ii) और (iii) में वर्णित कोई भी प्रावधान उस शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होगा जो किसी अन्य संस्था के अलावा हो।</p>

	<p>पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा के रूप में सेवाएँ प्रदान करना।</p> <p>इसके अलावा, उप-आइटम (v) में वर्णित कुछ भी उस संस्था पर लागू नहीं होगा जो निम्नलिखित प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है,-</p> <p>(i) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक या समकक्ष शिक्षा; या</p> <p>(ii) स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा</p>
66A	<p><i>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी विद्यालय को, केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, प्रदान की जाने वाली संबद्धता की सेवाएँ</i></p>



विश्लेषण

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा मौलिक है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में "शिक्षा" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन "लोक शिक्षण ट्रस्ट बनाम सीआईटी" के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल और चरित्र को प्रशिक्षित करने और विकसित करने की एक प्रक्रिया है।



शिक्षा क्षेत्र पर कराधान हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय की तुलना में अधिक सामाजिक गतिविधि माना जाता है। सरकार पर संविधान के तहत हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इसलिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह लाभकारी होगा यदि शैक्षिक सेवाओं को कर से मुक्त किया जाए।

हालाँकि, शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक वास्तविकता है। मुख्य और सहायक शिक्षा के बीच का अंतर धुंधला हो गया है और शिक्षा अब एक संगठित उद्योग बन चुकी है जिसमें विशाल राजस्व उत्पन्न होता है। जीएसटी कानून एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य शैक्षिक सेवाएँ और प्राप्त की जाने वाली विशिष्ट सेवाएँ करमुक्त हैं, जबकि अन्य सेवाओं पर कर लगाया जाता है।



ऊपर वर्णित प्रविष्टि 66 के तहत प्रदान की गई जीएसटी छूट को दो व्यापक श्रेणियों में चर्चा की जा सकती है – एक शैक्षणिक संस्थान की आउटपुट सेवाएँ और इनपुट सेवाएँ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में यह चर्चा मूलतः इन दोनों क्षेत्रों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।:

उत्पादक सेवाएँ

- किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, तथा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि पर आधारित सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।



चूँकि उक्त सेवाओं के संबंध में छूट केवल तब ही उपलब्ध है जब ये सेवाएँ 'शैक्षणिक संस्थान' द्वारा प्रदान की जाएँ, इसलिए पहले 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द का विश्लेषण करना आवश्यक है।:

शैक्षणिक संस्थान का अर्थ है ऐसा संस्थान जो निम्नलिखित सेवाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है:-

- (i) पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा;
- (ii) किसी भी समय लागू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;
- (iii) स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में शिक्षा

- यह ध्यान देने योग्य है कि केवल वे संस्थान, जिनका संचालन 'शैक्षणिक संस्थान' की परिभाषा में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप है, उन्हें ही कानून द्वारा प्रदान की गई छूटों का लाभ उठाने का अधिकार होगा।



- **उप-खंड (ii) :** किसी भी समय प्रचलित कानून द्वारा मान्यता प्राप्त य हेतु पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में शिक्षा' का अर्थ है वह शिक्षा, जो उस पाठ्यक्रम का 'एक भाग' हो, जिसे विधि द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। अतः प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आने के लिए, शिक्षा सेवा को पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

प्रदत्त शिक्षा सेवाएँ	उप-खंड में सम्मिलित (ii)	कारण
महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन	✓	ये पाठ्यक्रम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताओं के अनुदान की ओर ले जाते हैं।
निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण	✗	ऐसा प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त योग्यताओं के अनुदान की ओर नहीं ले जाता।
किसी विदेशी देश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में शिक्षा	✗	केवल वह पाठ्यक्रम, जिसे भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यहाँ सम्मिलित है।



(19) धर्म इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी' (डीआईटी), मध्य प्रदेश में स्थित

एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कार्यक्रम प्रदान करता है।

डीआईटी द्वारा प्रदान किए गए सभी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित डिस्टेंस लर्निंग स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कार्यक्रम भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं [अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)]। चूंकि डीआईटी शिक्षा को उस पाठ्यक्रम का हिस्सा के रूप में प्रदान करता है, जो भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित है, इसलिए इसे एक शैक्षणिक संस्थान माना जाता है।

- **उप उपखंड- ii** पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या समकक्ष तक की शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी संस्थान शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य होता है।



(20) लिटिलवेज़ पब्लिक स्कूल' तमिलनाडु में स्थित एक स्कूल है। स्कूल की दो शाखाएँ हैं – एक

प्री-स्कूल और दूसरी उच्चतर माध्यमिक स् ज़ो सीबीएसई से संबद्ध है। एक प्री-स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल शैक्षणिक संस्थान हैं। अतः लिटिलवेज़ पब्लिक स्कूल एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य है।

- **उप उपखंड- ii** स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को शामिल करता है।

स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अर्थ है, -

- एक पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से संबद्ध आईटीआई/आईटीसी⁹ द्वारा संचालित किया जाता है, जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत घोषित नामित ट्रेडों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है या



- एनसीवीईटी द्वारा स्वीकृत एक मॉड्यूलर रोजगारोन्मुख कौशल पाठ्यक्रम, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है।

मॉड्यूलर रोजगारोन्मुख कौशल वह न्यूनतम कौशल सेट है, जो कार्यक्षेत्र में लाभकारी रोजगार या स्वरोजगार के लिए पर्याप्त है। यह प्रारंभिक विद्यालय छोड़ने वालों, मौजूदा कर्मचारियों जो कौशल उन्नयन चाहते हैं, और उन कर्मचारियों को जो अनौपचारिक रूप से प्राप्त अपने कौशल का प्रमाणन चाहते हैं, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करता है ताकि उनकी रोजगार योग्यता बढ़ सके और पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

****नामित ट्रेड** का अर्थ है कोई भी व्यापार या व्यवसाय, या कोई भी विषय क्षेत्र इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जिसे केंद्रीय सरकार, केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद से परामर्श करने के बाद, अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामित ट्रेड के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।



(21) कलादृष्टि आईटीआई, गोरखपुर उन कौशल विकास पाठ्यक्रमों को प्रदान करने में संलग्न है जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत घोषित नामित ट्रेडों में नहीं हैं। चूंकि कलादृष्टि आईटीआई द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत घोषित नामित ट्रेडों में नहीं आते, इसलिए इससे प्रदान की जाने वाली शिक्षा उपरोक्त परिभाषा के अनुसार स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में नहीं मानी जाती। परिणामस्वरूप, यह एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है।

⁹ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

¹⁰ प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचित कुछ नामित व्यवसायों में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मैकेनिक, टूल एवं डाई मेकर, बेकर एवं कन्फेक्शनर, बुनकर, दर्जी, जूता निर्माता, छायाचित्रकार, सौंदर्य विशेषज्ञ, चित्रकार, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, माली, केबल टेलीविजन ऑपरेटर, पुस्तकालय सहायक आदि शामिल हैं।

उपरोक्त परिभाषा के दृष्टिगत, कुछ संस्थाओं जो शिक्षा सेवाएँ प्रदान करती हैं, का निम्नलिखित रूप से परीक्षण किया गया है:

प्राइवेट आईटीआई

- यदि इन निजी आईटीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा उपरोक्त परिभाषा के



अनुसार स्वीकृत व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में हो, तो ये निजी आईटीआई शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य होते हैं।



अनुसार, केवल अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत घोषित नामित ट्रेडों से



संबंधित निजी आईटीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ इस प्रविष्टि के अंतर्गत जीएसटी से मुक्त हैं। नामित ट्रेडों के अलावा अन्य ट्रेडों से संबंधित सेवाएँ जीएसटी के अधीन हैं।



इसके अतिरिक्त, नामित ट्रेडों के मामले में, निजी आईटीआई द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ, यदि इसके बदले प्रवेश शुल्क के रूप में मूल्य लिया जाता है, तो यह भी जीएसटी से मुक्त होगी।

इसके अलावा, ऐसे नामित ट्रेडों के संबंध में, निजी आईटीआई को दी जाने वाली सेवाएँ, जो प्रवेश या निजी आईटीआई द्वारा परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हों, भी जीएसटी से मुक्त होंगी।



निजी आईटीआई में नामित ट्रेडों के अलावा अन्य ट्रेडों के मामले में, उपरोक्त सेवाओं पर निजी आईटीआई¹¹ द्वारा/को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी देय होगा।

सरकारी आईटीआई

जहाँ तक सरकारी आईटीआई की बात है, सरकारी आईटीआई द्वारा व्यक्तिगत प्रशिक्षु की जाने वाली सेवाएँ प्रविष्टि 6 के अंतर्गत जीएसटी से मुक्त हैं, क्योंकि ये सेवाएँ केंद्री द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप की हैं [प्रविष्टि 6 का विवरण दिया गया है]।



सरकारी आईटीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ऐसी छूट में दोनों को शामिल किया जाएगा – सरकारी आईटीआई¹² द्वारा प्रदान किया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण और इनके द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।"

¹¹ परिपत्र संख्या 55/29/2018 – जीएसटी दिनांक 09.08.2018

¹² परिपत्र संख्या 55/29/2018 – जीएसटी दिनांक 09.08.2018

अमान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

- निजी कोचिंग सेंटर या अन्य अमान्यता प्राप्त संस्थान, भले ही स्वयं को शैक्षणिक संस्थान कहें, जीएसटी के तहत शैक्षणिक संस्थान के रूप में नहीं माने जाएंगे और इसलिए इन्हें शैक्षणिक संस्थान के लिए उपलब्ध छूट का लाभ नहीं मिलेगा।



22) सुपर माइंड्स¹³, रायपुर में स्थित एक कोचिंग संस्थान, बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन संस्थान (आईबीपीएस) प्रोबेशनरी ऑफिसर्स परीक्षा के लिए कोचिंग प्रदान करता है। सुपर माइंड्स, एक कोचिंग सेंटर होने के नाते जो उम्मीदवारों को बैंकिंग नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण देता है, छूट अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक संस्थान नहीं माना जाता है।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक के शैक्षणिक संस्थान

- प्रविष्टि 66 के अनुसार, उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर तक के शैक्षणिक संस्थान आउटपुट सेवाओं और कुछ निर्दिष्ट इनपुट सेवाओं [जिनका विवरण बाद के पैराग्राफ में है] पर जीएसटी से प्रभावित नहीं होते। हालांकि, कुछ इनपुट सेवाएँ जैसे कि मरम्मत और रख-रखाव आदि, जो निजी प्रदाताओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाती हैं, उन पर जीएसटी लागू होता है।
- ऐसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रावास में लॉजिंग/बोर्डिंग की आउटपुट सेवाएँ, जो प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या समकक्ष शिक्षा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने वाली शिक्षा देती हैं, पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रावास आवास के लिए छात्रों से वार्षिक सब्सक्रिप्शन/शुल्क के रूप में लिया जाने वाला लॉजिंग/बोर्डिंग शुल्क इसलिए जीएसटी के अधीन नहीं होगा।
- **बोर्डिंग स्कूल** शिक्षा के साथ अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं, जैसे आवास के लिए रहने की व्यवस्था और भोजन। यदि शिक्षा और लॉजिंग/बोर्डिंग के शुल्क अलग नहीं किए जा सकते, तो यह संयुक्त आपूर्ति का मामला हो सकता है। इसकी कर योग्य स्थिति भाग 2(30) को भाग 8 के साथ पढ़कर निर्धारित की जाएगी।



¹³ भाग 2(30) में समवेत आपूर्ति की परिभाषा प्रदान की गई है तथा भाग 8 में समवेत एवं मिश्रित आपूर्तियों पर कर देयता से संबंधित उपबंध निहित हैं। समवेत एवं मिश्रित आपूर्ति की संकल्पना का विस्तृत विवरण इस अध्ययन सामग्री के अध्याय 2-जीएसटी के अन्तर्गत आपूर्ति में किया गया है।

आवासीय विद्यालयों के मामले में ऐसी सेवाएँ प्राकृतिक रूप से मिश्रित होती हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में आपूर्ति की जाती हैं। इसलिए, सेवाओं के इस समूह को पूरी तरह से मुख्य आपूर्ति से युक्त माना जाएगा, जिसका अर्थ है वह सेवा जो ऐसे समूह का प्रमुख तत्व है।

इस मामले में, चूंकि प्रमुख प्रकृति शिक्षा की सेवा द्वारा निर्धारित की जाती है, आवास प्रदान करने जैसी अन्य सेवाओं को कर देयता निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा और इस मामले में, आपूर्ति के लिए पूरा मूल्य जीएसटी से मुक्त होगा।

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान

- हमने पहले ही देखा है कि जो संस्थान किसी प्रचलित कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं, वे शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य होते हैं।

हालाँकि, प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी कॉलेज का पाठ्यक्रम द्वैतीय योग्यता की ओर ले जाता है, जिसमें से केवल एक योग्यता कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो क्या इस तरह की शिक्षा के रूप में कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा छूट अधिसूचना के अंतर्गत आएगी?

- द्वैतीय योग्यताओं का प्रावधान दो अलग-अलग सेवाओं के स्वरूप में होता है, क्योंकि प्रत्येक योग्यताओं के लिए पाठ्यक्रम और शुल्क अलग से निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, प्रत्येक योग्यताओं के संबंध में सेवा का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा।

यदि केवल एक शुल्क लेकर दो पाठ्यक्रमों को मिलाकर एक कृत्रिम बंडल बनाया जाता है, जिसमें से केवल एक पाठ्यक्रम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता की ओर ले जाता है, तो सामान्य व्यवसाय में बंडल न होने वाली आपूर्ति की कर देयता निर्धारण नियम के अनुप्रयोग के अनुसार, इसे भाग 2(74)¹⁴ को भाग 8 के साथ पढ़कर मिश्रित आपूर्ति माना जाएगा।

दो योग्यताएँ, जिनमें से केवल एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है

कर देयता उस आपूर्ति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिस पर सबसे उच्च जीएसटी दर लागू होती है।

¹⁴ भाग 2(74) में जीएसटी के अन्तर्गत मिश्रित आपूर्ति की परिभाषा प्रदान की गई है।

- हालाँकि, शौक क्लासेस या अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के रूप में प्रदान किए जाने वाले आकस्मिक सहायक पाठ्यक्रम, जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं, स्वाभाविक रूप से बंडल किए गए पाठ्यक्रम का उदाहरण होंगे और इसलिए इन्हें संयुक्त आपूर्ति माना जाएगा। ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण विचार यह होगा कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की तुलना में अमान्यता प्राप्त घटक के लिए अतिरिक्त बिलिंग की राशि कितनी है।

आनुषंगिक
सहायक पाठ्यक्रम

यदि अतिरिक्त बिलिंग की जा रही है, तो यह दो अलग-अलग आपूर्ति का कृत्रिम बंडलिंग का मामला हो सकता है, जो सामान्य व्यवसाय में एक साथ प्रदान नहीं की जाती हैं, और इसलिए इसे मिश्रित आपूर्ति माना जाएगा, और पूरे मूल्य पर उच्च कर वाली घटक की दर लागू होगी¹⁵।

आईआईएम

- भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (आईआईएम अधिनियम, 2017) आईआईएम को यह अधिकार देता है कि वे (i) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान या शीर्षक प्रदान करें, (ii) पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रिया निर्दिष्ट करें, और (iii) कार्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री निर्दिष्ट करें।



- परिणामस्वरूप, सभी आईआईएम 'शैक्षणिक संस्थान' की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे प्रचलित कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं।
- आईआईएम विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम (1 वर्ष या अधिक) प्रदान करते हैं, जिनके लिए वे आईआईएम अधिनियम, 2017 के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिए गए अधिकारों के अनुसार अनुशंसित डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। आईआईएम द्वारा अपने छात्रों को ऐसे सभी दीर्घकालिक कार्यक्रमों (एक वर्ष या अधिक) में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी लगाने से मुक्त हैं।

आईआईएम के दीर्घकालिक
कार्यक्रम- छूट

¹⁵ पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अपनाया गया दृष्टिकोण, कि शिक्षा को अन्य आनुषंगिक सेवाओं के साथ प्रदान किया जाना समवेत आपूर्ति है तथा यह करमुक्त है क्योंकि प्रधान आपूर्ति [शिक्षा सेवा] करमुक्त है, सीबीआईसी फ्लायर - अध्याय 40 - शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी पर आधारित है। तथापि, एक भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है क्योंकि भाग 2(30) के अन्तर्गत समवेत आपूर्ति की परिभाषा के अनुसार, समवेत आपूर्ति में दो या दो से अधिक आपूर्तियाँ सम्मिलित होती हैं...

- आईआईएम के विभिन्न लघु अवधि/शॉर्ट टर्म प्रोग्राम (1 वर्ष से कम) भी प्रदान करते हैं, जिनके लिए वे आईआईएम के अल्पकालिक कार्यक्रम - करमुक्त नहीं हैं। कार्यकारी/पेशेवरों को भागीदारी प्रमाणपत्र देते हैं क्योंकि इन्हें उक्त कार्यक्रमों के 'भागीदार' माना जाता है। ये भागीदारी प्रमाणपत्र कोई भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं हैं।
- ऐसे भागीदारों को भी आईआईएम के छात्र नहीं माना जाता। आईआईएम के द्वारा ऐसे भागीदारों को शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं और उन पर जीएसटी देय होगा।

केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण/बोर्ड/संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा का संचालन

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार (जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी शामिल है) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु स्थापित कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षणिक संस्थान माना जाएगा कि वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की सेवाएँ प्रदान करता है।



केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्डों को केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए 'शैक्षणिक संस्थान' माना जाएगा कि वे छात्रों को परीक्षा आयोजित करने की सेवाएँ प्रदान करते हैं। इस संबंध में, निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है:

केंद्र और राज्य बोर्डों जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा, छात्रों के लिए ऐसी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु इनपुट सेवाएँ, शैक्षणिक संस्थानों या पेशेवरों का प्रत्यायन शामिल है ताकि उन्हें अपनी संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जा सके।

¹⁶ परिपत्र संख्या 82/01/2019 – जीएसटी दिनांक 01.01.2019

- उदाहरण के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड और फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड शामिल हैं, पीजी मेडिकल अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री निर्धारित करता है, परीक्षाएँ आयोजित करता है और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान करता है। यह सभी कार्य करता है जो सामान्यतः केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जाते हैं और इसलिए इसे केंद्रीय शिक्षा बोर्ड माना जाता है। 'केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्डों' को केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षणिक संस्थान माना जाता है कि वे छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने की सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसलिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक 'शैक्षणिक संस्थान' है, केवल तब जब यह छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा सहित परीक्षा आयोजित करने की सेवाएँ प्रदान करता है।



- यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) केंद्र या राज्य बोर्डों (जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे बोर्डों सहित) द्वारा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के आयोजन के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसमें शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन शामिल है, प्रविष्टि 66(क) के अंतर्गत जीएसटी से मुक्त हैं। अतः, ऐसी परीक्षाओं के आयोजन, जिसमें प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं, के लिए ऐसे बोर्डों द्वारा ली जाने वाली कोई भी शुल्क या राशि पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
- (ii) प्रवेश या परीक्षा के आयोजन से संबंधित इनपुट सेवाएं, जैसे कि ऑनलाइन परीक्षण सेवा, परिणाम प्रकाशन, परीक्षा के लिए अधिसूचना की छपाई, प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि, जब ऐसी सेवाएं ऐसे बोर्डों को प्रदान की जाती हैं, तो वे प्रविष्टि 66(ख)(iv) के अंतर्गत जीएसटी से मुक्त हैं।
- (iii) ऐसे बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं, जैसे किसी संस्थान या किसी पेशेवर को मान्यता प्रदान करना [मान्यता शुल्क या पंजीकरण शुल्क जैसे एफएमजीई (विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा) स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु शुल्क], ताकि उन्हें उनकी संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जा सके, पर जीएसटी लागू होता है।

¹⁷ परिपत्र संख्या 151/07/2021 – जीएसटी दिनांक 17.06.2021

मेस या कैंटीन में भोजन की आपूर्ति

- शैक्षणिक संस्थानों में आमतौर पर अपने छात्रों और कर्मचारियों को भोजन प्रदान करने के लिए मेस की सुविधा होती है।

इस तरह की सुविधा या तो:

- संस्थान या छात्रों द्वारा चलायी जाने वाली या
- किसी तीसरे व्यक्ति को आउटसोर्स किया गया

- यदि कैटरिंग सेवा किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है, और उक्त शैक्षणिक संस्थान ऊपर दिए गए 'शैक्षणिक संस्थान' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो यह जीएसटी से मुक्त है [प्रविष्टि 66 के आइटम (a) के अंतर्गत शामिल]।



- यदि कैटरिंग सेवाएँ, यानी मेस या कैंटीन में भोजन या पेय की आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थान के अलावा किसी अन्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, यानी संस्थान कैटरिंग गतिविधि को किसी बाहरी ठेकेदार को सौंप देता है, तो यह ऐसी बाहरी कैटरिंग कंपनी द्वारा संबंधित शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली सेवा मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लागू होगा।

हालाँकि, ये सेवाएँ जब प्री-स्कूल शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक स्कूल या समकक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को दी जाती हैं, तो ये कर से मुक्त होती हैं [प्रविष्टि 66 के आइटम (b)(ii) के अंतर्गत शामिल]।

आंगनवाड़ी और स्कूलों में भोजन की आपूर्ति

- आंगनवाड़ी, अन्य बातों के साथ-साथ, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करती है। इसलिए, आंगनवाड़ी 'शैक्षणिक संस्थान' की परिभाषा में शामिल है (प्री-स्कूल के रूप में)।
- जैसा कि उपर्युक्त में देखा गया है, प्रविष्टि 66(ख)(ii) के अनुसार, किसी शैक्षणिक संस्थान (प्री-स्कूल और स्कूलों) को प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की कैटरिंग सेवा जीएसटी से मुक्त है और इसमें मध्याह्न भोजन सेवा भी सम्मिलित है। अतः, इस प्रविष्टि का दायरा किसी स्कूल (प्री-स्कूल सहित) को भोजन परोसने की किसी भी सेवा को सम्मिलित करने हेतु पर्याप्त रूप से व्यापक है।

- यह और स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थान को भोजन परोसने (कैंटरिंग, जिसमें मिड-डे मील शामिल है) के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, चाहे वह सरकारी अनुदान या कॉर्पोरेट दान से वित्त पोषित हो, जीएसटी के अधीन नहीं हैं।
- इसलिए, आंगनवाड़ी को भोजन परोसने की सेवाएँ भी उक्त छूट के अंतर्गत आएँगी, चाहे इसका वित्तपोषण सरकार द्वारा किया गया हो या कॉर्पोरेट¹⁸ दान के माध्यम से।

प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रवेश शुल्क / प्रवेश शुल्क / माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का शुल्क

- जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, प्रविष्टि 66, अन्य बातों के साथ-साथ, उन सेवाओं को कर से मुक्त करती है जो प्रदान की जाती हैं –
 - (a) एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को;
 - (aa) एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में भुगतान के बदले प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के रूप में
- इसलिए, यह देखा जा सकता है कि एक 'शैक्षणिक संस्थान' द्वारा अपने छात्रों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिया गया कोई भी शुल्क भी जीएसटी से मुक्त है।
- यह छूट इतनी व्यापक है कि इसमें प्रवेश या एडमिशन के लिए लिया गया शुल्क, प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क, या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश/एडमिशन की प्रक्रिया में संभावित छात्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लिया गया शुल्क भी शामिल है।
- एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने जाने वाले या पूर्व छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ भी इस छूट के अंतर्गत आती हैं। तदनुसार, शैक्षणिक संस्थानों की ऐसी गतिविधियाँ भी जीएसटी से मुक्त¹⁹ हैं।

¹⁸ परिपत्र संख्या 149/05/2021 – जीएसटी दिनांक 17.06.2021

¹⁹ परिपत्र संख्या 177/09/2022 – जीएसटी दिनांक 03.08.2022

संभावित नियोक्ताओं से लिया गया शुल्क

डीजी शिपिंग द्वारा अनुमोदित समुद्री पाठ्यक्रम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थान उन संभावितनियोक्ताओं, जैसे कि कॉर्पोरेट घरानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से शुल्क लेते हैं, जो कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में संस्थानों में आते हैं। ऐसी सेवाएँ भी कर के लिए उत्तरदायी होंगी।

- समुद्री प्रशिक्षण संस्थान और उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निदेशक जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा अनुमोदित हैं, जो मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार और मर्चेन्ट शिपिंग (सीफेयरर्स के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और वॉच-कीपिंग के मानक) नियम, 2014 के साथ मान्यता प्राप्त हैं।
- इसलिए, मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक संस्थान माने जाते हैं और उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम अन्य यहाँ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर जीएसटी से मुक्त हैं।

इनपुट सेवाएँ

- इनपुट सेवाओं के संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आउटपुट सेवाएँ करमुक्त हैं, वहाँ शैक्षणिक संस्थान इनपुट पक्ष पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते। सहायक शैक्षणिक सेवाएँ [जो सेवाएँ शैक्षणिक संस्थान सामान्यतः स्वयं ही करते हैं, लेकिन इन्हें किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स कर प्राप्त कर सकते हैं] केवल प्रविष्टि 66 के मद (ख) में निर्दिष्ट हैं और इन्हें ही करमुक्त किया गया है [प्रविष्टि 66 के मद (ख) की उप-आइटम (i) से (v) तक]।
- हालांकि, इस छूट के साथ एक शर्त जुड़ी है। (i) छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवहन, (ii) कैटरिंग जिसमें सरकारी प्रायोजित किसी भी मिड-डे मील योजना शामिल है, और (iii) सुरक्षा, सफाई या हाउसकीपिंग सेवाओं जैसी सहायक शिक्षा सेवाएँ केवल तभी जीएसटी से मुक्त हैं जब ये सेवाएँ प्री-स्कूल से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (एचएससी) तक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को दी जाएँ। इस प्रकार, यदि ऐसी सहायक शिक्षा सेवाएँ डिग्री या उच्च शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थानों या अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को दी जाती हैं, तो ये सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं होंगी।



- इसी प्रकार, ऑनलाइन शैक्षणिक जर्नल/पत्रिकाओं की आपूर्ति की सेवाएँ केवल तभी जीएसटी से मुक्त हैं जब ये सेवाएँ किसी ऐसे संस्थान को प्रदान की जाएँ जो किसी कानून द्वारा ²¹ मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करता हो।

(23) इनपुट सेवाओं के संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आउटपुट सेवाएँ करमुक्त हैं, वहाँ शैक्षणिक संस्थान इनपुट पक्ष पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते। सहायक शैक्षणिक सेवाएँ [जो सेवाएँ शैक्षणिक संस्थान सामान्यतः स्वयं ही करते हैं, लेकिन इन्हें किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स कर प्राप्त कर सकते हैं] केवल प्रविष्टि 66 के मद (ख) में निर्दिष्ट हैं और इन्हें ही करमुक्त किया गया है [प्रविष्टि 66 के मद (ख) की उप-आइटम (i) से (v) तक]।

(24) एसएम ट्रांसपोर्टर्स ने पाथव्हील्स स्कूल, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, के छात्रों और शिक्षकों को उनके निवास से स्कूल तथा वापसी की परिवहन सेवा प्रदान की है। छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की परिवहन सेवा, जो अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान को प्रदान की जाती है, करमुक्त है।

(25) शिक्षा कॉलेज, जो डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है (कानून द्वारा मान्यता प्राप्त), को अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा नवंबर में आयोजित करनी होती है। इस हेतु, उसने पेपर सेटर्स और परीक्षकों (जो शिक्षा कॉलेज के रोलन में नहीं हैं) को उनकी सेवाओं के लिए मानदेय भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, उसने प्रश्न पत्रों (प्रश्न पत्र और सामग्री शिक्षा कॉलेज द्वारा प्रदान की जाती है) के मुद्रण हेतु मुद्रण सेवाएं भी प्राप्त की हैं। किसी शैक्षणिक संस्था को प्रवेश या परीक्षा के आयोजन से संबंधित प्रदान की जाने वाली सेवाएं करमुक्त हैं। अतः, पेपर सेटर्स और परीक्षकों की सेवाएं तथा शिक्षा कॉलेज द्वारा प्राप्त मुद्रण सेवाएं करमुक्त हैं।

(26) ज्ञानी पब्लिक स्कूल, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने स्कूल में सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए सुविधा सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया है। सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सेवाएं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर के भीतर प्रदान की जाती हैं, करमुक्त हैं। अतः, सुविधा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई उक्त सेवाएं करमुक्त हैं।

²¹ उपर्युक्त अनुच्छेदों में की गई चर्चा मुख्य रूप से सीबीआईसी फ्लायर - अध्याय 40 - 'शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी' पर आधारित है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

इसके बाद स्कूल ने सुविधा सर्विसेज लिमिटेड. को स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह के लिए ऑडिटोरियम (स्कूल परिसर के बाहर) में सुरक्षा और हाउसकीपिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह के लिए स्कूल परिसर के बाहर प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और हाउसकीपिंग सेवाएँ कर योग्य होंगी, क्योंकि केवल उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परिसर के भीतर प्रदान की गई सुरक्षा और हाउसकीपिंग सेवाएँ ही जीएसटी से मुक्त हैं।

शैक्षणिक संस्थान की इनपुट और आउटपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध छूटों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

शैक्षणिक संस्थान का प्रकार			
	शैक्षणिक संस्थान जो प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या समकक्ष शिक्षा प्रदान करता है	शैक्षणिक संस्थान जो किसी मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करता है	शैक्षणिक संस्थान जो अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करता है
मुक्त इनपुट सेवाएँ	(i) छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन; (ii) कैंटरिंग, जिसमें किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रायोजित मिड-डे मील योजना शामिल है; (iii) सुरक्षा, सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएँ जो ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रदान की जाती हैं;	(i) ऐसे संस्थान में प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएँ (ii) ऑनलाइन शैक्षणिक जर्नल या पत्रिकाओं की आपूर्ति	ऐसे संस्थान में प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएँ

	(iv) ऐसे संस्थान में प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएँ		
मुक्त आउटपुट सेवाएँ	शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ - (a) अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को; (aa) प्रवेश शुल्क के रूप में भुगतान के बदले प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के रूप में		

प्रश्नोत्तरी का समय

3 निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं?

(क) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन्स प्रवेश परीक्षा।	(ख) भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा आयोजित दीर्घकालिक कार्यक्रम (2 वर्ष)	(ग) परफेक्ट कोचिंग क्लासेस द्वारा यूपीएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदान की जाने वाली कोचिंग.	(घ) लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल को प्रदान की गई कैटरिंग सेवाएँ
---	--	--	--

विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों को प्रदान की गई संबद्धता

- ❑ संबद्धता की गतिविधि यह सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए होती है कि संस्थान के पास आवश्यक आधारभूत संरचना हो जैसे कि स्थान, तकनीकी क्षमता, वित्तीय तरलता, शिक्षकों की संख्या आदि, और इस प्रकार वह उन विशेषाधिकारों के लिए योग्य हो कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले डिग्री/शीर्षक के पाठ्यक्रम/प्रोग्राम को संचालित किया जा सके।
- ❑ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली संबद्धता सेवाएँ ऐसे कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश या उन कॉलेजों द्वारा परीक्षा आयोजित करने से संबंधित नहीं हैं।

- सीबीआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा उनके संबद्ध कॉलेजों को प्रदान की जाने वाली संबद्धता सेवाएँ शैक्षणिक संस्थानों को दी गई छूटों के दायरे में शामिल नहीं हैं। [सर्कुलर संख्या 234/28/2024 जीएसटी दिनांक 11.10.2024]

केंद्रीय एवं राज्य शैक्षणिक बोर्डों या परिषदों, या अन्य समान निकायों द्वारा स्कूलों को प्रदान की गई संबद्धता

- शैक्षणिक बोर्डों या परिषदों, या अन्य समान निकायों द्वारा की जाने वाली संबद्धता गतिविधि यह सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए होती है कि स्कूल के पास आवश्यक आधारभूत संरचना, वित्तीय स्थिति, शिक्षक शक्ति आदि हो और इस प्रकार वे उक्त बोर्डों या परिषदों के अधीन संचालन करने के विशेषाधिकार के योग्य हों।
- संबद्धता सेवाएँ ऐसे स्कूलों में छात्रों के प्रवेश या उन स्कूलों द्वारा परीक्षा आयोजित करने से संबंधित नहीं हैं।
- सीबीआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्डों या परिषदों, या अन्य समान निकायों द्वारा स्कूलों को प्रदान की जाने वाली ऐसी संबद्धता सेवाएँ, चाहे किसी भी नाम से हों, कर योग्य हैं। [सर्कुलर संख्या 234/28/2024 जीएसटी दिनांक 11.10.2024]

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों या परिषदों, या अन्य समान निकायों द्वारा सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को प्रदान की जाने वाली संबद्धता सेवाएँ, अर्थात् ऐसे स्कूल जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित हैं, छूट अधिसूचना के प्रविष्टि 66क के तहत जीएसटी से मुक्त हैं।

4. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

प्रविष्टि संख्या.	सेवाओं का विवरण
46	पशु चिकित्सा क्लिनिक द्वारा पशुओं या पक्षियों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाएँ
74	सेवाएँ के रूप में - (क) क्लिनिकल संस्थान, अधिकृत चिकित्सक या पैरामेडिकल द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ;



हालांकि, इस प्रविष्टि में से कोई भी सेवा उस क्लीनिकल संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर लागू नहीं होगी जो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रति दिन ₹5000 से अधिक के कमरे (गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (आईसीसीयू)/इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) के अलावा) प्रदान करता है।

(ख) रोगी को एम्बुलेंस में ले जाने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो ऊपर (a) में निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा हैं।



विश्लेषण

प्रविष्टि 74 - एक क्लीनिकल संस्थान, अधिकृत चिकित्सक या पैरामेडिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा जीएसटी से मुक्त हैं [प्रविष्टि 74(क)]।



हालांकि, एक क्लीनिकल संस्थान द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रति दिन ₹5000 से अधिक मूल्य वाले कमरे (गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) को छोड़कर) प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं करमुक्त नहीं होंगी।

‘**स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं**’ शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

हेल्थ केयर सेवाएँ

- भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान, उपचार या **स्वास्थ्य सेवा** देखभाल के रूप में दी जाने वाली कोई भी सेवा
- इसमें रोगी को क्लिनिकल संस्थान तक और वहां से ले जाने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ भी शामिल हैं, लेकिन
- इसमें हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं हैं, सिवाय उन मामलों में जब इसे जन्मजात दोष, विकासात्मक असामान्यता, चोट या आघात के कारण प्रभावित शरीर की संरचना या कार्यों को पुनर्स्थापित या पुनर्निर्मित करने के लिए किया गया हो।

- जैसा कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की परिभाषा से स्पष्ट है, केवल भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों में दी जाने वाली सेवाएँ ही इस प्रविष्टि के तहत जीएसटी से मुक्त हैं। भारत²² में निम्नलिखित चिकित्सा प्रणालियाँ मान्यता प्राप्त हैं:-

- एलोपैथी
- योग
- नैचुरोपैथी
- आयुर्वेद
- होम्योपैथी
- सिद्ध
- यूनानी

मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियाँ

- कोई अन्य चिकित्सा प्रणाली जिसे केंद्रीय सरकार मान्यता दे सकती है। अब हम निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझते हैं – 'क्लिनिकल संस्थान', 'अधिकृत चिकित्सक' और 'पैरा-मेडिकल'।

क्लिनिकल संस्थान: इसका अर्थ है एक अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनेटोरियम या कोई अन्य संस्थान, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान, उपचार या देखभाल के लिए सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करता हो, या एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित स्थान या किसी संस्थान के हिस्से के रूप में ऐसा स्थान जो रोगों के निदान या जाँच सेवाएँ प्रदान करता हो।



इस प्रकार, रोगों के निदान या जाँच सेवाएँ, जो पैथोलॉजिकल लैब द्वारा प्रदान की जाती हैं, जीएसटी के अधीन नहीं आतीं।

²² क्लीनिकल संस्थान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 की भाग 2(ह)

अधिकृत चिकित्सक: इसका अर्थ है ऐसा चिकित्सक जो भारत में कानून द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली के परिषदों में पंजीकृत हो और इसमें वह चिकित्सा पेशेवर भी शामिल है जिसके पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता हो, जैसा कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत निर्धारित है।



इसके अतिरिक्त, पैरा-मेडिकल प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होते हैं, उदाहरण के लिए, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, तकनीशियन, लैब असिस्टेंट आदि। क्लिनिकल संस्थान में उनकी सेवाएँ कर्मचारी की क्षमता में प्रदान की जाती हैं और स्वतंत्र क्षमता में नहीं, इसलिए इन्हें उस क्लिनिकल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के रूप में माना जाएगा। स्वतंत्र क्षमता में दी जाने वाली समान सेवाएँ भी जीएसटी से मुक्त हैं।



इन-पेशेंट्स को प्रदान किए गए कमरों का किराया

हॉस्पिटल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ₹5000 प्रतिदिन तक के कमरे के किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा।²³

वरिष्ठ डॉक्टरों/सलाहकारों/तकनीशियनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- ❑ वरिष्ठ डॉक्टरों/सलाहकारों/तकनीशियनों को स्वतंत्र रूप से नियुक्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रोगी के साथ कोई अनुबंध नहीं होता। अस्पताल उन्हें परामर्श शुल्क का भुगतान करते हैं और उनके बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता।
- ❑ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वरिष्ठ डॉक्टरों/सलाहकारों/तकनीशियनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, चाहे वे कर्मचारी हों या न हों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ हैं और जीएसटी से मुक्त हैं [सर्कुलर संख्या 32/06/2018 जीएसटी दिनांक 12.02.2018] /

अस्पताल द्वारा मरीज से लिए गए पैसे

- ❑ उपरोक्त मामलों में, मान लीजिए कि अस्पताल रोगियों से ₹10,000/- वसूलते हैं और सलाहकारों/तकनीशियनों को केवल ₹7,500/- भुगतान करते हैं और शेष राशि सहायक सेवाओं के लिए रखते हैं, जिसमें नर्सिंग देखभाल, अवसंरचना सुविधाएँ, पैरा-मेडिकल देखभाल, आपातकालीन सेवाएँ, तापमान, वजन, रक्तचाप आदि की जाँच शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की परिभाषा [उपरोक्त दी गई] को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अस्पताल भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं।



²³ परिपत्र संख्या 27/01/2018 – जीएसटी दिनांक 04.01.2018, प्रविष्टि 74(क) के उपबंध के साथ पढ़ा गया

- ❑ रोगियों से अस्पताल द्वारा वसूला गया पूरा शुल्क, जिसमें रिटेंशन राशि और डॉक्टरों को दिया गया शुल्क/भुगतान शामिल है, अस्पताल द्वारा रोगियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आता है और जीएसटी से मुक्त है [सर्कुलर संख्या 32/06/2018 जीएसटी दिनांक 12.02.2018]।

रोगियों को प्रदान किया गया भोजन

- ❑ क्लिनिकल संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में रोगियों को दिया जाने वाला भोजन भी शामिल होगा; लेकिन यह भोजन अस्पताल द्वारा संचालित कैंटीन में तैयार किया जा सकता है या बाहरी कैटररों से आउटसोर्स किया जा सकता है।
- ❑ जब आउटसोर्स किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सप्लायर्स लागू जीएसटी वसूलेंगे और अस्पताल को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगा।
- ❑ डॉक्टर/पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इन-पेशेंट्स को दिया जाने वाला भोजन स्वास्थ्य देखभाल की सम्मिश्रित आपूर्ति (composite supply) का हिस्सा है और इसे अलग से कर योग्य नहीं माना जाएगा।
- ❑ अस्पताल द्वारा उन रोगियों (जो भर्ती नहीं हैं), उनके परिचारकों या आगंतुकों को दी जाने वाली अन्य भोजन आपूर्ति कर योग्य है [सर्कुलर संख्या 32/06/2018 जीएसटी दिनांक 12.02.2018]²⁴।



क्लीनिकल संस्थान के परिसरों में स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य सेवाएँ

- ❑ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति, जैसे कि क्लिनिकल संस्थान के परिसर में दुकानें या ऑडिटोरियम किराए पर देना, विज्ञापन प्रदर्शित करना आदि, जीएसटी²⁵ के अधीन होंगी।

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) प्रक्रियाओं जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- ❑ पहले दी गई स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की परिभाषा के अनुसार, इसका अर्थ है किसी भी रोग, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान, उपचार या देखभाल के लिए कोई भी सेवा, जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में दी जाती है, और इसमें रोगी को क्लिनिकल संस्थान तक और वहाँ से ले जाने की परिवहन सेवाएँ भी शामिल हैं।

²⁴ पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अपनाया गया दृष्टिकोण, कि स्वास्थ्य सेवा के साथ अन्य आनुषंगिक सेवाएं समवेत आपूर्ति हैं और क्योंकि प्रधान आपूर्ति [स्वास्थ्य सेवा] करमुक्त है, इसलिए यह करमुक्त है, परिपत्र संख्या 32/06/2018 - जीएसटी दिनांक 12.02.2018 पर आधारित है। हालांकि, भाग 2(30) के तहत समवेत आपूर्ति की परिभाषा के अनुसार, समवेत आपूर्ति दो या दो से अधिक कर योग्य आपूर्तियों से मिलकर बनती है, इसलिए एक भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है।

²⁵ जैसा कि सीबीआईटीसी जीएसटी फ्लायर - अध्याय 39 - धर्मार्थ एवं धार्मिक ट्रस्टों पर जीएसटी में स्पष्ट किया गया है।

लेकिन इसमें हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि जब ये जन्मजात दोष, विकासात्मक असामान्यता, चोट या आघात के कारण शरीर की संरचना या कार्यो को पुनर्स्थापित या पुनर्निर्मित करने के लिए की जाती हैं।

चूँकि बाँझपन जैसी असामान्यता/रोग/बीमारी का उपचार एआरटी प्रक्रिया जैसे आईवीएफ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए स्पष्ट किया गया है कि आईवीएफ के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ²⁶ भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की परिभाषा में आती हैं।

उदाहरण 1

हेल्थ मेडिकल सेंटर, एक क्लिनिकल संस्थान, निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है:

- (i) रेकी उपचार पद्धतियाँ
- (ii) प्लास्टिक शल्यक्रियाएँ। ऐसी ही एक शल्यक्रिया नवजात शिशु के कटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) की मरम्मत के लिए की गई।
- (iii) एयर एम्बुलेंस सेवाएँ, जिनका उपयोग गंभीर रूप से बीमार रोगियों को दूरस्थ स्थानों से चिकित्सा केंद्र तक ले जाने के लिए किया जाता है।
- (iv) असाध्य रोगियों के लिए उपशामक देखभाल। अनुरोध पर, ऐसी देखभाल रोगियों को उनके घर पर भी प्रदान की जाती है। (उपशामक देखभाल गंभीर या जीवन-घातक रोग से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दी जाती है, परंतु इसका उद्देश्य रोग को ठीक करना नहीं होता।)
- (v) योग के माध्यम से वैकल्पिक चिकित्सा उपचार

गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर एक कॉर्ड ब्लड बैंक भी संचालित करता है, जो स्टेम सेल्स के संरक्षण से संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है।

गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर का यह मत है कि, चूँकि यह एक चिकित्सीय प्रतिष्ठान है, अतः इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाएँ तथा इसे प्रदान की जाने वाली सभी करयोग्य सेवाएँ, जीएसटी से मुक्त हैं।

आपको यह स्थिति प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण/विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

उत्तर

क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, अधिकृत चिकित्सक या पैरामेडिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य

²⁶ परिपत्र क्रमांक 177/09/2022 दिनांक 03.08.2022

सेवाएँ प्रविष्टि 74 के तहत जीएसटी से मुक्त हैं। इसी दृष्टि से, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए छूट की पात्रता नीचे विश्लेषित की गई है:

(i) मुक्त नहीं। चूँकि रेकी उपचार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 2010 की खंड 2(एच) के अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली नहीं है, इसलिए यह जीएसटी से मुक्त नहीं है और इस पर जीएसटी देय होगा।

(ii) मुक्त। स्वास्थ्य सेवा में, अन्य बातों के अलावा, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं है, सिवाय उन मामलों के जब यह जन्मजात दोषों, विकासात्मक असामान्यताओं, चोट या ट्रॉमा के कारण प्रभावित शरीर की संरचना या कार्यों को पुनर्स्थापित या पुनर्निर्माण करने के लिए की जाती है।

अतः, सामान्य प्लास्टिक सर्जरी उक्त छूट की पात्र नहीं होगी और इस पर जीएसटी देय होगा। हालांकि, कटे होंठ की मरम्मत के लिए की गई प्लास्टिक सर्जरी छूट की पात्र होगी, क्योंकि यह जन्मजात दोष (कटे होंठ) के कारण प्रभावित शरीर की संरचना या कार्यों को पुनर्निर्मित करती है।

(iii) मुक्त। स्वास्थ्य सेवा में रोगी को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट तक और वहां से ले जाने की सेवाएँ शामिल हैं। अतः गंभीर रूप से बीमार रोगियों को गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर तक ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा उक्त अधिसूचना के तहत छूट की पात्र होगी।

(iv) मुक्त। स्वास्थ्य सेवा का अर्थ है भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान, उपचार या देखभाल के रूप में प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा। यह मायने नहीं रखता कि ऐसी सेवा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में प्रदान की जा रही है, रोगी के घर पर या किसी अन्य स्थान पर। अतः असाध्य रोगियों के लिए उपशामक देखभाल जीएसटी से मुक्त है।

(v) मुक्त। चूँकि योग क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 2010 की खंड 2(एच) के अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है, इसलिए यह उक्त अधिसूचना के तहत छूट की पात्र होगी।

अतिरिक्त रूप से, कॉर्ड ब्लड बैंक द्वारा स्टेम सेल्स के संरक्षण के रूप में या ऐसे संरक्षण से संबंधित किसी अन्य सेवा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं। अतः गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर द्वारा संचालित कॉर्ड ब्लड बैंक द्वारा स्टेम सेल्स के संरक्षण से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि छूट अधिसूचना की प्रविष्टि 74 केवल उन स्वास्थ्य सेवाओं पर छूट देती है जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा प्रदान की जाती हैं और उन सेवाओं पर नहीं जो

क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को प्रदान की जाती हैं। अतः गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर का यह दावा कि चूँकि यह एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, इसलिए इसे प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ भी जीएसटी से मुक्त हैं, कानून की दृष्टि से सही नहीं है।

प्रश्नोत्तरी का समय

4


नीचे दी गई सेवाओं में से कौन-सी सेवाएँ हेल्दी वेल्दी नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली जीएसटी से मुक्त नहीं हैं?

(क) आंतरिक रोगियों को प्रतिदिन 6,000 रुपये शुल्क पर कमरे किराए पर देना।	(ख) आंतरिक रोगियों को प्रदान किया जाने वाला	(ग) नैचुरोपैथी के माध्यम से रोगियों का उपचार।	(घ) इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनका प्रतिदिन शुल्क 12,000 रुपये है।
---	---	---	---

5. सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

एंटी नंबर	सेवाओं का विवरण
4	संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के रूप में सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
5	संविधान के अनुच्छेद 243छ के तहत पंचायत को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के रूप में सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
6	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर — (क) डाक विभाग और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ; (ख) किसी विमान या जलयान से संबंधित सेवाएँ, चाहे वह बंदरगाह या हवाई अड्डे के परिसर के भीतर हो या बाहर; (ग) माल या यात्रियों का परिवहन; या

	(घ) उपरोक्त प्रविष्टि (क) से (ग) में शामिल सेवाओं को छोड़कर, किसी भी व्यवसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा।
7	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस व्यवसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसकी पिछली वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक टर्नओवर उस सीमा तक हो, जिसके कारण वह केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट की पात्र हो।</p> <p>व्याख्या: इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रविष्टि के प्रावधान निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होंगे:-</p> <p>(i) ऊपर प्रविष्टि 6 के आइटम (क), (ख) और (ग)।</p> <p>(ii) अचल संपत्ति को किराए पर देने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
8	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p><i>हालाँकि, इस प्रविष्टि में शामिल कोई भी प्रावधान ऊपर प्रविष्टि 6 के आइटम (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा।</i></p>
9	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनके लिए प्राप्त विचार 5,000 रुपये से अधिक नहीं हैं।</p> <p>हालाँकि, इस प्रविष्टि में शामिल कोई भी प्रावधान ऊपर प्रविष्टि 6 के आइटम (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा।</p> <p>अतिरिक्त रूप से, यदि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी सेवा की सतत आपूर्ति * प्रदान की जाती है, तो छूट केवल उसी स्थिति में लागू होगी जब उस सेवा के लिए वित्तीय वर्ष में वसूल की जाने वाली राशि 5,000 रुपये से अधिक न हो।</p> <p>*जैसा कि भाग 2(33) में परिभाषित है।</p>
9C	सरकारी संस्था द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण, या किसी ऐसे व्यक्ति को सेवाएँ प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, और इसके लिए प्राप्त भुगतान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुदान के रूप में किया गया हो।

<p>9D</p>	<p>प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: वृद्धाश्रम संचालित : ✓ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या ✓ आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत कोई संस्था, अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले) को प्रति सदस्य प्रति माह अधिकतम ₹25,000 तक के विचार के बदले सेवाएँ प्रदान करती है, बशर्ते कि वसूला गया विचार भोजन, आवास और रखरखाव के शुल्क को शामिल करता हो।</p> 
<p>9E</p>	<p>रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, इस प्रकार – क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री ख) रिटायरिंग रूम / प्रतीक्षालय की सुविधा ग) क्लॉक रूम सेवाएँ; घ) बैटरी चालित कार सेवाएँ</p>
<p>9F</p>	<p>रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के एक ज़ोन/विभाग द्वारा रेलवे मंत्रालय (भारतीय रेल) के अन्य ज़ोन/विभागों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ²⁷।</p>
<p>24C</p>	<p>डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे कि पोस्टकार्ड, आंतरिक पत्र, बुक पोस्ट और सामान्य डाक (लिफाफे का वजन 10 ग्राम से कम हो)।</p>
<p>34A</p>	<p>केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपनी उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को उन उपक्रमों या पीएसयू द्वारा बैंकिंग कंपनियों और "वित्तीय संस्थानों" से लिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं।</p>

²⁷ उपरोक्त उल्लेखित सेवाओं के अलावा, "विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनमें रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) को उन अवसंरचनाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जो एसपीवी द्वारा निर्माण और स्वामित्व में रखी गई हैं, संविदा अवधि के दौरान पारिश्रमिक के बदले, तथा रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) द्वारा एसपीवी को उक्त अवसंरचना से संबंधित रखरखाव की सेवाएँ, संविदा अवधि के दौरान पारिश्रमिक के बदले प्रदान की जाती हैं," भी छूट प्राप्त हैं, जिसे अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।

सर्कुलर संख्या 154/10/2021 जीएसटी दिनांक 17.06.2021 पुनः स्पष्ट करता है कि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उनके उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू) के लिए ऋण की गारंटी देना विशेष रूप से प्रविष्टि 34ए के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

47	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, इस प्रकार -</p> <p>(a) किसी भी समय लागू कानून के तहत आवश्यक पंजीकरण;</p> <p>(b) कर्मचारियों, उपभोक्ताओं या आम जनता की सुरक्षा या संरक्षण से संबंधित परीक्षण, कैलिब्रेशन, सुरक्षा जांच या प्रमाणन, जिसमें फायर लाइसेंस शामिल है, जो किसी भी समय लागू कानून के तहत आवश्यक हो।</p>
61	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
62	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अनुबंध के प्रदर्शन में विफलता को सहन करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके तहत अनुबंध के अनुसार जुर्माने या निहित नुकसान के रूप में भुगतान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को किया जाता हो।</p>
63	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्तिगत किसान को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार सौंपने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशु पालन (घोड़ों के पालन को छोड़कर) के लिए खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों के उत्पादन हेतु हों।</p>
65	<p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकारियों को कार्यालयीन समय के बाद या छुट्टियों पर आयात-निर्यात माल से संबंधित निरीक्षण, कंटेनर स्टफिंग या अन्य इसी प्रकार के कार्यों के लिए नियुक्त करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए व्यापारी ओवरटाइम शुल्क का भुगतान किया जाता हो।</p>
65B	<p>राज्य सरकार द्वारा अधिक रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनमें राज्य सरकार की ओर से खनन पट्टा धारकों द्वारा खनिज पर रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार सौंपना शामिल है।</p> <p>हालांकि, संविदा अवधि के अंत में, ईआरसीसी को राज्य सरकार को एक लेखा प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि खनन पट्टा धारकों द्वारा रॉयल्टी पर जमा किया गया जीएसटी, राज्य सरकार द्वारा ईआरसीसी को रॉयल्टी संग्रह का अधिकार सौंपने पर प्रदान की गई सेवा पर छूट प्राप्त जीएसटी से अधिक है; और यदि खनन पट्टा धारकों द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी छूट प्राप्त जीएसटी से कम है, तो</p>

छूट उस राशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टा धारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर होगी तथा ईआरसीसी को राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी एकत्र करने के अधिकार के हस्तांतरण के लिए ईआरसीसी को प्रदान की गई सेवा पर छूट प्राप्त जीएसटी और रॉयल्टी पर खनन पट्टा धारकों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के बीच के अंतर का भुगतान करना होगा। स्पष्टीकरण-**खनन पट्टा धारक**"से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम की भाग 15(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज रियायत प्रदान की गई है।"

74ए



पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा चिकित्सीय प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित या आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के अंतर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्रों में पुनर्वास, चिकित्सा या परामर्श तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्य गतिविधियों के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ।



विश्लेषण

प्रासंगिक परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

- **व्यावसायिक इकाई:** इसका तात्पर्य व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति से है।
- **सरकारी प्राधिकारी:** इसका अर्थ है कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय,
 - (i) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित; या
 - (ii) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,



संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत किसी नगरपालिका को या संविधान के अनुच्छेद 243छ के तहत किसी पंचायत को सौंपे गए किसी कार्य को पूरा करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या अधिक भागीदारी के साथ।

- **सरकारी संस्था:** इसका अर्थ है कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है,
 - (i) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित; या
 - (ii) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90% या अधिक भागीदारी के साथ।
- **एयरक्राफ्ट:** इसका तात्पर्य ऐसी किसी भी मशीन से है जो पृथ्वी की सतह के विरुद्ध वायु की प्रतिक्रियाओं के अलावा, वायु की प्रतिक्रियाओं से वायुमंडल में समर्थन प्राप्त कर सकती है और इसमें गुब्बारे, चाहे स्थिर हों या मुक्त, हवाई जहाज, पतंग, ग्लाइडर और उड़ने वाली मशीनें शामिल हैं [वायुयान अधिनियम, 1934 की भाग 2(1)]।
- **एयरपोर्ट:** इसका तात्पर्य वायुयानों के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ क्षेत्र से है, जिसमें आमतौर पर रनवे और वायुयान रखरखाव तथा यात्री सुविधाएं होती हैं और इसमें वायुयान अधिनियम, 1934 की भाग 2(2) [भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की भाग 2(बी)] में परिभाषित हवाई अड्डा शामिल है।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट

- **सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ कर से मुक्त नहीं हैं उदाहरण के लिए, निम्नलिखित सेवाएँ छूट प्राप्त नहीं हैं:**

- (क) डाक विभाग और रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) द्वारा सेवाएं;
- (ख) किसी हवाई अड्डे या बंदरगाह के परिसर के अंदर या बाहर, किसी विमान या जलयान से संबंधित सेवाएं;
- (ग) माल या यात्रियों का परिवहन; या
- (घ) उपरोक्त (क) से (ग) तक के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के अतिरिक्त कोई भी सेवा, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रदान की जाती है [जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार इतनी राशि से अधिक है कि जिससे वे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट के लिए अर्ह होते हैं]।

उपरोक्त खंड (ए) से (सी) में उल्लिखित सेवाओं को इस प्रकार संदर्भित किया गया है

“निर्दिष्ट सेवाएँ” नीचे चर्चा की गई हैं।



वायु सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता अपने कर्मियों को गंदगी और इसी तरह की अन्य गड़बड़ियां

- वायु सेना मेस और अन्य समान मेस, जैसे सेना मेस, नौसेना मेस, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के मेस द्वारा अपने कर्मियों या किसी व्यावसायिक इकाई के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली आवास सेवाएं प्रविष्टि 6 के अंतर्गत आती हैं, बशर्ते कि ऐसे मेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में मानी जाने योग्य हों।²⁹

आइये सबसे पहले यह समझें कि 'सरकार' और 'स्थानीय प्राधिकरण' का क्या अर्थ है?

सरकार का अर्थ

- भाग 2(53) के अनुसार, 'सरकार' का तात्पर्य केन्द्र सरकार से है।
- विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों (विधानसभाओं सहित) के जीएसटी अधिनियमों में 'सरकार' की परिभाषा संबंधित राज्यों की सरकार के रूप में दी गई है।



राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्रों (राज्य विधानमंडलों के बिना) के लिए, 'सरकार' का अर्थ प्रशासक या कोई प्राधिकरण या अधिकारी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- नियामक निकाय/एजेंसियां, उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रेस परिषद, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, वायदा बाजार आयोग, भारतीय अंतर्देशीय जल आपूर्ति प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सरकार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ

- स्थानीय प्राधिकरण को खंड 2(69) में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ निम्नलिखित है:
 - ✓ संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग (घ) में परिभाषित "पंचायत";
 - ✓ संविधान के अनुच्छेद 243पी के भाग (ड) में परिभाषित "नगरपालिका";
 - ✓ एक नगर समिति, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड, और कोई अन्य प्राधिकरण जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विधिक रूप से अधिकृत हो या सौंपा गया हो।

²⁹ परिपत्र संख्या 190/02/2023 जीएसटी दिनांक 13.01.2023

- ✓ **कैंटोनमेंट बोर्ड**, जैसा कि कैंटोनमेंट अधिनियम, 2006 की खंड 3 में परिभाषित है;
- ✓ संविधान के छोटे अनुसूची के तहत गठित एक **क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद**;
- ✓ संविधान के अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371जे के तहत गठित एक विकास बोर्ड;
- ✓ संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद।

अतः 'स्थानीय प्राधिकरण' में केवल वे ही निकाय सम्मिलित होंगे जो उपरोक्त परिभाषा में सूचीबद्ध हैं। इसे अन्य निकाय जो केवल स्थानीय कानून के तहत 'स्थानीय निकाय' के रूप में वर्णित हैं, शामिल नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, स्थानीय विकास प्राधिकरण – जो राज्य सरकारों द्वारा विकासात्मक कार्यों के लिए स्थापित किए गए हैं – जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, अहमदाबाद विकास प्राधिकरण, बेंगलूर विकास प्राधिकरण आदि, स्थानीय प्राधिकरण के रूप में योग्य नहीं हैं।

आगे के पैराग्राफ में हमने कुछ सरकारी सेवाओं की जांच की है:

किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- ❑ प्रविष्टि 7 में यह प्रावधान है कि किसी व्यवसायिक इकाई को प्रदान की गई सेवाएं छूट प्राप्त होंगी, यदि उसका कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि तक हो जो उसे सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती हो।
- ❑ हालांकि, यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं तथा अचल संपत्ति के पट्टे पर देने पर लागू नहीं होती है। अचल संपत्ति के संदर्भ में पट्टा देना अर्थात् किसी अचल संपत्ति में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से पहुँच, प्रवेश, अधिभोग, उपयोग या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करना, अनुमति देना या स्वीकृत करना, चाहे उक्त अचल संपत्ति के अधिकार या नियंत्रण का हस्तांतरण हो या न हो, और इसमें अचल संपत्ति के संबंध में पट्टे पर देना, लीज़ देना, लाइसेंसिंग या अन्य समान व्यवस्था सम्मिलित है।
- ❑ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली **निर्दिष्ट सेवाओं** के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर [जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार इतनी राशि से अधिक है कि वे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र हैं] उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी देय होगा।

हालांकि, रिवर्स चार्ज प्रावधान अचल संपत्ति के पट्टे पर देने की सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं जब ये सेवाएं पंजीकृत नहीं किए गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं तथा जहाँ 'निर्दिष्ट सेवाएं' ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान को प्रदान की जा रही हैं। [रिवर्स चार्ज प्रावधानों के लिए इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय - 3: जीएसटी का शुल्क देखें]।

डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- ❑ डाक विभाग द्वारा मौलिक डाक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिन्हें डाक सेवाएँ कहा जाता है, जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, पुस्तक डाक, रजिस्टर्ड डाक, जो डाक विभाग द्वारा सार्वभौमिक डाक दायित्वों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रदान की जाती हैं। यह धन अंतरण लिए मनी ऑर्डर, बचत खाते का संचालन, डाक आदेश जारी करना, पेंशन भुगतान तथा अन्य इसी प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है।
- ❑ इसके अतिरिक्त, यह म्यूचुअल फंड, बॉण्ड, पासपोर्ट आवेदन पत्रों का वितरण, टेलीफोन एवं बिजली बिलों का कमीशन आधारित संग्रह जैसी सेवाएँ भी प्रदान करता है। ये सेवाएँ मध्यस्थता प्रकृति की होती हैं और सामान्यतः एजेंसी सेवाओं के रूप में जानी जाती हैं।
- ❑ प्रविष्टि 6 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ छूट प्राप्त हैं, जिसमें डाक विभाग और रेल मंत्रालय (भारतीय रेलवे) की सेवाएँ शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रविष्टि 24सी के तहत डाक विभाग द्वारा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, पुस्तक डाक और सामान्य डाक (10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफे) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ छूट प्राप्त हैं। अतः डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के बिना कर देय होगा।



के



सरकार के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सरकारी विभाग

- ❑ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के एक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के दूसरे विभाग को प्रदान की जाने वाली सेवाएं (निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर) प्रविष्टि 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं।

पंचायत/नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के द्वारा सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।



संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के रूप में सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ तथा संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायत



को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के रूप में सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्रविष्टि 4 और प्रविष्टि 5 के अनुसार क्रमशः छूट प्राप्त हैं।

सरकारी पुलिस/सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पीएसयूज, कॉर्पोरेट संस्थाओं या निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित खेल आयोजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

- पुलिस/सरकार की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं।



- इस प्रकार की सेवाएँ करयोग्य आपूर्तियाँ होती हैं तथा प्राप्तकर्ताओं को ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार को दिए गए प्रतिफल की राशि पर रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। [रिवर्स चार्ज प्रावधानों के लिए इस अध्यायन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय - 3: जीएसटी का शुल्क देखें]।

³⁰ संविधान के अनुच्छेद 243 ब की बारहवीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को सौंपे गए कार्यों में शहरी नियोजन, सड़क और पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएँ, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना, शहरी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान, सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएँ आदि का प्रावधान शामिल है।

³¹ संविधान के अनुच्छेद 243 छ की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायत को सौंपे गए कार्यों में कृषि, कृषि विस्तार सहित, पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग, पेयजल, ईंधन और चारा, बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं।



(28) कर्नाटक क्रिकेट संघ, बेंगलुरु क्रिकेट मैच के आयोजन हेतु क्रिकेट स्टेडियम के भीतर तथा उसके आसपास सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त से अनुरोध करता है।

पुलिस आयुक्त सहमत प्रतिफल पर आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस स्थिति में, पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएँ कर से मुक्त नहीं हैं।

चूंकि सेवाएँ सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं, कर्नाटक क्रिकेट संघ प्रतिफल पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, यद्यपि रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत।

किसी अनुबंध के गैर-निष्पादन को सहन करने के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ

- किसी अनुबंध का पालन न करना या अनुबंध का उल्लंघन, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकारी अनुबंधों में सामान्यतः निर्धारित शर्तों में से एक है। पक्षों के बीच किए गए समझौते में यह शर्त होती है कि सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे।
- यदि किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारणवश, जिसमें अनुबंध का पालन न किया जाना भी शामिल है, अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे पक्ष को दंड या जुर्माने के रूप में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होता है। **अनुबंध का पालन न किए जाने को सहन करना एक ऐसी गतिविधि या लेन-देन है जिसे सेवा की आपूर्ति माना गया है** [अनुसूची II के अनुसार - जैसा कि इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल के अध्याय 2 – जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति में समझाया गया है] और ऐसे व्यक्ति को यह माना जाता है कि उसे दंड या जुर्माने के रूप में प्रतिफल प्राप्त हुआ है तथा तदनुसार, उसे उक्त राशि पर कर का भुगतान करना होता है।

³² सीबीआईसी के दिनांक 03.08.2022 के परिपत्र संख्या 178/08/2022 जीएसटी में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, जहाँ 'परिसमाप्त क्षति' के रूप में भुगतान की गई राशि केवल अनुबंध के उल्लंघन के कारण पीड़ित पक्ष को हुई चोट, हानि या क्षति की भरपाई के लिए भुगतान की जाती है और परिसमाप्त क्षति प्राप्त करने वाले पीड़ित पक्ष द्वारा परिसमाप्त क्षति का भुगतान करने वाले पक्ष के लिए किसी कार्य से परहेज करने या उसे सहन करने या कुछ भी करने का कोई स्पष्ट या निहित समझौता नहीं होता है, ऐसे मामलों में परिसमाप्त क्षति अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष से उस पक्ष को धन का प्रवाह मात्र होती है जिसे ऐसे उल्लंघन के कारण हानि या क्षति होती है। ऐसे भुगतान किसी आपूर्ति के लिए प्रतिफल नहीं होते हैं और कर योग्य नहीं होते हैं।

- तथापि, सरकार को की गई आपूर्ति के मामले में, सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबंध के गैर-निष्पादन को सहन करने के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं प्रविष्टि 62 के तहत छूट के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार, अनुबंध के गैर-निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता से सरकार द्वारा प्राप्त कोई भी राशि कर से मुक्त है।




(29) कर्नाटक का लोक निर्माण विभाग ने एक सहमत प्रतिफल पर अपने कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु मि./श्री एबीसी, एक निर्माण कंपनी, के साथ एक अनुबंध किया। 10 जुलाई को दिनांकित अनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा यह सहमति दी गई कि मि./श्री एबीसी निर्माण कार्य को पूर्ण कर 31 दिसंबर या उससे पूर्व परियोजना को सुपुर्द करेगा।

यह भी सहमति हुई कि अनुबंध की शर्तों का किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, दूसरा पक्ष हानि या दंड की भरपाई की मांग करने का अधिकार रखेगा। मि./श्री एबीसी ने निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया और न ही निर्धारित तिथि अर्थात् 31 दिसंबर या उससे पूर्व परियोजना को सुपुर्द किया।

अनुबंध के अनुसार, विभाग ने मि./श्री एबीसी से हानि/दंड की मांग की और भुगतान न किए जाने की स्थिति में न्यायालय जाने की चेतावनी दी। परिणामस्वरूप, मि./श्री एबीसी ने अनुबंध का पालन न करने के लिए विभाग को ₹10,00,000/- की राशि का भुगतान किया। मि./श्री एबीसी द्वारा विभाग को किया गया यह भुगतान कर के भुगतान से मुक्त है।

6. निर्माण सेवाएं

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
10	<p>आवास के लिए सभी (शहरी) मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी-प्रेरित व्यक्तिगत गृह निर्माण या सुधार से संबंधित किसी भी नागरिक संरचना या अन्य मूल कार्यों के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग, इन्स्टॉलेशन, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या परिवर्तन के शुद्ध श्रम अनुबंध द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> 

10ए	कृषि उपयोग के लिए किसान या कृषि कार्यकर्ता के ट्यूबवेल तक विद्युत वितरण नेटवर्क को विस्तारित करने हेतु अवसंरचना के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग या इन्स्टॉलेशन के माध्यम से विद्युत वितरण उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
11	एकल आवासीय इकाई से संबंधित मूल कार्यों के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग या इन्स्टॉलेशन के शुद्ध श्रम अनुबंध के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो आवासीय परिसर के भाग के रूप में न हों।



विश्लेषण

सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना (इसके बाद पीएमएवाई के रूप में संदर्भित) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें 2022 तक सभी के लिए आवास का प्रावधान करने की परिकल्पना की गई है जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा।

मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है:

- भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी डेवलपर्स की भागीदारी से झुग्गीवासियों का पुनर्वास।
- ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास।
- लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन के लिए सब्सिडी।

मिशन का अंतिम घटक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के पात्र परिवारों को नए घर बनाने या अपने मौजूदा घरों का विस्तार करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि उन लाभार्थियों को भी शामिल किया जा सके जो मिशन के अन्य घटकों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे परिवार मिशन के तहत नए घरों के निर्माण या मौजूदा घरों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता की एक निर्दिष्ट राशि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रविष्टि 10 निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग, स्थापना, समापन, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण, या नागरिक संरचना या किसी अन्य मूल के परिवर्तन के शुद्ध श्रम अनुबंधों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को छूट दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा संचालित व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्द्धन से संबंधित कार्यों को जीएसटी से मुक्त रखा गया है।

शब्द 'मूल रचनाएँ' मतलब-

- सभी नए निर्माण;
- भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त संरचनाओं में सभी प्रकार के जोड़-तोड़ और परिवर्तन जो उन्हें कार्यक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं;
- प्लांट, मशीनरी या उपकरणों या संरचनाओं का निर्माण, कमीशनिंग या स्थापना, चाहे व पूर्वानामित हा या अन्यथा।



प्रविष्टि 11 आवासीय परिसर के एक भाग के अलावा किसी एकल आवासीय इकाई से संबंधित मूल कार्यों के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग या स्थापना के विशुद्ध श्रम अनुबंधों के माध्यम से सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

शब्द 'रिहायशी कॉम्प्लेक्स' इसका तात्पर्य किसी भवन या भवनों से बने किसी परिसर से है, जिसमें एक से अधिक आवासीय इकाइयाँ हों। इसके अतिरिक्त, 'एकल आवासीय इकाई' इसका तात्पर्य एक स्व-निहित आवासीय इकाई से है, जिसे पूर्णतः या मुख्यतः एक परिवार के आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है।

7. यात्री परिवहन सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
15	<p>सामान के साथ/बिना सामान के यात्रियों का परिवहन -</p> <p>(क) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य में स्थित हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली या उस पर समाप्त होने वाली या पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में स्थित हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली इकोनॉमी क्लास की हवाई सेवा;</p> <p>(ख) रूटो टैक्सी को छोड़कर, गैर-एयर कंडीशंड अनुबंधित वाहन, जो पर्यटक, संचालित दौरा, चार्टर या किराए पर वाहन सेवा को छोड़कर यात्रियों के परिवहन के लिए हो; अथवा</p> <p>(ग) एयर कंडीशंड स्टेज कैरिज को छोड़कर अन्य स्टेज कैरिज।</p> <p>हालांकि, उपर्युक्त (ख) और (ग) मदों में निहित कोई भी प्रावधान उन सेवाओं पर लागू नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और जिन्हें केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की भाग 9 की उप- भाग (5) के तहत अधिसूचित किया गया हो।</p>

16	<p>केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, संगत वस्तुओं के साथ या बिना, यात्रियों के परिवहन के द्वारा, हवाई मार्ग से, किसी आरसीएस (क्षेत्रीय संपर्क योजना) हवाई अड्डे से प्रस्थान करने या उस पर समाप्त होने वाली सेवा, जो व्यावसायिक असमर्थता निधि के रूप में प्रतिफल के विरुद्ध प्रदान की जाती है।</p> <p>हालांकि, इस प्रविष्टि में निहित कोई भी प्रावधान आरसीएस हवाई अड्डे के संचालन की प्रारंभ तिथि से तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो, लागू नहीं होगा।</p>
17	<p>सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों के परिवहन की सेवा, द्वारा—</p> <p>(क) रेलवे के अलावा किसी अन्य वर्ग में—</p> <p>(i) प्रथम श्रेणी; या</p> <p>(ii) एक वातानुकूलित कोच;</p> <p>(ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे;</p> <p>(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग;</p> <p>(घ) भारत में स्थित स्थानों के बीच जलयान द्वारा सार्वजनिक परिवहन, मुख्यतः पर्यटन प्रयोजन के अलावा; तथा</p> <p>(ङ) मीटरयुक्त कैब या ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा सहित)।</p> <p>तथापि, उपरोक्त मद (ई) में निहित कोई भी बात इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की गई सेवाओं पर लागू नहीं होगी, और सीजीएसटी, 2017 की भाग 9 की उप- भाग (5) के तहत अधिसूचित की जाएगी।</p>



विश्लेषण

यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ सामान्यतः जीएसटी के दायरे में आती हैं। प्रविष्टि 6 [सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ - पूर्व में चर्चा की गई] स्पष्ट रूप से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रियों के परिवहन की सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखती है, जिसका अर्थ है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ जीएसटी के दायरे में आती हैं। हालांकि, ऊपर उल्लिखित प्रविष्टि 15, 16 और 17 में निर्दिष्ट यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ (चाहे सरकार द्वारा प्रदान की गई हों या अन्यथा), संगत वस्तुओं के साथ या बिना, जीएसटी से मुक्त हैं।

यात्रियों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

प्रविष्टि 15

खंड (क)

- पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में स्थित हवाई अड्डे या पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में हवाई जहाज से आने या जाने वाले यात्रियों के परिवहन को जीएसटी से छूट दी गई है, बशर्ते कि परिवहन इकोनॉमी क्लास में हो।



(30) ऋतुराज ने दिल्ली से गुवाहाटी, असम के लिए एक उड़ान की इकोनॉमी क्लास की हवाई टिकट बुक की है। असम में स्थित हवाई अड्डे पर समाप्त होने वाली हवाई मार्ग द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

खंड (ख)

- रेडियो टैक्सी के अलावा, यात्रियों के परिवहन के लिए गैर-वातानुकूलित अनुबंधित गाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवा, पर्यटन, संचालित भ्रमण, चार्टर या किराये को छोड़कर, जीएसटी से मुक्त है। संचालित भ्रमण किसी स्थान की एक छोटी यात्रा होती है जिसमें कोई व्यक्ति आपको उस स्थान का भ्रमण कराता है और उसके बारे में जानकारी देता है।³³

शब्द **अनुबंध गाड़ी** इसका अर्थ है एक मोटर वाहन जो यात्री या यात्रियों को किराए या पारिश्रमिक पर ले जाता है और एक अनुबंध के तहत नियोजित होता है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित, ऐसे वाहन के उपयोग के लिए समग्र रूप से उसमें वर्णित यात्रियों की दुलाई के लिए और धारक के साथ एक व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध

ऐसे वाहन या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के संबंध में किसी निश्चित या सहमत दर या राशि पर परमिट का-

(क) समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के संदर्भ में हो या नहीं; या

³³www.macmillandictionary.com

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और किसी भी स्थिति में, यात्रा के दौरान कहीं भी अनुबंध में शामिल न किए गए यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुके बिना, और इसमें शामिल हैं--

- (i) एक मैक्सीकैब; और
- (ii) मोटर कैब पर इस बात के बावजूद कि उसके यात्रियों के लिए अलग से किराया लिया जाता है [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की भाग 2(7)]।

आगे, **रेडियो टैक्सी** इसका अर्थ है एक टैक्सी जिसमें रेडियो कैब भी शामिल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ दो-तरफ़ा रेडियो संचार में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जनरल पैकेट रेडियो सेवा का उपयोग करके ट्रैकिंग के लिए सक्षम है।



(31) सुब्रतो ने दिल्ली से जयपुर तक एक मनोरंजन यात्रा के आयोजन के लिए मोहित ट्रेवल्स से एक गैर-एयर कंडीशंड बस किराये पर ली है। गैर-एयर कंडीशंड अनुबंधित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जीएसटी से मुक्त है। हालांकि, पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया गया यात्रियों का उक्त परिवहन इस छूट के दायरे से बाहर है। अतः, इस स्थिति में यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ करयोग्य हैं।

फर्मों द्वारा गैर-वातानुकूलित अनुबंध गाड़ियों को किराये पर लेना अपने कर्मचारियों को काम पर लाने और ले जाने के लिए परिवहन

इस प्रविधान के अंतर्गत छूट उन यात्रियों के परिवहन सेवाओं पर लागू होगी जो गैर-एयर कंडीशंड अनुबंधित वाहनों द्वारा पूर्व-निर्धारित मार्ग और पूर्व-निर्धारित समय-सारणी के अनुसार की जाती हैं। यह छूट तब लागू नहीं होगी जब अनुबंधित वाहन को एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर लिया जाता है, जिसके दौरान अनुबंधित वाहन सेवा प्राप्तकर्ता के अधीन होता है और सेवा प्राप्तकर्ता सेवा प्रदाता के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अधीन मार्ग और समय-सारणी तय करने के लिए स्वतंत्र होता है³⁴।

खंड (ग)

- वातानुकूलित स्टेज कैरिज के अलावा स्टेज कैरिज द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाएं भी छूट प्राप्त हैं।

³⁴ परिपत्र संख्या 177/09/2022 जीएसटी दिनांक 03.08.2022

स्टेज कैरिज शब्द का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जो 6 से अधिक यात्रियों को किराए या पारिश्रमिक के आधार पर ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया हो, जिसमें व्यक्तिगत यात्रियों द्वारा या उनके लिए अलग-अलग किराया, संपूर्ण यात्रा या यात्रा के चरणों के लिए, अदा किया जाता है [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की भाग 2(40)]।



(32) गैर-एयर कंडीशंड बसों का संचालन एक राज्य परिवहन निगम द्वारा राज्य के भीतर यात्रियों के परिवहन के लिए किया जा रहा है। यात्रियों को विभिन्न स्थानों से चढ़ाया और उतारा जा रहा है तथा उन्हें व्यक्तिगत टिकट जारी किए जा रहे हैं। उक्त राज्य परिवहन निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

नियम

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामले में जहां पर्यटन को छोड़कर रेडियो टैक्सी के अलावा गैर-वातानुकूलित अनुबंध गाड़ी द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएं, संचालित यात्रा, चार्टर या किराया या गैर-वातानुकूलित स्टेज कैरिज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।³⁵ ऐसी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, ऐसी सेवाओं पर कर का भुगतान ईसीओ द्वारा किया जाएगा।

प्रविष्टि 16

□ आरसीएस हवाई अड्डे से उड़ान भरने या वहां समाप्त होने वाले यात्रियों के हवाई परिवहन के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में विचार के विरुद्ध छूट प्राप्त हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना को क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, ताकि विमानन ऑपरेटरों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह योजना निम्नलिखित के माध्यम से सहायता प्रदान करती है: (1) क्षेत्रीय मार्गों पर विमान परिचालन की लागत को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों तथा हवाई अड्डा प्राधिकरणों द्वारा रियायतें/अन्य सहायक उपाय और (2) ऐसे मार्गों पर विमान परिचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच यदि कोई अंतर हो, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता (व्यवसायिक असमर्थता निधि अथवा वीजीएफ)।

आरसीएस के अंतर्गत, भारत के कम सुविधा वाले हवाई अड्डों को उड़ानों के माध्यम से प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ने का लक्ष्य है, जिनकी प्रति घंटे उड़ान की लागत 2,500 रुपये होगी।

³⁵ अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल में अध्याय 3 - जीएसटी का प्रभार में ईसीओ से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रविष्टि 17

□ निम्नलिखित निर्दिष्ट परिवहन साधनों द्वारा यात्रियों के परिवहन को छूट दी गई है:

(क) रेलवे के अलावा किसी अन्य वर्ग में—

(i) प्रथम श्रेणी; या

(ii) एक वातानुकूलित कोच;

(ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग;

(घ) भारत में स्थित स्थानों के बीच जलयान द्वारा सार्वजनिक परिवहन, मुख्यतः पर्यटन प्रयोजन के अलावा; तथा

(ङ) मीटरयुक्त कैब या ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा सहित)।

शब्द **मीटर वाली कैब** का तात्पर्य किसी ऐसे ठेका गाड़ी से है जिस पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक नियमों के तहत अनुमोदित प्रकार और निर्माण का एक स्वचालित उपकरण लगा हुआ है जो किसी भी समय प्रभार्य किराए की रीडिंग को इंगित करता है और जिसे लिया जाता है

तदनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत जारी किए गए परमिट की शर्तों के अधीन (लेकिन इसमें रेडियो टैक्सी शामिल नहीं है)।



शब्द **ई-रिक्शा** इसका अर्थ है एक विशेष प्रयोजन बैटरी चालित वाहन जिसकी शक्ति 4000 वाट से अधिक न हो, जिसमें माल या यात्रियों को ले जाने के लिए तीन पहिये हों, जैसा भी मामला हो, किराए या पारिश्रमिक के लिए, निर्मित, निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित इस संबंध में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार।



यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन मामलों में मीटर वाली कैब या ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा सहित) द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ ईसीओ के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, ऐसी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, ऐसी सेवाओं पर कर ईसीओ द्वारा चुकाया जाएगा।



प्रविष्टि 17 का खंड (घ)

प्रविष्टि 17 के खंड (घ) में जहाजों द्वारा यात्रियों के परिवहन के संबंध में [ऊपर दी गई तालिका देखें], शब्द 'मुख्यतः पर्यटन उद्देश्य के अलावा' पूर्ववर्ती शब्दों को योग्य बनाएं "सार्वजनिक परिवहन"। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए भारत में स्थित स्थानों के बीच जहाज द्वारा सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए।

भारत में स्थित स्थानों के बीच चलने वाले सामान्य सार्वजनिक जहाज या अन्य जलयान इस प्रविष्टि में शामिल होंगे, भले ही उनमें सवार कुछ यात्री पर्यटन के लिए सेवा का उपयोग कर रहे हों, क्योंकि मुख्यतः ऐसी सेवा पर्यटन के उद्देश्य से नहीं होती। हालाँकि, पर्यटन के प्रमुख उद्देश्य वाले अवकाश/चार्टर जलयानों/क्रूज जहाज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, यहाँ शामिल नहीं होंगी, भले ही ऐसे जलयानों में सवार कुछ यात्री पर्यटक न हों।



(33) कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर (मुख्य भूमि से द्वीप) या पोर्ट ब्लेयर से नील द्वीप (द्वीपों के बीच) तक जहाज द्वारा यात्रियों का परिवहन [जो मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से नहीं है] प्रविष्टि 17 की उप-प्रविष्टि (घ) के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसा परिवहन भारत के भीतर स्थित दो स्थानों के बीच किया जाता है।

जहाँ ऐसा सार्वजनिक परिवहन निजी संचालकों के स्वामित्व में हो। उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक परिवहन के साधन के रूप में निजी नौकाओं का उपयोग किया जाता है। प्रविष्टि 17(घ) के अंतर्गत छूट एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए खरीदे गए टिकटों पर लागू होगी, चाहे नौका किसी निजी क्षेत्र के उद्यम के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित हो या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकार द्वारा।

इस प्रविष्टि में प्रयुक्त 'सार्वजनिक परिवहन' शब्द का तात्पर्य केवल इतना है कि परिवहन सेवा जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। यह परिवहन सेवा निजी या सार्वजनिक स्वामित्व में हो सकती है। केवल अपवर्जन उस परिवहन पर लागू होता है जो मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि ऐसी सेवाएँ जो परिवहन के साथ-साथ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, भोजन और पेय, संगीत, आवास आदि को सम्मिलित करती हैं, जैसे शिकारा, क्रूज आदि³⁶।



³⁶ परिपत्र संख्या 177/09/2022 जीएसटी दिनांक 03.08.2022



निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जीएसटी से मुक्त नहीं हैं?

<p>(क) एयर कंडीशंड वैन द्वारा कर्मचारियों के परिवहन की सेवाएँ, जो पूर्व-निर्धारित मार्ग और पूर्व-निर्धारित समय-सारणी पर पिकअप और ड्रॉप के लिए प्रदान की जाती हैं।</p>	<p>(ख) रेलमार्ग द्वारा यात्रियों का परिवहन, स्लिपर क्लास में।</p>	<p>(ग) ऑटो रिक्शा में यात्रियों का परिवहन।</p>	<p>(घ) दिल्ली से मणिपुर तक हवाई मार्ग से, इकोनॉमी क्लास में, यात्रियों का परिवहन।</p>
---	---	--	---

8. माल परिवहन सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
18	<p>माल के परिवहन के माध्यम से सेवाएँ-</p> <p>(क) सड़क मार्ग से, सिवाय निम्नलिखित सेवाओं के—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) माल परिवहन एजेंसी; (ii) एक कूरियर एजेंसी; <p>(ख) अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा।</p>
20	<p>रेल या जलयान द्वारा भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्नलिखित वस्तुओं के परिवहन की सेवाएँ -</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 70%;"> <p>(क) राहत सामग्री प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपत्तियों, दुर्घटनाओं या दुर्घटना के पीड़ितों के लिए;</p> <p>(ख) रक्षा या सैन्य उपकरण;</p> <p>(ग) समाचार पत्र या पत्रिकाएँ समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत;</p> <p>(घ) कृषि उपज;</p> </div> <div style="width: 25%;">   </div> </div>

	(ड) दूध, नमक और अनाज आटा, दालें और चावल सहित; और (च) जैविक खाद.
माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा	
21	<p>माल परिवहन एजेंसी द्वारा माल गाड़ी में परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं -</p> <p>(क) कृषि उपज; (ख) दूध, नमक और खाद्यान्न जिसमें आटा, दालें और चावल शामिल हैं; (ग) जैविक खाद; (घ) समाचार पत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएँ; (ङ) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपत्तियों, दुर्घटनाओं या दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री; या (च) रक्षा या सैन्य उपकरण।</p>
21ए	<p>जीटीए द्वारा अप्रतिबंधित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसमें अप्रतिबंधित आकस्मिक करदायी व्यक्ति भी शामिल है, निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं को छोड़कर, अर्थात् -</p> <p>(क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत/शासित कोई कारखाना; या (ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत या भारत के किसी भी हिस्से में लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत कोई सोसायटी; या (ग) किसी भी वर्तमान कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित कोई सहकारी समिति; या (घ) किसी भी समय लागू कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित कोई भी निगमित निकाय; या (ङ) कोई साझेदारी फर्म, चाहे वह किसी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं, जिसमें व्यक्तियों का संघ भी शामिल है; (च) केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, राज्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी आकस्मिक करदायी व्यक्ति।</p>



21बी

जीटीए द्वारा मालवाहक वाहन में माल के परिवहन की सेवा प्रदान करना, निम्नलिखित को, -

(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का कोई विभाग या स्थापना; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियां, जिन्होंने केवल भाग 51 के तहत कर कटौती के उद्देश्य से केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण लिया है, न कि वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए।



विश्लेषण

रेल/जलयान/जीटीए द्वारा मालवाहक वाहन में माल का परिवहन।

रेल या जलयान के माध्यम से या मालवाहक वाहन में जी.टी.ए. द्वारा निर्दिष्ट माल के परिवहन के लिए दी गई छूटें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई हैं:

रेल/जहाज/जीटीए द्वारा मालवाहक वाहनों में निम्नलिखित वस्तुओं का परिवहन छूट प्राप्त है

(क) कृषि उपज

(ख) दूध, नमक और खाद्यान्न जिसमें आटा, दालें और चावल शामिल हैं

(ग) जैविक खाद

(घ) समाचार पत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएँ

(ङ) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, विपतियों, दुर्घटनाओं या दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री

(च) रक्षा या सैन्य उपकरण


**मालवाहक वाहन का अर्थ है ऐसा कोई भी मोटर वाहन जो केवल माल के परिवहन के लिए निर्मित या अनुकूलित हो, अथवा ऐसा कोई मोटर वाहन जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो, लेकिन जब वह माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त हो।

सड़क मार्ग से माल का परिवहन

- सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवाएँ प्रविष्टि 18 के अंतर्गत जीएसटी से मुक्त हैं। जीटीए और क्रियर सेवाएँ इस छूट के अपवाद हैं। हालाँकि, किसी अपंजीकृत व्यक्ति [अपंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति सहित] को प्रदान की गई जीटीए सेवाएँ³⁷] प्रविष्टि 21ए के आधार पर जीएसटी से मुक्त हैं।
- इसके अलावा, पंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई जीटीए सेवाएं, भले ही वे जीएसटी कानून के तहत अपंजीकृत हों, कर के लिए उत्तरदायी हैं:
 - (i) कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखाना,
 - (ii) सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी,
 - (iii) सहकारी समिति,
 - (iv) निगमित निकाय और
 - (v) एओपी सहित साझेदारी फर्म।
- दूसरे शब्दों में, केवल अपंजीकृत व्यक्तिगत अंतिम उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली जीटीए सेवाएं, चाहे वह आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति हो या नहीं, जीएसटी से मुक्त हैं।
- इस प्रकार, जीटीए सेवाएं निम्नलिखित को प्रदान की गईं:
 - ✓ जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति और पंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, और
 - ✓ कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखाना, सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी, सहकारी सोसायटी, एओपी सहित कॉर्पोरेट निकाय और साझेदारी फर्म - चाहे जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं, कर के लिए उत्तरदायी हैं।
- जीटीए द्वारा माल गाड़ी में केन्द्रीय/राज्य सरकार (संघ शासित प्रदेश) विभाग या प्रतिष्ठान या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों को प्रदान की गई माल परिवहन सेवा, जिसने जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण केवल भाग 51 के तहत टीडीएस कटौती के उद्देश्य से लिया है, न कि माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए प्रविष्टि 21बी के तहत छूट प्राप्त है।

³⁷ इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय 9 - पंजीकरण में 'आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति' की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है।

आगे बढ़ने से पहले, अब हम जीटीए का अर्थ समझेंगे:



जीटीए कौन है जीटीए- माल परिवहन एजेंसी कौन है?

आइए माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) का अर्थ समझें। अधिसूचना में माल परिवहन एजेंसी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

- ❖ सड़क मार्ग द्वारा माल के परिवहन से संबंधित सेवा प्रदान करता है और
- ❖ कंसाइनमेंट नोट जारी करता है, जिसे किसी भी नाम से कहा जाए।
- इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि कंसाइनमेंट नोट जारी करना सेवा प्रदाता को जीटीए माना जाने के लिए अनिवार्य शर्त है। यदि ऐसे कंसाइनमेंट नोट का परिवाहक द्वारा जारी नहीं किया जाना है, तो वह सेवा प्रदाता जीटीए की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगा।
- यदि कोई कंसाइनमेंट नोट जारी किया जाता है, तो यह इंगित करता है कि माल पर ग्रहणाधिकार स्थानान्तरित कर दिया गया है (ट्रांसपोर्टर को) और ट्रांसपोर्टर माल की सुरक्षित डिलीवरी तक उसके लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। केवल ऐसे जीटीए की सेवाएँ, जो एजेंसी का काम संभालते हैं, जीएसटी के दायरे में लाई गई हैं।
- व्यक्तिगत ट्रक/टेम्पो ऑपरेटर जो कोई कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं करते हैं, वे जीटीए शब्द के अर्थ में शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, जो कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं करते हैं, अधिसूचना की प्रविष्टि 18 में दी गई प्रविष्टि के अंतर्गत आएंगी, जो जीएसटी से मुक्त हैं।



(34) हरि प्रसाद के स्वामित्व में एक ट्रक है और वह स्वयं उसका संचालन करता है। वह अपने ट्रक के लिए बुक किए गए माल को कंसाइनमेंट नोट जारी किए बिना ले जाता है। सड़क द्वारा माल परिवहन के रूप में हरि प्रसाद द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ प्रविष्टि 18 के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं।

□ **प्रेषण नोट** इसका अर्थ है एक दस्तावेज, जो माल गाड़ी में सड़क मार्ग से माल के परिवहन के प्रयोजन के लिए माल की प्राप्ति के विरुद्ध जीटीए द्वारा जारी किया जाता है, जो क्रमानुसार क्रमांकित होता है, और जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:



- ✓ प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम,
- ✓ उस मालवाहक वाहन का पंजीकरण नंबर जिसमें माल का परिवहन किया जाता है,
- ✓ परिवहन किए गए माल का विवरण,
- ✓ उत्पत्ति और गंतव्य स्थान का विवरण,
- ✓ माल का सकल वजन;
- ✓ कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का जीएसटीआईएन, चाहे वह प्रेषक हो, प्राप्तकर्ता हो या जीटीए हो
- ✓ कर चालान के लिए निर्धारित अन्य विवरण³⁸.

जीटीए की परिभाषा में 'के संबंध में' शब्द का महत्व

'संबंधित' शब्द के प्रयोग ने जीटीए की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें केवल माल के वास्तविक परिवहन को ही नहीं, बल्कि विभिन्न मध्यस्थ एवं सहायक सेवाएँ भी शामिल हैं, जैसे लोडिंग/अनलोडिंग, पैकिंग/अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट और अस्थायी गोदाम व्यवस्था, जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के दौरान प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ स्वतंत्र सेवाएँ नहीं हैं, बल्कि मुख्य सेवा अर्थात् सड़क द्वारा माल के परिवहन की सहायक सेवाएँ हैं। जीटीए द्वारा उक्त सेवा प्रदान करने के लिए जारी किया गया चालान मध्यस्थ एवं सहायक सेवाओं के मूल्य को भी सम्मिलित करता है।



सीबीआईसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जीटीए द्वारा सड़क मार्ग से माल के परिवहन के दौरान प्रदान की जाने वाली सहायक या संयोगिक सेवाएँ, जैसे लोडिंग/अनलोडिंग, पैकिंग/अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, अस्थायी गोदाम आदि, माल के परिवहन की समग्र आपूर्ति के रूप में मानी जाएंगी।

³⁸जीटीए और कंसाइनमेंट नोट का अर्थ ऊपर दिए गए अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है, जो मुख्य रूप से सीबीआईसी जीएसटी फ्लायर - अध्याय 38 - वस्तु परिवहन एजेंसी (जीएसटी में) पर आधारित है।

जीएसटी से छूट

जी.टी.ए. द्वारा प्रयुक्त इनवॉयसिंग पद्धति से सामान्यतः सेवा की समय आपूर्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

हालाँकि, यदि ऐसी सेवाएँ माल के परिवहन के दौरान प्रदान नहीं की जाती हैं और उनका चालान अलग से किया जाता है, तो इन सेवाओं को माल के परिवहन की समय आपूर्ति नहीं माना जाएगा।³⁹

कूरियर एजेंसी क्या है?

अधिसूचना में कूरियर एजेंसी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो समय-संवेदनशील दस्तावेजों, वस्तुओं या लेखों के डोर-टू-डोर परिवहन में लगा हुआ है तथा ऐसे दस्तावेजों, वस्तुओं या लेखों को ले जाने या उनके साथ ले जाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाएं लेता है।



अभिव्यक्त माल सेवा: कुछ परिवहक माल या वस्तुओं के द्वार-द्वार परिवहन का कार्य करते हैं और उन्होंने ऐसे माल या वस्तुओं के शीघ्र परिवहन तथा समय पर डिलीवरी के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।

ऐसी सेवाओं को समय पर डिलीवरी के आश्वासन के साथ 'एक्सप्रेस कार्गो सेवा' कहा जाता है। 'एक्सप्रेस कार्गो सेवा' द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति कूरियर एजेंसी के दायरे और परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए, सड़क मार्ग से माल के परिवहन से संबंधित उक्त सेवा इससे मुक्त नहीं है।

चालक सहित तैनात वाहनों द्वारा खनन क्षेत्र के भीतर खनिजों का परिवहन एक विशिष्ट समयावधि के लिए

विचार के लिए जो मुद्दा उठा, वह यह था कि क्या खनन क्षेत्र के भीतर खनिजों का परिवहन, जैसे कि खनन गड्ढे से रेलवे साइडिंग, लाभकारी संयंत्र आदि तक, एक विशिष्ट अवधि के लिए चालक के साथ तैनात वाहनों द्वारा, प्रविष्टि 18 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जो जीटीए को छोड़कर सड़क द्वारा माल के परिवहन को छूट देता है।

आमतौर पर ऐसे मामलों में, खनन पट्टा संचालक को टिपर, डम्पर, लोडर, ट्रक आदि वाहन किराए पर दिए जाते हैं। ईंधन का खर्च आमतौर पर सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। चालक सहित वाहन, अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार खदान क्षेत्र (खनन खदान से रेलवे साइडिंग, बेनिफिशिएशन प्लांट आदि) के भीतर खनिजों के परिवहन के लिए खनन पट्टा संचालक के अधीन होते हैं।

³⁹ जैसा कि परिवहन और रसद पर सीबीआईसी एफएक्यू के प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, जिसे परिपत्र संख्या 234/28/2024 जीएसटी दिनांक 11.10.2024 के साथ पढ़ा गया है।

ऐसी सेवाएँ और कुछ नहीं, बस "परिचालक के साथ परिवहन वाहनों की किराये की सेवाएँ" हैं। वाहन किराये पर लेने वाला व्यक्ति यह तय करता है कि वाहन कैसे और कब चलाए जाएँगे, समय-सारिणी, मार्ग और अन्य परिचालन संबंधी बातें तय करता है।

जो व्यक्ति ऑपरेटर के साथ वाहन किराये पर देता है, उसे माल परिवहन के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता।

तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को चालक सहित कुछ समय के लिए किराए पर देना, परिचालक सहित परिवहन वाहनों को किराए पर देने की सेवा है, न कि सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवा। परिणामस्वरूप, यह प्रविष्टि 18 के अंतर्गत छूट के लिए पात्र नहीं है।⁴⁰

प्रश्नोत्तरी समय!

6 सुंदर ट्रांसपोर्टर्स, एक जी.टी.ए. द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जी.एस.टी. से मुक्त नहीं हैं?

(क) एगो ब्रदर्स लिमिटेड को कार्बनिक खाद का परिवहन	(ख) श्रीमती ऋद्धिमा (अ-पंजीकृत) को प्रदान की गई घरेलू वस्तुओं का परिवहन	(ग) माल का परिवहन, जो मल्होत्रा एंड मल्होत्रा कंपनी - एक अपंजीकृत साझेदारी फर्म को प्रदान किया गया।	(घ) माल का परिवहन, जो दिल्ली नगर निगम को प्रदान किया गया।
---	---	---	---

9. बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
27	निम्न माध्यम से सेवाएं— (क) ब्याज या छूट के रूप में प्राप्त प्रतिफल की सीमा तक जमा, ऋण या अग्रिम प्रदान करना (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में सम्मिलित ब्याज को छोड़कर);

	<p>(बी) बैंकों या अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों के मध्य अथवा बैंकों और ऐसे डीलरों के मध्य विदेशी मुद्रा की आपसी विक्रय या क्रय।</p>
<p>27ए</p>	<p>प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉज़िट (बीएसबीडी) खाता धारकों को एक बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।</p>
<p>34</p>	<p>क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से एकल लेनदेन में 2,000 रुपये तक की राशि के निपटान के संबंध में किसी व्यक्ति को अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।</p> <p>व्याख्या— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "अक्वायरिंग बैंक" का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है, या कोई अन्य व्यक्ति, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है।</p>
<p>39ए</p>	<p>अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थिति वाले बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित वित्तीय सेवाओं के मध्यस्थ द्वारा भारत के बाहर स्थित ग्राहक को भारतीय रुपए (आईएनआर) के अलावा अन्य मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।</p> <p>स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं का मध्यस्थ वह व्यक्ति है,-</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) जिसे भारत सरकार या आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त किसी विनियामक द्वारा अनुमति दी गई हो या मान्यता प्राप्त हो; या (ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) विनियम, 2015 के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्ति माना जाता है; या (iii) जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 के तहत आईएफएससी बीमा कार्यालय के रूप में पंजीकृत है; या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 के तहत अनुमति दी गई है।



विश्लेषण

बैंक और वित्तीय संस्थान धन उधार देने या उधार लेने या धन में निवेश से संबंधित वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

प्रविष्टि 27 के तहत जीएसटी से छूट प्राप्त विशिष्ट बैंकिंग सेवाओं पर नीचे चर्चा की गई है:

Banking



(क) जमा, ऋण या अग्रिम के रूप में सेवाएं, जहां तकविचार ब्याज या छूट के माध्यम से दर्शाया जाता है: यह

प्रविष्टि किसी भी ऐसी सेवा को सम्मिलित करती है जिसमें ब्याज या छूट के भुगतान पर धनराशि का उपयोग करने या रोक रखने की अनुमति दी जाती है। प्रयुक्त शब्द 'जमा, ऋण या अग्रिम' हैं और इन्हें सामान्य अर्थ में लेना चाहिए।

यह किसी भी ऐसी सुविधा को सम्मिलित करेगी जिसके अंतर्गत धनराशि उधार दी जाती है या उपयोग या रोक रखने की अनुमति दी जाती है, जिसके बदले सामान्यतः 'धन के समय मूल्य' के रूप में जाना जाने वाला भुगतान किया जाता है, जो ब्याज या छूट के रूप में हो सकता है। यह प्रविष्टि इक्विटी के माध्यम से निवेश या किसी अन्य ऐसी स्थिति को शामिल नहीं करेगी जहाँ निवेशक को लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है।



दिलचस्पी: इसका अर्थ है किसी भी उधार ली गई धनराशि या लिए गए ऋण (जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) के संबंध में किसी भी तरह से देय ब्याज, लेकिन इसमें कोई सेवा शामिल नहीं है



उधार ली गई धनराशि या लिए गए ऋण या किसी ऋण सुविधा के संबंध में शुल्क या अन्य प्रभार, जिसका उपयोग नहीं किया गया है।

□ प्रविष्टि 27 के अंतर्गत छूट प्राप्त सेवाओं के उदाहरण हैं -

- ✓ बैंक या वित्तीय संस्थान में सावधि जमा या बचत जमा या ऐसी कोई अन्य जमा राशि वह संस्था जिसके लिए ब्याज के रूप में रिटर्न प्राप्त होता है।
- ✓ ब्याज के भुगतान के बदले ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा या क्रेडिट सीमा सुविधा प्रदान करना।



जीएसटी से छूट

- ✓ संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ बंधक या ऋण, इस सीमा तक कि ऐसे ऋण या अग्रिम राशि को ब्याज के रूप में दर्शाया जाता है।
- ✓ कॉर्पोरेट जमा इस सीमा तक कि ऐसे ऋण या अग्रिम देने के लिए विचार ब्याज या छूट के रूप में दर्शाया जाता है।
- ऋण, अग्रिम या जमा पर ब्याज के अतिरिक्त वसूल किए गए सेवा शुल्क/फीस, दस्तावेजीकरण शुल्क, दलाली शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, प्रवेश शुल्क या इसी प्रकार के शुल्क छूट प्राप्त नहीं हैं और इसलिए कर योग्य प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- चालान छूट / चेक छूट या इसी प्रकार का कोई अन्य छूट प्रदान करने का रूप केवल उसी सीमा तक सम्मिलित है जहाँ प्रतिफल छूट के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार की छूट क्रेडिट सुविधा या ऋण प्रदान करने का एक माध्यम है।
- देरी के लिए ग्राहकों से लिया जाने वाला कोई भी ब्याज/विलंबित भुगतान शुल्कब्रोकरेज राशि/निपटान दायित्वों/मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के भुगतान में: जीएसटी से छूट प्राप्त है क्योंकि निपटान दायित्व/मार्जिन ट्रेडिंग सुविधाएं ऐसे लेनदेन हैं जो ऋण या अग्रिम देने की प्रकृति के हैं और प्रविष्टि 27 के अंतर्गत आते हैं।⁴¹
- क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि के देर से भुगतान के लिए शुल्क: बकाया क्रेडिट कार्ड शेष पर लगाए गए ब्याज को प्रविष्टि 27 से विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए, यह जीएसटी के लिए उत्तरदायी है।
- अतिदेय ऋण पर अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज: ऐसे मामलों में जहां समान मासिक किस्त (ईएमआई)⁴² यदि निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ईएमआई के भुगतान में देरी के कारण अतिरिक्त/दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है।

इस बात पर संदेह हो सकता है कि क्या अतिदेय ऋण पर यह अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज प्रविष्टि 27 के अंतर्गत छूट योग्य है या इस तरह के दंडात्मक ब्याज को परिसमाप्त क्षति [राशि] के लिए प्रतिफल के रूप में माना जाना है

⁴¹ जैसा कि सीबीआईसी द्वारा जारी बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकर क्षेत्र पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में स्पष्ट किया गया है।

⁴² समान मासिक किस्त (ईएमआई) एक निश्चित राशि होती है जो उधारकर्ता द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह में एक निश्चित तिथि पर ऋणदाता को चुकाई जाती है। ईएमआई का उपयोग हर महीने ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान करने के लिए किया जाता है, ताकि एक निश्चित अवधि में, ब्याज सहित ऋण का पूरा भुगतान हो जाए।

जीएसटी के तहत सेवाओं की अलग कर योग्य आपूर्ति अनुसूची II की प्रविष्टि 5(ड) के तहत कवर की गई है, अर्थात् “किसी कार्य से परहेज करने, या किसी कार्य या स्थिति को सहन करने, या कोई कार्य करने के दायित्व से सहमत होना”]

व्यापार में ईएमआई से जुड़े दो लेन-देन विकल्प प्रचलित हैं। इन दोनों विकल्पों और उन पर लागू जीएसटी को उदाहरणों की सहायता से इस प्रकार समझाया गया है –



(35) एक्स, वॉई को एक मोबाइल फोन बेचता है। मोबाइल फोन की कीमत ₹ 40,000 है। हालांकि, एक्स, वॉई को किस्तों में भुगतान करने का विकल्प देता है, जहाँ वॉई को अगले चार महीनों तक हर महीने अगले महीने की 10 तारीख से पहले ₹ 11,000 भुगतान करने होंगे (₹ 11,000 × 4 = ₹ 44,000)। अनुबंध के अनुसार, यदि वॉई भुगतान की निर्धारित तिथि से देरी करता है, तो वॉई को देरी के लिए प्रति माह ₹ 500 अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज भुगतान करना होगा।

कुछ मामलों में, एक्स, वॉई से मोबाइल के लिए ₹ 40,000 शुल्क ले रहा है और ऋण प्रदान करने की सेवा के लिए अलग से एक अन्य चालान जारी कर रहा है, जिसके प्रतिफल के रूप में प्रति माह 2.5% ब्याज तथा प्रत्येक भुगतान में देरी के लिए प्रति माह ₹ 500 अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज लिया जाता है।

इस मामले में, दंडात्मक ब्याज की राशि आपूर्ति⁴³ मूल्य में शामिल की जाएगी। एक्स और वॉई के बीच का लेनदेन कर योग्य वस्तु अर्थात् मोबाइल फोन की आपूर्ति के लिए है। अतः, दंडात्मक ब्याज कर योग्य होगा क्योंकि इसे मोबाइल के मूल्य में शामिल किया जाएगा, चाहे चालान जारी करने का तरीका कोई भी हो।

(36) एक्स, वॉई को एक मोबाइल फोन बेचता है। मोबाइल फोन की कीमत ₹ 40,000 है। वॉई के पास मोबाइल खरीदने के लिए एम/एस। एबीसी लिमिटेड से 2.5% प्रति माह ब्याज दर पर ऋण लेने का विकल्प है। एम/एस। एबीसी लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों के अनुसार, वॉई को ऋण चुकाने के लिए चार महीनों की अवधि दी गई है और किसी भी भुगतान में देरी पर प्रति माह 1.25% की दर से अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज लगेगा।

⁴³ यहाँ, भाग 15(2)(घ) के प्रावधानों के अनुसार, दंडात्मक ब्याज की राशि को आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना है। खंड 15(2)(घ) में प्रावधान है कि आपूर्ति के मूल्य में किसी भी आपूर्ति के लिए किसी भी प्रतिफल के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज, विलंब शुल्क या जुर्माना शामिल होगा। अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 7: आपूर्ति का मूल्य में भाग 15 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

यहाँ, वाई और मेसर्स एबीसी लिमिटेड के बीच हुए लेन-देन पर अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज लगाया गया है, और यह छूट प्रविष्टि 27 के अंतर्गत आ रहा है। परिणामस्वरूप, इस मामले में वाई और मेसर्स एबीसी लिमिटेड के बीच हुए लेन-देन पर लगाया गया 'दंडात्मक ब्याज' जीएसटी के अधीन नहीं होगा क्योंकि यह उक्त छूट प्रविष्टि के अंतर्गत आएगा। हालाँकि, मेसर्स एबीसी लिमिटेड द्वारा जमा, ऋण या अग्रिम देने से संबंधित लेन-देन के संबंध में लगाया गया कोई भी सेवा शुल्क/प्रभार या कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, छूट अधिसूचना में परिभाषित ब्याज की श्रेणी में नहीं आता है, और तदनुसार इस पर छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जीएसटी लगाने के उद्देश्य से एक्स द्वारा वाई को मोबाइल की आपूर्ति का मूल्य 40,000 रुपये होगा।

चूँकि अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज की यह वसूली उपरोक्त प्रविष्टि 27 में निहित "ब्याज" की परिभाषा को पूरा करती है, इसलिए इसे निश्चित क्षतिपूर्ति के प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त/दंडात्मक ब्याज की वसूली का लेन-देन अनुसूची II के दायरे में नहीं आता, अर्थात् "किसी कार्य से विरत रहने, या किसी कार्य या स्थिति को सहन करने, या कोई कार्य करने के दायित्व पर सहमति"।⁴⁴[परिपत्र संख्या 102/21/2019-जीएसटी दिनांक 28.06.2019]

- (ख) **विदेशी मुद्रा की बिक्री के रूप में बैंक या अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ:** 'अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर' का अर्थ है एक अधिकृत डीलर, मुद्रा विनिमयकर्ता, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे वर्तमान में विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन करने के लिए एफईएमए, 1999 की भाग 10(1) के तहत अधिकृत किया गया हो [विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की भाग 2(क)]।



⁴⁴अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल में अध्याय 2 - जीएसटी के तहत आपूर्ति में अनुसूची II पर विस्तार से चर्चा की गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आम जनता को प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं को इस प्रविष्टि में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि यह प्रविष्टि केवल विदेशी मुद्रा की बिक्री या खरीद को कवर करती है: -



- (i) बैंकों के बीच या
- (ii) विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों के बीच या
- (iii) बैंकों और ऐसे डीलरों के बीच।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को प्रदान की जाने वाली सेवाएं कर योग्य होंगी, क्योंकि ये जीएसटी कानून के तहत किसी भी छूट/बहिष्करण के अंतर्गत नहीं आती हैं।

चित्रण 2

मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ने अगस्त माह के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

विवरण	राशि [₹ करोड़ में] (जीएसटी को छोड़कर)
अपने ग्राहकों को आवास ऋण का विस्तार	100
ऋण स्वीकृत होने पर ग्राहकों से ली जाने वाली प्रसंस्करण फीस	20
बैंक गारंटी पर अपने ग्राहकों से एकत्रित कमीशन	30
बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर ब्याज आय	40
बैंक द्वारा दिए गए आवास ऋण पर प्राप्त ब्याज	25
चालू खाता और बचत खाता धारकों से वसूला जाने वाला न्यूनतम शेष शुल्क	01

कर योग्य बाह्य आपूर्ति के मूल्य की गणना करें।

उत्तर

अगस्त माह के लिए मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड की कर योग्य जावक आपूर्ति के मूल्य की गणना:

विवरण	राशि करोड़ रुपये में (₹)
ग्राहकों को आवास ऋण प्रदान किया गया [चूंकि धन वस्तु नहीं है, इसलिए आवास ऋण देना आपूर्ति नहीं है।]	शून्य
ऋण स्वीकृत होने पर एकत्रित प्रसंस्करण शुल्क [ब्याज में ऋण स्वीकृति पर लगने वाला प्रसंस्करण शुल्क शामिल नहीं है। इसलिए, यह कर योग्य है।]	20
बैंक गारंटी पर एकत्रित कमीशन [ऋण, अग्रिम या जमा पर ब्याज के अतिरिक्त एकत्रित कोई भी कमीशन छूट योग्य नहीं है।]	30
बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर ब्याज आय [ऋण के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ, जहाँ तक ब्याज के रूप में प्रतिफल दर्शाया जाता है, कर से मुक्त हैं। हालाँकि, क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज को इस छूट प्रविष्टि से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।]	40
आवास ऋण पर प्राप्त ब्याज [ऋण के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ, जहाँ तक ब्याज के रूप में प्रतिफल दर्शाया जाता है, कर से मुक्त हैं।]	शून्य
चालू खाता और बचत खाता धारकों से वसूला जाने वाला न्यूनतम शेष शुल्क [ऋण, अग्रिम या जमा पर ब्याज के अतिरिक्त वसूले गए किसी भी शुल्क पर छूट नहीं है।]	01
कर योग्य बाहरी आपूर्ति का मूल्य	91

प्रश्नोत्तरी
समय!



7

सिंधबाद बैंक द्वारा प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सी राशि जीएसटी से मुक्त नहीं है?

(क) चेक छूट शुल्क प्राप्त

(ख) ओवरड्राफ्ट सुविधा पर ब्याज

(ग) क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि के विलंबित भुगतान के लिए शुल्क



(घ) गृह ऋण पर प्राप्त ब्याज

10. जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
28	पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वार्षिकी के माध्यम से प्रदान की गई जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ।
29	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा कोष द्वारा क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ।
29ए	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत तट रक्षक के कर्मचारियों को नौसेना समूह बीमा कोष द्वारा प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएँ।
29बी	संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की समूह बीमा योजनाओं के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल समूह बीमा कोष द्वारा उनके सदस्यों को प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएँ।

36	<p>निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएं प्रदान की जाती हैं-</p> <p>(क) जनश्री बीमा योजना;</p> <p>(ख) आम आदमी बीमा योजना;</p> <p>(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद**, जिसमें अधिकतम कवर राशि 2,00,000 रुपये है;</p> <p>(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना;</p> <p>(ङ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;</p> <p>(च) प्रधानमंत्री जन धन योजना;</p> <p>(छ) प्रधानमंत्री वय वंदन योजना।</p> <p>**जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद इसका अर्थ है प्रीमियम वापसी के साथ/बिना कोई भी टर्म बीमा अनुबंध, दुर्घटना लाभ राइडर के साथ/बिना कोई भी एंडोमेंट बीमा अनुबंध या स्वास्थ्य बीमा अनुबंध, व्यक्तिगत/समूह आधार पर, विनियमों से संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार [बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 का विनियम 2(ई)]।</p>
-----------	---

11. निर्दिष्ट निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
30	<p>कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाएँ।</p> 
31	<p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाएँ।</p> 

31ए	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन द्वारा कोयला खदान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाएँ।
31बी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्रतिफल के बदले प्रदान की गई सेवाएँ।



12. सामान्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
35	<p>निम्नलिखित योजनाओं के तहत प्रदान की गई सामान्य बीमा व्यवसाय की सेवाएँ -</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) झोपड़ी बीमा योजना; (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पशु बीमा; (ग) जनजातियों के बीमा के लिए योजना; (घ) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी और ग्रामीण दुर्घटना पॉलिसी; (ङ) स्वरोजगार महिलाओं के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी; (च) कृषि पंपसेट और विफल कुएँ का बीमा; (छ) निर्यात क्रेडिट बीमा पर प्राप्त प्रीमियम; (ज) पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस), जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और कृषि मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है; (झ) जन आरोग्य बीमा पॉलिसी; (ञ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); (ट) बीज फसल बीमा पर पायलट योजना; (ठ) केंद्रीय क्षेत्र की पशु बीमा योजना; (ड) सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना; (ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; (ण) नारियल पाम बीमा योजना; (त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना;

⁴⁵ पहले इसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था

	(क्यू) निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राष्ट्रीय ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु विकलांगता कल्याण ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की प्रविधियों के तहत गठित ट्रस्ट द्वारा लागू की गई है। (आर) बंगला शस्य बीमा
36ए	क्रम संख्या 35 या 36 या 40 ⁴⁶ में निर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा के माध्यम से सेवाएं। "रिट्रोसेशन" का अर्थ है एक पुनर्बीमा लेनदेन जिसमें कल्पित पुनर्बीमाकृत जोखिम का एक भाग किसी अन्य भारतीय बीमाकर्ता या सीबीआर (सीमा पार पुनर्बीमाकर्ता) को सौंप दिया जाता है। यह स्पष्ट किया गया है ⁴⁷ "पुनर्बीमा" शब्द में "रिट्रोसेशन" सेवाएं शामिल हैं।
36बी	<i>मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की भाग 164बी के तहत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।</i>

13. पेंशन योजनाएं

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
37	अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान संग्रहण के माध्यम से सेवाएं।
38	राज्य सरकारों की किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान संग्रहण के माध्यम से सेवाएं।

14. व्यवसाय सुविधाकर्ता/संवाददाता

प्रविष्टि 39: निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा संबंधित क्षमता में सेवाएं -

- (a) किसी बैंकिंग कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र शाखा में खातों के संबंध में व्यवसाय सुविधा प्रदाता या व्यवसाय संवाददाता;

⁴⁶ प्रविष्टि 40 पर बाद में शीर्षक 15 'सरकार को प्रदान की गई सेवाएं' के अंतर्गत चर्चा की गई है।

⁴⁷ परिपत्र संख्या 228/22/2024 जीएसटी दिनांक 15.07.2024

- (b) प्रविष्टि (क) में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में किसी व्यवसाय सुविधादाता या व्यवसाय संवाददाता के मध्यस्थ के रूप में कोई व्यक्ति; या
- (c) ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कंपनी के लिए व्यवसाय सुविधा प्रदाता या व्यवसाय संवाददाता।



विश्लेषण

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाना भारत के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में या तो बैंक नहीं हैं या बैंकों की संख्या अपर्याप्त है। इस समस्या का समाधान करने और व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2006 में दिशानिर्देशों के माध्यम से बिज़नेस कॉरिस्पॉण्डेंट और बिज़नेस फ़ैसिलिटेटर मॉडल की शुरुआत की, जिससे बैंकों को दो प्रकार के मध्यस्थों को नियुक्त करने की अनुमति मिली - जिन्हें बिज़नेस फ़ैसिलिटेटर (बीएफ) और बीसी कहा जाता है।

बीसी/बीएफ ग्रामीणों को बैंक खाते खोलने और उन्हें अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में मदद करते हैं। वे बैंक और उसके ग्राहकों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। बदले में, बैंक बीसी/बीएफ को कमीशन/शुल्क देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां बैंकिंग प्रतिनिधियों को एजेंट के रूप में बैंक की ओर से लेनदेन करने की अनुमति है, वहीं बैंकिंग प्रतिनिधि ग्राहकों को रेफर कर सकते हैं, ग्राहकों के प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं और बैंक को लेनदेन करने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे बैंक की ओर से लेनदेन नहीं कर सकते।⁴⁸

इसी प्रकार, बीमा कम्पनियां दूरदराज के क्षेत्रों में बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीसी/बीएफ को नियुक्त करती हैं।

प्रविष्टि 39 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र शाखा में खातों के संबंध में बैंकिंग वित्तीय फर्म/बैंकिंग कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है, तथा उक्त सेवाओं के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग वित्तीय फर्म/बैंकिंग कंपनी को मध्यस्थ के रूप में प्रदान की गई सेवाएं भी जीएसटी से मुक्त हैं।

⁴⁸ बीएफ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें उधारकर्ताओं की पहचान और गतिविधियों का निर्धारण, ऋण आवेदनों का संग्रह और प्रारंभिक प्रसंस्करण, बैंकों को आवेदनों का प्रसंस्करण और प्रस्तुतीकरण, वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई आदि शामिल हैं। बीसी, इन गतिविधियों के अलावा, छोटे मूल्य के ऋण का वितरण, मूलधन की वसूली / ब्याज का संग्रह, छोटे मूल्य की जमा राशि का संग्रह, सूक्ष्म बीमा / म्यूचुअल फंड उत्पादों / पेंशन उत्पादों / अन्य तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री, छोटे मूल्य के प्रेषण / अन्य भुगतान उपकरणों की प्राप्ति और वितरण आदि भी करते हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में बीमा कंपनी को बीएफ/बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी छूट प्राप्त हैं।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रविष्टि के तहत जीएसटी से छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से, बैंकिंग कंपनी को उनके संबंधित व्यक्तिगत रूप में बीएफ/बीसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ उसी बैंकिंग कंपनी की **ग्रामीण क्षेत्र** में स्थित शाखा के खातों के संदर्भ में होनी चाहिए।

जहां कहीं भी बैंकिंग कंपनी को बीएफ/बीसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और बीएफ/बीसी के मध्यस्थ द्वारा बीएफ/बीसी को प्रदान की गई सेवाएं इस प्रविष्टि के दायरे में नहीं आती हैं, ऐसी सेवाओं पर जीएसटी देय है।

हालाँकि, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग फर्म द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के लिए लिए गए कमीशन/शुल्क के संबंध में रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, बैंकिंग फर्म के एजेंट द्वारा बैंकिंग फर्म को प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं पर जीएसटी, बैंकिंग फर्म द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है।

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) को उचित कमीशन/शुल्क दे सकते हैं। बीसी के साथ बैंकों के समझौते में उन्हें बैंक की ओर से प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से सीधे कोई शुल्क लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी ओर, बैंकों (न कि व्यवसाय प्रतिनिधि) को ऐसी सेवा के लिए पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से उचित सेवा शुल्क वसूलने की अनुमति है।

बैंकों की बीसी के साथ व्यवस्था में यह आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है कि लेन-देन का लेखा-जोखा रखा जाए तथा उसे दिन के अंत तक या अगले कार्य दिवस तक बैंक की पुस्तकों में दर्शाया जाए, तथा ग्राहक के साथ सभी समझौतों/अनुबंधों में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा कि बैंक, बीएफ/बीसी के चूक और कृत्य के लिए ग्राहक के प्रति उत्तरदायी है।

इसलिए, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग वित्तीय सेवा मॉडल/बैंकिंग वित्तीय सेवा मॉडल में अंतिम ग्राहक को सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। बैंकिंग कंपनी, ग्राहकों से लिए गए सेवा शुल्क या शुल्क की पूरी राशि पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह बैंकिंग वित्तीय सेवा/बैंकिंग वित्तीय सेवा के माध्यम से प्राप्त हुआ हो या नहीं।⁴⁹

इस प्रविष्टि के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

- **बीमा कंपनी:** इसका अर्थ है जीवन बीमा व्यवसाय या सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनी।
- **बीमाकर्ता:** "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो इसे बीमा अधिनियम, 1938 की खंड 2 की उप-खंड (9) में दिया गया है।

⁴⁹ परिपत्र संख्या 86/05/2019 जीएसटी दिनांक 01.01.2018

बीमा अधिनियम, 1938 की भाग 2(9) के अनुसार, "बीमाकर्ता" का अर्थ है-


- (a) एक भारतीय बीमा कंपनी, या
- (b) बीमा व्यवसाय चलाने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, या
- (c) एक बीमा सहकारी समिति, या
- (d) भारत में स्थापित एक शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी एक विदेशी कंपनी।

स्पष्टीकरण - इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी कंपनी" शब्द का अर्थ भारत के बाहर किसी देश के कानून के तहत स्थापित या निगमित कंपनी या निकाय होगा और इसमें लॉयड्स अधिनियम, 1871 (यूनाइटेड किंगडम) के तहत स्थापित लॉयड्स या इसके किसी भी सदस्य शामिल हैं।

- **मध्यस्थ** का अर्थ है दलाल, एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वस्तुओं या सेवाओं या दोनों, या प्रतिभूतियों की आपूर्ति की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने स्वयं के खाते पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों या प्रतिभूतियों की आपूर्ति करता है [आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 2(13)]।
- **ग्रामीण क्षेत्र:** इसका तात्पर्य भूमि राजस्व अभिलेखों में परिभाषित किसी गांव में समाविष्ट क्षेत्र से है, जिसमें किसी नगरपालिका समिति, नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल नहीं है; या ऐसा कोई क्षेत्र जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- छूट अधिसूचना में बीएफ/बीसी को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंकिंग कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा बीएफ मॉडल या बीसी मॉडल के तहत नियुक्त मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है।

15. सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
3	सरकार को प्रदान की जाने वाली शुद्ध सेवाएं: <input type="checkbox"/> शुद्ध सेवाएँ (कार्य संविदा सेवा या किसी भी वस्तु की आपूर्ति सहित अन्य सम्मिश्रित आपूर्ति को छोड़कर)

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान किया गया <input type="checkbox"/> किसी भी गतिविधि के माध्यम से: <ul style="list-style-type: none"> ✓ संविधान के अनुच्छेद 243छ के तहत पंचायत को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में या ✓ संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में।
<p>3 ए</p>	<p>सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य उक्त संयुक्त आपूर्ति के मूल्य के 25% से अधिक नहीं है <input type="checkbox"/> केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान किया गया <input type="checkbox"/> किसी भी गतिविधि के माध्यम से: <ul style="list-style-type: none"> ✓ संविधान के अनुच्छेद 243छ के तहत पंचायत को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में या ✓ संविधान के अनुच्छेद 243ब के तहत किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में।
<p>3 बी</p>	<p>किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं—</p> <p>(क) जलापूर्ति;</p> <p>(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य;</p> <p>(ग) स्वच्छता संरक्षण;</p> <p>(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और</p> <p>(ङ) मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।</p>
<p>11ए</p>	<p>सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के रूप में उचित मूल्य दुकानों द्वारा प्रदान की गई सेवा, जिसका प्रतिफल कमीशन या मार्जिन के रूप में होता है।</p> 
<p>40</p>	<p>किसी भी बीमा योजना के तहत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की गई सेवाएँ, जिसके लिए कुल प्रीमियम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भुगतान किया जाता है।</p>

72

किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रदान की गई सेवाएँ, जिसके कुल व्यय का 75% या उससे अधिक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। यह स्पष्ट⁵⁰ किया जाता है कि केंद्रीय योजना "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ" के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों और एनजीओ द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क कोचिंग सेवाएँ, जिनका 75% या उससे अधिक व्यय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कोचिंग संस्थानों को वहन किया जाता है, इस प्रविष्टि के अंतर्गत शामिल हैं और इसलिए जीएसटी से मुक्त हैं।



विश्लेषण

प्रविष्टि 3 सरकार को 'शुद्ध सेवाओं' की आपूर्ति को छूट देती है। 'शुद्ध सेवाओं' की आपूर्ति का अर्थ है ऐसी सेवाओं की आपूर्ति जिसमें किसी भी वस्तु की आपूर्ति शामिल न हो।

आगे, 'वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति' *सरकार को प्रविष्टि 3ए के तहत छूट दी गई है।

* जिसमें माल की आपूर्ति का मूल्य ऐसी समग्र आपूर्ति के मूल्य के 25% से अधिक नहीं है।

आइए, निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से सरकार को 'शुद्ध सेवाओं' की आपूर्ति और 'वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र आपूर्ति' की अवधारणा को समझें:



(37) सड़कों, सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए मानवशक्ति की आपूर्ति, वास्तुकार सेवाएँ, सलाहकार अभियंता सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ, एवं ऐसी अन्य सेवाएँ जो व्यापारिक इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती हैं और जिनमें किसी भी वस्तु की आपूर्ति शामिल नहीं होती, शुद्ध सेवा की आपूर्ति मानी जाएगी।

⁵⁰ परिपत्र संख्या 164/20/2021 जीएसटी दिनांक 06.10.2021 के अनुसार

⁵¹ यह परिपत्र प्रविष्टि 72 में संशोधन से पहले जारी किया गया था जब छूट केवल तभी उपलब्ध थी कुल व्यय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय का वहन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया गया।

हालाँकि, जैसा कि इस अध्याय में पहले देखा गया है, प्रविष्टि 72 को बाद में संशोधित किया गया है और अब छूट तब भी उपलब्ध है जब कुल व्यय का 75% या अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय का वहन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

अतः परिपत्र से संबंधित उपरोक्त चर्चा में "कुल व्यय" शब्दों को "कुल व्यय का 75% या अधिक" से प्रतिस्थापित किया गया है।



(38) एक स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका क्षेत्र में सड़क प्रकाश की देखरेख का कार्य एक एजेंसी को सौंपता है, जिसमें देखरेख के अलावा नष्ट हो चुके बल्ब और अन्य पुर्जों का प्रतिस्थापन भी शामिल है। इस मामले में, सेवा का दायरा देखरेख कार्य और वस्तुओं की आपूर्ति दोनों को सम्मिलित करता है, अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं की सम्मिश्रित आपूर्ति।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसी सेवाएँ भारतीय सेना या किसी अन्य सरकारी मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी कार्यो का निर्वाह नहीं करता और स्थानीय प्राधिकरण की तरह सामान्य जनता के लिए सेवा प्रदान नहीं करता, तो वे सेवाएँ प्रविष्टि 3 और 3A के तहत छूट के पात्र नहीं होंगी⁵²।

[सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण](#) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मुख्यालय को प्रदान किया गया।

मुद्दा

एमसीडी अपने कार्यालय के रखरखाव के लिए सुविधा प्रबंधन एजेंसी से हाउसकीपिंग, सिविल रखरखाव, फर्नीचर रखरखाव और बागवानी जैसी सेवाएँ प्राप्त कर रही है। विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या उनके द्वारा प्राप्त ऐसी सेवाएँ अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी(आर)दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 3ए के अनुसार जीएसटी से मुक्त हैं।

स्पष्टीकरण

एमसीडी कार्यालय के रखरखाव हेतु हाउसकीपिंग, सिविल रखरखाव, फर्नीचर रखरखाव और बागवानी एजेंसी जैसी सुविधा प्रबंधन सेवाएँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य के निष्पादन के संबंध में प्रदान नहीं की जाती हैं। ऐसी सेवाएँ क्रम संख्या 3ए में प्रविष्टि के दायरे में नहीं आती हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया है कि एमसीडी, दिल्ली मुख्यालय को अपने मुख्यालय भवन के रखरखाव के लिए सुविधा प्रबंधन एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लागू दरों पर जीएसटी लागू है क्योंकि ये सेवाएँ क्रम संख्या 3ए में प्रविष्टि के दायरे में शामिल नहीं हैं।

[परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी दिनांक 28.01.2025]

⁵² परिपत्र संख्या 177/09/2022 जीएसटी दिनांक 03.08.2022

16. लीजिंग सेवाएं

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
41	<p>राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगमों या उपक्रमों या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के 20% या अधिक स्वामित्व वाली किसी अन्य इकाई द्वारा किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यवसाय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों या डेवलपर्स को प्रदान किए गए औद्योगिक भूखंडों या वित्तीय व्यवसाय के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूखंडों के 30 वर्ष या अधिक के दीर्घकालिक पट्टे के रूप में सेवा के संबंध में देय अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से जाना जाता है)।</p> <p>किश्तों में भुगतान की गई अग्रिम राशि</p> <p>उपर्युक्त छूट स्वीकार्य है, भले ही ऐसी अग्रिम राशि एक/अधिक किश्तों में देय/भुगतान की गई हो, बशर्ते कि राशि का निर्धारण पहले ही कर दिया गया हो।⁵³</p> <p>दीर्घकालिक पट्टे के लिए पट्टा प्रीमियम के अतिरिक्त वसूले जाने वाले स्थान शुल्क या अधिमान्य स्थान शुल्क (पीएलसी)</p> <p>अग्रिम राशि जीएसटी से मुक्त है। प्लॉट के स्थान का चयन करने की अनुमति प्लॉट के दीर्घकालिक पट्टे की आपूर्ति का अभिन्न अंग है और इसलिए, स्थान शुल्क कुछ और नहीं, बल्कि प्लॉट के दीर्घकालिक पट्टे के लिए लिए जाने वाले प्रतिफल का एक हिस्सा है। पट्टे की अग्रिम राशि के साथ अग्रिम शुल्क लिया जाता है, इसलिए यह जीएसटी से मुक्त है।</p> <p>तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए पट्टा प्रीमियम के अतिरिक्त अग्रिम भुगतान किए गए स्थान प्रभार या अधिमान्य स्थान प्रभार (पीएलसी) भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए ली गई अग्रिम राशि का हिस्सा हैं और समान कर उपचार के लिए पात्र हैं, और इस प्रकार प्रविष्टि 41 के तहत छूट के लिए पात्र हैं।⁵⁴</p> <p>स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजन के लिए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का इकाई में प्रत्यक्ष रूप से या किसी इकाई के माध्यम से 20% या अधिक स्वामित्व होगा, जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के पूर्ण स्वामित्व में हो।</p>

⁵³ जैसा कि परिपत्र संख्या 101/20/2019 जीएसटी दिनांक 30.04.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है

⁵⁴ जैसा कि परिपत्र संख्या 177/09/2022 जीएसटी दिनांक 03.08.2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है

स्थितियाँ:

1. पट्टे पर दिए गए भूखंडों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें आवंटित किया गया है, अर्थात् औद्योगिक या वित्तीय व्यवसाय क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय गतिविधि के लिए।
2. संबंधित राज्य सरकार इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त शर्त की निगरानी और प्रवर्तन करेगी।
3. किसी भी कारण से भूमि उपयोग के किसी भी उल्लंघन या बाद में परिवर्तन के मामले में, मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाधारक के साथ-साथ कोई भी बाद का पट्टाधारक/खरीददार/स्वामी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से केंद्रीय कर की ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो भूखंडों के दीर्घकालिक पट्टे के लिए ली गई अग्रिम राशि पर देय होती, लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, लागू ब्याज और जुर्माने के साथ।
4. मूल पट्टाकर्ता द्वारा मूल पट्टेदार या परवर्ती पट्टेदार या उप-पट्टेदार के साथ किए गए पट्टा समझौते, तथा परवर्ती पट्टेदारों या क्रेताओं या स्वामियों को ऐसे भूखंडों के पट्टे या बिक्री के लिए किए गए किसी भी परवर्ती पट्टा/बिक्री समझौते में, शर्तों में यह तथ्य शामिल किया जाएगा कि मूल पट्टाकर्ता द्वारा मूल पट्टेदार को भूखंडों के दीर्घावधि पट्टे पर उपरोक्त शर्त के अधीन केन्द्रीय कर से छूट दी गई थी तथा उक्त समझौतों के पक्षकार इसका अनुपालन करने का वचन देते हैं।

17. कानूनी सेवाओं

प्रविष्टि 45: द्वारा प्रदान की गई सेवाएं-

(क) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को -

- (i) किसी व्यावसायिक इकाई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति; या
- (ii) एक व्यवसाय इकाई जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ऐसी राशि तक हो जो उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती है;
- (iii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था।

(ख) अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म या वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा एक व्यक्ति, कानूनी सेवाओं के माध्यम से-

- (iv) कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाला एक वकील या वकीलों की साझेदारी फर्म;
- (v) किसी व्यावसायिक इकाई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति; या
- (vi) एक व्यवसाय इकाई जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ऐसी राशि तक हो जो उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती है;
- (vii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था।

(ग) कानूनी सेवाओं के माध्यम से एक वरिष्ठ अधिवक्ता-

- (viii) किसी व्यावसायिक इकाई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति; या
- (ix) एक व्यवसाय इकाई जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ऐसी राशि तक हो जो उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती है।
- (x) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था।



विश्लेषण

प्रासंगिक परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

- **कानूनी सेवा:** इसका तात्पर्य किसी भी तरीके से कानून की किसी भी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में प्रदान की गई कोई भी सेवा से है और इसमें किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व सेवाएं शामिल हैं।
- **वकील:** इसका अर्थ है किसी भी रोल में दर्ज अधिवक्ता, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 [अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की भाग 2(1)(ए)]।
- **मध्यस्थ न्यायाधिकरण:** इसका अर्थ है एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का पैनल [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की भाग 2(डी)]।
- **वरिष्ठ अधिवक्ता:** किसी अधिवक्ता को, उसकी सहमति से, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा सकता है यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की यह राय हो कि बार में उसकी योग्यता, या विधि के विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर वह ऐसी विशिष्टता का पात्र है। वरिष्ठ अधिवक्ता, अपनी प्रैक्टिस के मामले में, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होंगे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विधिक पेशे के हित में, निर्धारित कर सकती है।

प्रविष्टि 45 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है

द्वारा प्रदान की गई कानूनी

- मध्यस्थ न्यायाधिकरण
- अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म या कानूनी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रदान करना
- कानूनी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता

को प्रदान

- बीई के अलावा कोई भी व्यक्ति
- ऐसी व्यावसायिक इकाई जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ऐसी राशि तक हो जो उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती हो।
- सीजी/एसजी/यूटी/एलए/जीए/जीई

अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म/वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा एक अधिवक्ता के रूप में व्यक्ति द्वारा किसी अन्य अधिवक्ता/अधिवक्ता की साझेदारी फर्म को कानूनी सेवाएं प्रदान करना।

इस प्रकार, किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की गई कानूनी सेवाएँ, जिनका कुल कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में उस राशि से अधिक है जो उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाती है, जीएसटी के अधीन होंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सेवाओं पर व्यावसायिक संस्था को रिवर्स चार्ज के तहत कर देय होगा।



(39) प्यारे लाल एंड कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में पंजीकरण प्राप्त किया क्योंकि उसकी कुल कारोबार सीमा से अधिक हो गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उसने अपने व्यवसाय के लिए न्याय एडवोकेट्स - एक वकालत फर्म से कानूनी परामर्श सेवाएँ प्राप्त कीं। प्यारे लाल एंड कंपनी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सेवाएँ छूट प्राप्त नहीं हैं क्योंकि उसकी कुल कारोबार सीमा पिछले वित्तीय वर्ष में पंजीकरण की सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, उक्त कानूनी सेवाओं पर कर प्यारे लाल एंड कंपनी द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भुगतान किया जाएगा।

**प्रश्नोत्तरी
समया!**

8

निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं जीएसटी के अधीन हैं?

(क) शहरी क्षेत्र शाखा के खातों के संबंध में बैंकिंग कंपनी को बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।	(ख) वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक अप्रवर्तित व्यापारिक इकाई को प्रदान की गई कानूनी सेवाएँ।	(ग) प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक खाते धारकों को बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।	(घ) अटल पेंशन योजना के तहत योगदान एकत्रित करने की सेवाएँ।
--	--	--	---

18. खेल आयोजनों का प्रायोजन

प्रविष्टि 53: आयोजित खेल आयोजनों के प्रायोजन के माध्यम से सेवाएं -

- (क) किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ या उसके संबद्ध महासंघों द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीमों या व्यक्ति किसी जिले, राज्य, क्षेत्र या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं;
- (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल महासंघ, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, भारतीय पैरालंपिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा;
- (ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा;
- (घ) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में; या
- (ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के तहत।

19. कौशल विकास सेवाएं

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
69	<p>इनके द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवा -</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एक पुरस्कार देने वाली संस्था; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एक मूल्यांकन एजेंसी; एक प्रशिक्षण निकाय जो एक पुरस्कार देने वाले निकाय से मान्यता प्राप्त हो जिसे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, <p>(f) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार, के संदर्भ में-</p> <ol style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य योजना; या राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या कोई भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से संबद्ध योग्यता या कौशल जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने योग्यता पैकेज को मंजूरी दी है।
70	<p>कौशल विकास पहल योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से पैनल में शामिल मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।</p>
71	<p>भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों) द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के रूप में दी गई सेवाएँ।</p>

20. एक कलाकार द्वारा प्रदर्शन

प्रविष्टि 78: किसी कलाकार द्वारा लोक या शास्त्रीय कला रूपों में प्रदर्शन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं-

- (a) संगीत, या
- (b) नृत्य, या
- (c) रंगमंच,

यदि ऐसी प्रस्तुति के लिए लिया गया प्रतिफल **₹1,50,000** से अधिक नहीं है, तो वह जीएसटी से छूट प्राप्त है।

संगीत, नृत्य या रंगमंच की लोक या शास्त्रीय कला शैलियों में प्रदर्शन करने वाले कलाकार द्वारा की गई गतिविधियाँ, यदि प्रतिफल ₹1,50,000 से अधिक नहीं है, तो वे जीएसटी से छूट प्राप्त हैं। हालांकि, यदि ऐसी गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफल ₹1,50,000 से अधिक हो जाता है, तो संपूर्ण प्रतिफल पर जीएसटी लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, **अन्य कला शैलियों** में कलाकार द्वारा की गई सभी गतिविधियाँ, जैसे कि पाश्चात्य संगीत या नृत्य, आधुनिक रंगमंच, फिल्मों या टेलीविजन खंडवाहिकों में कलाकारों का प्रदर्शन आदि करयोग्य हैं। इसी प्रकार, **स्थिर कला शैलियों** जैसे चित्रकला, मूर्तिकला निर्माण आदि में कलाकारों की गतिविधियाँ भी **करयोग्य** हैं।

हालाँकि, यह छूट ऐसे कलाकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदान की गई सेवा पर लागू नहीं होगी।

'ब्रांड एम्बेसडर' इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी ब्रांड के माल, सेवा, संपत्ति या कार्रवाई योग्य दावे, घटना या नाम के समर्थन के प्रचार या विपणन के लिए नियोजित व्यक्ति से है, जिसमें किसी व्यक्ति का व्यापार नाम, लोगो या हाउस मार्क शामिल है।

चित्रण 3

निम्नलिखित स्वतंत्र मामलों में से प्रत्येक में देय जीएसटी, यदि कोई हो, का निर्धारण करें, यह मानते हुए कि जीएसटी की दर 18% है और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं:

- (अ) एक फिल्म में एक फिल्म अभिनेता द्वारा बॉलीवुड नृत्य प्रदर्शन किया गया तथा प्रतिफल 1,45,000 रुपये है।
- (आ) एक शास्त्रीय गायक द्वारा रेडीमेड कपड़ों के एक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक संगीत का प्रदर्शन किया गया तथा इसके लिए 1,30,000 रुपये का शुल्क लिया गया।
- (इ) एक संगीत समारोह में एक शास्त्रीय गायक द्वारा कर्नाटक संगीत का प्रदर्शन किया गया तथा प्रतिफल ₹ 1,55,000 लिया गया।
- (ई) एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक शास्त्रीय नर्तक द्वारा कथक नृत्य का प्रदर्शन किया गया तथा इसके लिए 1,45,000 रुपये का शुल्क लिया गया।

उत्तर

- (अ) किसी फिल्म में फिल्म अभिनेता द्वारा किया गया बॉलीवुड नृत्य प्रदर्शन जीएसटी से मुक्त नहीं है, भले ही लिए गए प्रतिफल की राशि ₹1,50,000 की सीमा से कम हो। इसका कारण यह है कि कलाकार द्वारा किया गया नृत्य प्रदर्शन केवल उसी स्थिति में छूट प्राप्त होता है जब वह लोक या शास्त्रीय नृत्य कला शैलियों में किया गया हो।
- (आ) शास्त्रीय गायक द्वारा रेडीमेड वस्त्रों के एक ब्रांड के प्रचार हेतु किया गया कर्नाटिक संगीत का प्रदर्शन जीएसटी से मुक्त नहीं है, भले ही लिया गया प्रतिफल ₹1,50,000 की सीमा से कम हो और यह शास्त्रीय संगीत कला शैली में प्रदर्शन हो। इसका कारण यह है कि उक्त छूट उस स्थिति में लागू नहीं होती जब कलाकार ब्रांड एंबेसडर के रूप में सेवा प्रदान करता है।
- (इ) संगीत समारोह में एक शास्त्रीय गायक द्वारा किया गया कर्नाटिक संगीत का प्रदर्शन जीएसटी से मुक्त नहीं है, भले ही यह शास्त्रीय संगीत कला शैली में किया गया प्रदर्शन हो। इसका कारण यह है कि इस सेवा के लिए लिया गया प्रतिफल ₹1,50,000 की सीमा से अधिक है। परिणामस्वरूप, लिया गया संपूर्ण प्रतिफल जीएसटी के अधीन है, जो इस प्रकार होगा: = ₹1,55,000 × 18% = ₹27,900
- (ई) कथक नृत्य प्रदर्शन, जो एक शास्त्रीय नर्तकी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया गया हो, जीएसटी से मुक्त है क्योंकि यह शास्त्रीय नृत्य कला शैलियों में किया गया प्रदर्शन है और लिए गया प्रतिफल ₹1,50,000 से अधिक नहीं है [अर्थात् ₹1,45,000]।

21. विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश का अधिकार

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
79	संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या चिड़ियाघर में प्रवेश के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ। **चिड़ियाघर का अर्थ है वह प्रतिष्ठान, स्थिर हो या चलायमान, जहाँ पिंजरे में रखे गए जानवर जनता को प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं, और इसमें सर्कस एवं बचाव केन्द्र शामिल हैं, परंतु इसमें पिंजरे में रखे गए जानवरों के लाइसेंसधारी विक्रेता का प्रतिष्ठान शामिल नहीं है। [वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की भाग 2(39)]।
79ए	प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों के तहत संरक्षित घोषित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ

और अवशेष अधिनियम 1958 या वर्तमान में लागू किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन होगा।

81

प्रवेश के अधिकार के रूप में सेवाएं-

- (क) सर्कस, नृत्य, या नाट्य प्रदर्शन जिसमें नाटक या बैले शामिल हैं;
- (ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह, प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजन के अलावा कोई भी खेल आयोजन (५) .
- (ग) मान्यता प्राप्त खेल आयोजन;
- (घ) तारामंडल,

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों या स्थानों में प्रवेश के अधिकार के लिए प्रतिफल 500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं है।

Ⓢ मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग आयोजन मतलब कोई स्पोर्टिंग आयोजन, -

(i) जिसे किसी मान्यता प्राप्त खेल संस्था ●● द्वारा आयोजित किया गया हो, जिसमें भाग लेने वाली टीम या व्यक्ति किसी जिला, राज्य, क्षेत्र या देश का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ii) संगठित

(क) किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ या उसके संबद्ध महासंघों द्वारा, जहां भाग लेने वाली टीम या व्यक्ति किसी जिले, राज्य या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल महासंघ, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, भारतीय पैरालंपिक समिति या विशेष ओलंपिक भारत द्वारा;

(ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा;

(घ) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में;

(ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) योजना के तहत।

●● मान्यता प्राप्त खेल निकाय मतलब -

- (i) भारतीय ओलंपिक संघ;
- (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण;

	<p>(iii) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ, तथा इसके संबद्ध महासंघ;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार के खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन;</p> <p>(v) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ या ऐसा महासंघ जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो; अथवा</p> <p>(vi) कोई महासंघ या संस्था जो किसी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करती हो और इसके संबद्ध महासंघ या संगठन जो भारत में उस खेल को नियंत्रित करते हों।</p>
--	---

22. असंविकसित संस्था या गैर-लाभकारी इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

प्रविष्टि क्रमां	सेवाओं का विवरण
77	<p>किसी भी समय लागू विधि के तहत पंजीकृत असंविकसित संस्था या गैर-लाभकारी इकाई द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों को शुल्क या योगदान के हिस्से की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवा –</p> <p>(क) एक ट्रेड यूनियन के रूप में</p> <p>(ख) ऐसी किसी भी गतिविधि को सम्पन्न करने के प्रावधान के लिए जो वस्तु एवं सेवा कर के अधिभार से मुक्त हो; अथवा</p> <p>(ग) हाउसिंग सोसाइटी या आवासीय परिसर में अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए किसी तृतीय पक्ष से वस्तु या सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति माह अधिकतम ₹7,500 तक।</p>
77 क	<p>किसी भी समय लागू विधि के तहत पंजीकृत असंविकसित संस्था या गैर-लाभकारी इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न हो, –</p> <p>(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिकों अथवा किसानों के कल्याण से संबंधित गतिविधियाँ; अथवा</p> <p>(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, परोपकारी गतिविधियों का संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण,</p> <p>(iii) अपने सदस्यों को, सदस्यता शुल्क के रूप में प्रति सदस्य प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,000 तक के प्रतिपूर्ति के बदले में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>



विश्लेषण

सहकारी आवासीय सोसाइटी

सहकारी आवासीय सोसाइटियाँ संबंधित राज्यों के सहकारी कानूनों के तहत पंजीकृत संस्थाएँ हैं। एक सहकारी आवासीय सोसाइटी व्यक्तियों का एक सामूहिक निकाय है, जो किसी आवासीय सोसाइटी में रहते हैं और एक सामूहिक निकाय के रूप में अपने सदस्यों को कुछ सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे कि अपने सदस्यों से वैधानिक शुल्क एकत्र करना और वैधानिक प्राधिकरणों को जमा करना, भवन का रखरखाव, सुरक्षा आदि।



एक सहकारी आवासीय सोसाइटी एक क्लब के समान होती है, जो अपने सदस्यों से मिलकर बनी होती है। आवासीय सोसाइटी [रिज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए)] द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवा को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई सेवा माना जाता है। आवासीय सोसाइटी/ आरडब्ल्यूए की गतिविधियाँ वस्तु एवं सेवा कर के अधिभार के दायरे में आएँगी और यदि इसका कुल कारोबार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो, तो सोसाइटी को पंजीकरण करना आवश्यक होगा और जीएसटी कानून का पालन करना होगा, जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

सहकारी आवासीय सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर की छूट

यदि अपने सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करने वाली आवासीय सोसाइटी/ आरडब्ल्यूए का कुल कारोबार पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है,⁵⁵ तो इसे भाग 22 के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है [पंजीकरण पर विस्तृत चर्चा के लिए इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय-9 देखें]।

हालाँकि, पंजीकरण कराना यह नहीं दर्शाता कि आवासीय सोसाइटी को अपने सदस्यों पर लगाए जाने वाले मासिक मेटेनेंस बिलों में अनिवार्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर वसूलना होगा। यदि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ किसी छूट अधिसूचना के अंतर्गत मुक्त हैं, तो इसे उक्त सेवाओं पर जीएसटी वसूलने की आवश्यकता नहीं है, भले ही यह जीएसटी के तहत पंजीकृत हो।

उदाहरण के लिए, उपर्युक्त प्रविष्टि 77(सी) के अनुसार, किसी आरडब्ल्यूए (असंविक्सित संस्था या किसी भी विधि के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी इकाई) द्वारा अपने सदस्यों को शुल्क या योगदान के हिस्से की प्रतिपूर्ति के रूप में, प्रति सदस्य प्रति माह अधिकतम ₹7,500 तक, अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय परिसर में सेवाएँ और वस्तुएँ प्रदान करने के लिए की जाने वाली आपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त है।

55 निर्धारित सीमा विशेष श्रेणी के राज्यों, अर्थात् मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए ₹10 लाख है और अन्य सभी राज्यों के लिए ₹20 लाख है।

इसलिए, ऐसा भी संभव है कि कोई सोसाइटी जीएसटी के तहत पंजीकृत हो, लेकिन सभी सदस्यों से प्राप्त मासिक योगदान प्रति सदस्य ₹7,500/- से कम हो (और यह राशि अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए किसी तृतीय पक्ष से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से हो)। ऐसे स्थिति में, सोसाइटी द्वारा जारी मासिक बिल पर जीएसटी वसूलने की आवश्यकता नहीं है।



(40) चुलबुल हाउसिंग सोसाइटी का आरडब्ल्यूए, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, ने प्रति सदस्य प्रति माह ₹6,000 मेंटेनेंस शुल्क एकत्रित किया। ऐसे मामले में, आरडब्ल्यूए द्वारा जीएसटी वसूलना आवश्यक नहीं है।

हालाँकि, उपरोक्त मामले में, यदि मासिक योगदान प्रति सदस्य ₹7,500/- से अधिक हो, तो सम्पूर्ण योगदान कर योग्य होगा।



(41) यदि उपरोक्त उदाहरण में अन्य सभी परिस्थितियाँ समान रहते हुए, चुलबुल हाउसिंग सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने प्रति सदस्य मासिक मेंटेनेंस शुल्क ₹9,000 एकत्र किया, तो जीएसटी @18% सम्पूर्ण राशि ₹9,000 पर देय होगा, न कि [₹9,000 - ₹7,500]

ऐसा भी संभव है कि सोसाइटी/आरडब्ल्यूए का कुल कारोबार पंजीकरण के लिए लागू सीमा से कम हो और सभी सदस्यों का मासिक मेंटेनेंस योगदान ₹7,500/- से कम हो (ऐसी सेवाएँ मुक्त हैं)। इसके अलावा, सोसाइटी अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को कोई अन्य कर योग्य सेवा प्रदान नहीं कर रही हो। ऐसी स्थिति में, सोसाइटी (जो मूलतः पूरी तरह से मुक्त सेवाएँ प्रदान कर रही है) को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।




(42) नई दिल्ली में स्थित बुलबुल हाउसिंग सोसाइटी की आरडब्ल्यूए का किसी वित्तीय वर्ष में टर्नओवर ₹15 लाख है। इसने प्रति सदस्य प्रति माह ₹6,000 मेंटेनेंस चार्ज वसूला है। आरडब्ल्यूए अपने सदस्यों को कोई अन्य कर योग्य सेवा प्रदान नहीं कर रही है। इस मामले में, चूंकि इसका कुल टर्नओवर लागू सीमा ₹20 लाख से कम है, आरडब्ल्यूए को जीएसटी के तहत पंजीकरण लेने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, आरडब्ल्यूए को पंजीकरण लेने की आवश्यकता नहीं है भले ही प्रति सदस्य प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज की राशि ₹7,500 से अधिक हो, यदि किसी वित्तीय वर्ष में आरडब्ल्यूए का कुल टर्नओवर पंजीकरण की सीमा से अधिक नहीं है।



(43) चुलबुल हाउसिंग सोसाइटी का आरडब्ल्यूए, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, ने प्रति सदस्य मासिक मेंटेनेंस शुल्क ₹6,000 एकत्र किया। इस स्थिति में, आरडब्ल्यूए को जीएसटी वसूलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कुल कारोबार लागू सीमा ₹20 लाख से कम है।

उपरोक्त चर्चा का सारांश निम्नलिखित रूप में है:



*विशेष श्रेणी के राज्यों मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए ₹10 लाख

अतः आरडब्ल्यूए को अपने सदस्यों से वसूली जाने वाली मासिक सदस्यता/योगदान पर जीएसटी तभी देय होगा, जब ऐसी सदस्यता प्रति सदस्य प्रति माह ₹7,500/- से अधिक हो और सेवाओं या वस्तुओं या दोनों की आपूर्ति के माध्यम से आरडब्ल्यूए का वार्षिक कुल कारोबार ₹20 लाख से अधिक हो।

अन्य शब्दों में,

आरडब्ल्यूए का वार्षिक कारोबार	मासिक मेंटेनेंस शुल्क	क्या यह मुक्त है?
₹20 लाख* से अधिक	₹7,500/- से अधिक	नहीं
	₹7,500/- या उससे कम	हाँ
₹20 लाख या उससे कम	₹7,500/- से अधिक	हाँ
	₹7,500/- या उससे कम	हाँ

*मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹10 लाख

ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहाँ कोई व्यक्ति हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय परिसर में 2 या अधिक फ्लैट का मालिक हो। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि छूट के लिए मासिक मेंटेनेंस पर ₹7,500/- की सीमा प्रति निवासी अपार्टमेंट पर लागू होगी या प्रति व्यक्ति।

सामान्य व्यावसायिक दृष्टिकोण के अनुसार, जो व्यक्ति हाउसिंग सोसाइटी या आवासीय परिसर में 2 या अधिक आवासीय अपार्टमेंट का मालिक है, वह सामान्यतः प्रत्येक स्वामित्व वाले अपार्टमेंट के लिए आरडब्ल्यूए का सदस्य होगा। परिणामस्वरूप, प्रति सदस्य मासिक ₹7,500/- की सीमा प्रत्येक स्वामित्व वाले अपार्टमेंट के लिए अलग-अलग लागू की जाएगी।



(44) गरीब चंद हाउसिंग परिसर में दो आवासीय अपार्टमेंट के मालिक हैं और इन दो अपार्टमेंट के रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए को मासिक मेंटेनेंस शुल्क के रूप में ₹15,000/- का भुगतान करते हैं (प्रति आवासीय अपार्टमेंट ₹7,500/- प्रति माह)। इस स्थिति में, प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए चुकाए गए मेंटेनेंस शुल्क पर जीएसटी से छूट उपलब्ध होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरडब्ल्यूए को उन पूंजीगत वस्तुओं (जेनरेटर, पानी पंप, लॉन फर्नीचर आदि), वस्तुओं (नल, पाइप, अन्य सैनिटरी/हार्डवेयर फिटिंग आदि) और इनपुट सेवाओं जैसे मरम्मत और रखरखाव सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का आईटीसी लेने का अधिकार है, जो इसके सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करने में उपयोग की जाती हैं। और इस आईटीसी का उपयोग उस जीएसटी देयता के निपटान के लिए किया जा सकता है,

जब ऐसी सेवाओं या वस्तुओं के लिए वसूली गई राशि प्रति सदस्य प्रति माह ₹7,500/- से अधिक हो। [आईटीसी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा के लिए इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय-8 देखें]।



जीएसटी के तहत पंजीकृत टिटिन हाउसिंग सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने मई महीने में सोसाइटी के 1,000 सदस्यों से प्रति सदस्य प्रति माह ₹9,000 मेंटेनेंस चार्ज वसूला। ₹16,20,000 [₹90,00,000 की राशि पर 18% देय] जीएसटी का भुगतान करने के लिए, आरडब्ल्यूए मई महीने में किए गए बगीचे के झूले की खरीद पर ₹1,00,000 का जीएसटी आईटीसी, इलेक्ट्रिक केबल पर ₹20,000 का आईटीसी और प्लंबिंग सेवाओं पर ₹15,000 का आईटीसी उपयोग कर सकता है।

★ संपत्ति कर, बिजली शुल्क आदि जैसी वैधानिक देयताएँ, जो सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों पर उठाए गए मासिक मेंटेनेंस बिल का हिस्सा हैं, उपरोक्त मासिक सीमा ₹7,500 की गणना करते समय शामिल नहीं की जाएँगी।⁵⁶

प्रश्नोत्तरी समय!


निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं हैं?

9

(क) संग्रहालय में प्रवेश के माध्यम से सेवाएँ।	(ख) सर्कस में प्रवेश का अधिकार जहाँ टिकट की लागत 550 रुपये प्रति व्यक्ति है।	(ग) एक गायक द्वारा शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन जहाँ लिया गया प्रतिफल 1,45,000 रुपये है।	(घ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के तहत आयोजित खेल आयोजनों का प्रायोजन।
---	--	---	--

⁵⁶ उपरोक्त प्रविष्टि के तहत चर्चा मुख्यतः सर्कुलर संख्या 109/28/2019 जीएसटी दिनांक 22.07.2019, सीबीआईसी जीएसटी फ्लायर 'सहकारी आवासीय सोसाइटी पर जीएसटी और सहकारी सोसाइटी को सेवाएँ प्रदान करने पर जीएसटी लगाने संबंधी सीबीआईसी एफएक्यूज़ पर आधारित है।

23. अन्य छूट प्राप्त सेवाएँ

प्रविष्टि नं.	सेवाओं का विवरण
2	<p>संपूर्ण या इसके स्वतंत्र भाग के रूप में जारी व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) के हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>गोइंग कंसर्न का हस्तांतरण उस चल रहे व्यवसाय के हस्तांतरण को दर्शाता है जिसे खरीदार स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में संचालित कर सके, लेकिन यह केवल किसी सेवा से संबंधित गतिविधि के हस्तांतरण को शामिल नहीं करता। एकमुश्त मूल्य पर व्यवसाय का हस्तांतरण, जिसे सामान्यतः स्लंप सेल कहा जाता है, इस प्रविष्टि के अंतर्गत आता है।</p> <p>ऐसे सम्पूर्ण व्यवसाय के विक्रय में अचल संपत्ति, वस्तुएँ और अधूरे आदेश, कर्मचारी, गुडविल आदि का व्यापक विक्रय शामिल होगा। चूँकि शीर्षक में हस्तांतरण केवल अचल संपत्ति या वस्तुओं या दोनों का शीर्षक हस्तांतरण नहीं है, यह सेवा के रूप में आ सकता है और इसलिए इसे मुक्त किया गया है।</p> <div data-bbox="402 865 520 981" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <div data-bbox="541 871 1218 1031" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(46) रॉयल होटल ग्रुप रेस्तराँ की एक श्रृंखला के व्यवसाय में संलग्न है। वह अपने व्यवसाय को गोइंग कंसर्न के रूप में बेचने का इरादा रखता है। ऐसी व्यवसाय की बिक्री पर उसे GST का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।</p> </div>
12	<p>आवासीय निवास को आवास के रूप में उपयोग हेतु किराये पर देने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ आवासीय निवास को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर दिया गया हो।</p> <p>स्पष्टीकरण 1— इस प्रविष्टि के अंतर्गत छूट के प्रयोजन हेतु, यह प्रविष्टि उस स्थिति को सम्मिलित करेगी जहाँ आवासीय निवास को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जहाँ –</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) पंजीकृत व्यक्ति एक स्वामित्व फर्म का स्वामी हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने स्वयं के निवास के रूप में आवासीय निवास को किराये पर लेता हो; तथा (ii) ऐसा किरायेदारी अनुबंध उसके स्वयं के खाते पर हो, न कि स्वामित्व फर्म के खाते पर। <p>स्पष्टीकरण 2- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा –</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएँ; (ख) हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट आवास एवं इसी प्रकार के आवासीय सेवाएँ;

	<p>अतः आवासीय भवन का किराया, चाहे वह पंजीकृत व्यक्ति द्वारा हो या अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा, अपंजीकृत व्यक्ति के आवासीय उपयोग के लिए प्रदान किया गया हो, जीएसटी से मुक्त है।</p> <p>पंजीकृत व्यक्ति (उपरोक्त व्याख्या में उल्लिखित स्वामीव्यक्तित्व को छोड़कर) के आवासीय उपयोग के लिए आवासीय भवन का किराया तथा पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्ति को व्यावसायिक उपयोग के लिए आवासीय भवन का किराया, दोनों ही जीएसटी के अधीन हैं। अतिरिक्त रूप से, पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवन का किराया देने पर, चाहे वह आवासीय भवन व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा हो या आवासीय प्रयोजनों के लिए, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान पंजीकृत व्यक्ति द्वारा करना होगा।⁵⁷</p>
12 (क)	यदि आवासीय सेवा की आपूर्ति की मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपये या उससे कम हो और यह सेवा न्यूनतम लगातार नब्बे दिनों की अवधि के लिए प्रदान की जा रही हो, तो ऐसी आवासीय सेवा की आपूर्ति।
19 ग	उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएँ
22	<p>किराए पर देने के रूप में सेवाएँ –</p> <p>(क) राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) को, 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहन किराए पर देने के रूप में; या</p> <p>राज्य परिवहन उपक्रम (स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग): का अर्थ है कोई भी ऐसा उपक्रम जो सड़क परिवहन सेवा प्रदान करता हो, और यह उपक्रम निम्नलिखित द्वारा संचालित किया जाता हो-</p> <ol style="list-style-type: none"> I. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार; II. कोई भी सड़क परिवहन निगम जो सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की खंड 3 के अंतर्गत स्थापित किया गया हो। III. कोई भी नगरपालिका या कोई निगम अथवा कंपनी जो केंद्रीय सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व में हो या उनके नियंत्रण में हो, अथवा केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व या नियंत्रण में हो।

⁵⁷ रिवर्स चार्ज तंत्र से संबंधित प्रावधान अधिसूचना क्रमांक 13/2017 सी.टी. (आर) दिनांक 28.06.2017 में सम्मिलित हैं, जिसका विस्तृत विवरण इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 3 – “जीएसटी का प्रभार” में प्रस्तुत किया गया है।

व्याख्या – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, सड़क परिवहन सेवा का अर्थ है मोटर वाहनों द्वारा यात्रियों या माल या दोनों को किराए या पारितोषिक के लिए सड़क मार्ग से ले जाने की सेवा [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की भाग 2(42)]।

सामान्यतः, ऐसे एसटीयू/निगम इस उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं कि यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। यदि परिवहन उपक्रम निजी व्यक्तियों से बसों को किराए पर लेकर चलाते हैं और इसके लिए पारितोषिक का भुगतान करते हैं, तो ऐसे एसटीयू को मोटर वाहनों की आपूर्ति के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ कर से मुक्त होती हैं। हालाँकि, एसटीयू के अलावा अन्य सरकारी विभागों को मोटर वाहन की आपूर्ति कर योग्य होती है।⁵⁸

(कक) स्थानीय प्राधिकरण को, 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले इलेक्ट्रिक संचालित वाहन (ईओवी) किराए पर देने के रूप में;

ईओवी का अर्थ है वह वाहन जो कस्टम्स प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय 87 के अंतर्गत आता हो और जो केवल बाहरी स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा या ऐसे सड़क वाहन में लगाए गए एक/अधिक विद्युत बैटरियों से संचालित होता हो।

इस प्रविष्टि में “किराए पर देना” की अभिव्यक्ति में वाहनों का किराया देना शामिल है। तदनुसार, जब उक्त वाहन ईओवी या स्थानीय प्राधिकरणों को किराए पर दिए जाते हैं या किराए पर चलाए जाते हैं, तो ये सेवाएँ उपरोक्त छूट के पात्र होती हैं, चाहे ऐसे वाहन ईओवी या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मार्गों, समयों पर संचालित किए जाएँ और ईओवी या स्थानीय प्राधिकरणों के प्रभावी नियंत्रण में हों, जो वाहन संचालन या परिचालन के नियम निर्धारित करते हैं।⁵⁹

(ख) माल परिवहन एजेंसी को, माल परिवहन का साधन।



(47) निशांत के पास एक ट्रक है जिसे उसने सिंधु और बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी - एक माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) को किराए पर दिया है। माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) [सिंधु और बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी] को माल परिवहन के साधन [इस उदाहरण में ट्रक] किराए पर देने के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ कर से मुक्त हैं। हालाँकि, यदि निशांत ने ऐसे वाहन को किराए पर दिया होता जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, तो यह क्रिया इस प्रविष्टि के अंतर्गत कर मुक्त नहीं होती।

⁵⁸ जैसा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा सरकारी सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यूज़) के प्रश्न संख्या 26 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

⁵⁹ सर्कुलर क्रमांक 164/20/2021 जीएसटी दिनांक 06.10.2021

	<p>(ग) विद्यार्थियों, शिक्षक और कर्मचारियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन, उस व्यक्ति को दिया गया जो प्रारंभिक शिक्षा प्री-स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या समकक्ष तक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, शिक्षक और कर्मचारियों के परिवहन की सेवाएँ प्रदान करता हो।</p>
<p>23</p>	<p>सड़क या पुल तक पहुँच प्रदान करने की सेवा, जिसके लिए टोल शुल्क का भुगतान किया जाता हो।</p> <p>उक्त प्रविष्टि के संबंध में निम्नलिखित विषय स्पष्ट किए गए हैं:</p> <p>(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) ने अधिक भार वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाने की अनुमति दी है, बशर्ते वे उच्च टोल शुल्क का भुगतान करें। यह स्पष्ट किया गया है कि टोल चौकों पर अधिक भार शुल्क को टोल शुल्क के समान ही कर उपचार प्राप्त होगा।</p> <p>(ii) मॉर्थ⁶¹ यह निर्देश दिया गया है कि उस सड़क के उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल की जाए, जो उस वाहन श्रेणी के लिए लागू शुल्क का दो गुना हो, जिनके पास वैध कार्यशील फास्टैग (फास्टैग) नहीं है।</p> <p>मूलतः, उन सड़क उपयोगकर्ताओं से वसूली गई अतिरिक्त राशि जिनके पास कार्यशील फास्टैग नहीं है, टोल शुल्क की प्रकृति की होती है और इसे अतिरिक्त टोल शुल्क के रूप में माना जाना चाहिए। अतः यह स्पष्ट किया गया है कि फास्टैग न होने वाले वाहनों से उच्च टोल शुल्क के रूप में वसूली गई अतिरिक्त राशि मूलतः उन वाहनों को सड़क या पुल तक पहुँच की अनुमति देने के लिए टोल का भुगतान है और इसे टोल शुल्क के समान ही कर उपचार दिया जा सकता है।</p>
<p>25</p>	<p>बिजली के संचरण/वितरण के लिए बिजली संचरण/वितरण उपक्रम द्वारा की जाने वाली सेवाएँ। हालाँकि, इस संबंध में सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि डिसकॉम्स द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएँ...</p>



⁶⁰ सन्दर्भित परिपत्र संख्या 164/20/2021- जीएसटी, दिनांक 06.10.2021 के अनुसार

⁶¹ सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 16.02.2021 के अनुसार

⁶² सन्दर्भित परिपत्र संख्या 177/09/2022- जीएसटी, दिनांक 03.08.2022 के अनुसार


	(वितरण कंपनियों) उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क पर जीएसटी देय होता है, जैसे- i. बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदन शुल्क; ii. मीटरिंग उपकरण के लिए किराया शुल्क; iii. मीटर/ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर आदि के परीक्षण शुल्क; iv. मीटर या सेवा लाइनों के स्थानांतरण के लिए ग्राहकों से मजदूरी शुल्क; v. प्रतिलिपि बिल के लिए शुल्क ⁶³ .
25 क	<i>बिजली संचरण या वितरण उपक्रमों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली के संचरण या वितरण की आपूर्ति के साथ अनिवार्य या सहायक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति, जैसे कि-मीटरिंग उपकरण किराए पर प्रदान करना, मीटर/ट्रांसफॉर्मर/कैपेसिटर आदि का परीक्षण, बिजली कनेक्शन जारी करना, मीटर/सेवा लाइनों का स्थानांतरण, प्रतिलिपि बिल जारी करना आदि।</i>
44	एक इनक्यूबेटी द्वारा वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹50 लाख तक प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्- (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार ₹50 लाख से अधिक नहीं हुआ हो; तथा (ख) इनक्यूबेटी के रूप में समझौता करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई हो। इन्क्यूबेटी: अर्थात् वह उद्यमी जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीडीबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर (टीबीआई)/साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क (एसटीईपी) के परिसर में स्थित हो और जिसने उच्च तकनीकी एवं नवाचारी उत्पादों का विकास और उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए टीबीआई / एसटीईपी के साथ समझौता किया हो।
44 क	<i>अनुसंधान और विकास सेवाएँ, जिनके लिए प्राप्त परिग्रहण राशि अनुदान के रूप में दी गई हो, निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं- (क) कोई सरकारी संस्था; या</i>

⁶³ सन्दर्भित परिपत्र संख्या 34/8/2018- जीएसटी, दिनांक 01.03.2018

	<p>(ख) कोई अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 35 की उप- भाग (1) की खंडों (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो।</p> <p>इस मामले में पूरी की जाने वाली शर्त यह है कि अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जिसे भाग 35 की उप- भाग (1) की खंडों (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय अधिसूचित हो।</p>
48	टैक्स योग्य सेवाएँ, जो एनएसटीडीबी द्वारा मान्यता प्राप्त टीबीआई/एसटीईपी या भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जैव-इनक्यूबेटरों को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बायरेक) द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा प्रदान की गई हों या प्रदान की जानी हैं।
49	स्वतंत्र पत्रकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा समाचार एकत्रित करने या प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ।
50	पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री की उधारी देने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
52	किसी व्यवसायिक प्रदर्शनी के आयोजनकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को भारत के बाहर आयोजित व्यवसायिक प्रदर्शनी से संबंधित प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
57	फल और सब्जियों की पूर्व-संरक्षण, पूर्व-शीतलन, पकाना, मोम लगाने, खुदरा पैकिंग, लेबलिंग आदि के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो उक्त फल या सब्जियों की मूलभूत विशेषताओं को परिवर्तित या बदलती नहीं हैं।
58	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट द्वारा शीत श्रृंखला ज्ञान प्रसार के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
59	भारत में स्थित किसी विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
61 क	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में संचालन के लिए किसी मालवाहक वाहन को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

<p>65क</p>	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ।</p>
<p>68</p>	<p>मान्यता प्राप्त खेल निकाय को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित द्वारा— (क) किसी व्यक्ति द्वारा, एक खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में, मान्यता प्राप्त खेल निकाय द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ; (ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त खेल निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। हालाँकि, चयनकर्ताओं, टिप्पणीकारों, क्यूरेटर्स, तकनीकी विशेषज्ञों जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कर योग्य हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी फ्रैंचाइज़ी को प्रदान की जाने वाली सेवा, जो मान्यता प्राप्त खेल निकाय नहीं है, भी कर योग्य है। 'मान्यता प्राप्त खेल निकाय' शब्द को इस अध्याय में पहले परिभाषित किया गया है।</p>
<p>76</p>	<p>सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में, जैसे बाथरूम, वॉशरूम, शौचालय, मूत्रालय या टॉयलेट की सुविधाएँ प्रदान करने के रूप में दी जाने वाली सेवाएँ।</p>

ध्यान दें: इस छूट अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत गठित और पंजीकृत की गई हो, उसे भी एक साझेदारी फर्म या फर्म माना जाएगा।



प्रश्नोत्तरी समय!

10

निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं?

(क) भारत में स्थित किसी विदेशी राजनयिक मिशन को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	(ख) भारत में आयोजित किसी व्यावसायिक प्रदर्शनी के संबंध में किसी भी व्यक्ति को आयोजक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	(ग) एक चल रही संस्था (गोइंग कॉन्सर्न) के हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
---	---	--	--


अतिथि एंकरों को मानदेय (ऑनरारियम)के भुगतान पर लागू जीएसटी

सन्दर्भित परिपत्र संख्या 177/09/2022- जीएसटी, दिनांक 03.08.2022 में अतिथि एंकरों को दिए जाने वाले मानदेय (ऑनरारियम) पर जीएसटी की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया है। संसद टीवी और अन्य टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों में अतिथि एंकरों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें मानदेय के रूप में पारिश्रमिक प्रदान करते हैं।

यह स्पष्ट किया गया है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य होती है, जब तक कि उन्हें करमुक्त न किया गया हो या 'न तो वस्तु की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति' के रूप में घोषित न किया गया हो। अतिथि एंकरों द्वारा मानदेय (ऑनरारियम) के एवज़ में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी देय होता है।

हालाँकि, ऐसे अतिथि एंकर जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹20 लाख (विशिष्ट विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में ₹10 लाख) से अधिक नहीं है, उन्हें पंजीकरण कराने और जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. सामान्य प्रचलन के परिणामस्वरूप अधिरोपित न किए गए या कम अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली न करने का अधिकार ।

 वैधानिक प्रावधान						
भाग 11ए	सामान्य प्रचलन के परिणामस्वरूप अधिरोपित न किए गए या कम अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली न करने का अधिकार					
	विवरण					
	इस अधिनियम में कहीं भी दी गई किसी भी व्यवस्था के बावजूद, यदि सरकार यह संतुष्ट हो कि-					
	<table border="1"> <tr> <td>(ए)</td> <td>किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर केंद्रीय कर (जिसमें कर न लगाने की प्रथा भी शामिल है) के अधिरोपण के संबंध में कोई प्रचलन पूर्व में या वर्तमान में सामान्य रूप से प्रचलित था; और</td> </tr> <tr> <td>(बी)</td> <td>ऐसी आपूर्ति पूर्व में या वर्तमान में निम्नलिखित के अंतर्गत कर योग्य थीं, या हैं-</td> </tr> <tr> <td>(i)</td> <td>केंद्रीय कर, उन मामलों में जहाँ उक्त प्रचलन के अनुसार केंद्रीय कर नहीं लगाया गया था, या वर्तमान में नहीं लगाया जा रहा है; या</td> </tr> </table>	(ए)	किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर केंद्रीय कर (जिसमें कर न लगाने की प्रथा भी शामिल है) के अधिरोपण के संबंध में कोई प्रचलन पूर्व में या वर्तमान में सामान्य रूप से प्रचलित था; और	(बी)	ऐसी आपूर्ति पूर्व में या वर्तमान में निम्नलिखित के अंतर्गत कर योग्य थीं, या हैं-	(i)
(ए)	किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर केंद्रीय कर (जिसमें कर न लगाने की प्रथा भी शामिल है) के अधिरोपण के संबंध में कोई प्रचलन पूर्व में या वर्तमान में सामान्य रूप से प्रचलित था; और					
(बी)	ऐसी आपूर्ति पूर्व में या वर्तमान में निम्नलिखित के अंतर्गत कर योग्य थीं, या हैं-					
(i)	केंद्रीय कर, उन मामलों में जहाँ उक्त प्रचलन के अनुसार केंद्रीय कर नहीं लगाया गया था, या वर्तमान में नहीं लगाया जा रहा है; या					

		<p>(ii) उक्त प्रचलन के अनुसार लगाये जा रहे या पहले लगाये गए केंद्रीय कर की तुलना में अधिक राशि का केंद्रीय कर, सरकार, परिषद की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकती है कि ऐसी आपूर्ति पर देय पूरे केंद्रीय कर, या, जहाँ प्रचलन के अनुसार देय केंद्रीय कर की तुलना में अधिक कर लगाया गया हो, उस अधिरोपित केंद्रीय कर के अतिरिक्त कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उक्त प्रचलन के अनुसार केंद्रीय कर नहीं लगाया गया था, वर्तमान में नहीं लगाया जा रहा है, या कम लगाया गया था।</p>
--	--	---



विश्लेषण

सामान्य प्रचलन के कारण जीएसटी के अधिरोपित न किए जाने/कम अधिरोपित किए जाने का नियमितीकरण

विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार को जीएसटी से पीछे की तिथि से छूट जारी करने का अधिकार है। यदि सरकार यह संतुष्ट हो कि कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा थी, जिसके तहत जीएसटी नहीं लगाया गया था या कम दर पर लगाया गया था—भले ही ऐसी आपूर्ति वास्तव में जीएसटी या उच्च दर के जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य हो—तो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है।

इस अधिसूचना में यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रचलित प्रथा के कारण न दिया गया या कम दिया गया जीएसटी अब भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह प्रावधान उन करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से है जिन्होंने उद्योग की प्रचलित प्रथाओं का पालन सद्भावना के साथ किया है, सामान्य रूप से स्वीकृत प्रथाओं के आधार पर, भले ही वह प्रथाएँ कानूनी रूप से पूरी तरह सही न हों।



आईजीएसटी से छूट प्रदान करने का समान प्रावधान आईजीएसटी अधिनियम की धारा 6क के अंतर्गत भी किया गया है।


छात्र ध्यान दें कि जीएसटी से छूट प्रदान करने वाले कुछ प्रविष्टियाँ पूर्व सेवा कर कानून के तहत नकारात्मक सूची प्रविष्टि/छूट प्रदान करने वाली प्रविष्टियों के समान हैं।

अतः पूर्व सेवा कर कानून के तहत दी गई उक्त नकारात्मक सूची प्रविष्टि/छूट से संबंधित स्पष्टीकरण, जहाँ भी यह जीएसटी कानून के तहत प्रासंगिक प्रतीत होता है, संबंधित स्थानों पर शामिल किया गया है।



आइए हम पुनरावलोकन करें

1. कर से छूट देने का अधिकार [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 11 / आईजीएसटी अधिनियम की भाग 6]



2. सामान्य प्रचलन के परिणामस्वरूप अधिरोपित न किए गए या कम अधिरोपित जीएसटी की वसूली न करने का अधिकार [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 11क/ आईजीएसटी अधिनियम की भाग 6क]



3. जीएसटी से मुक्त सेवाओं की सूची

Services	करमुक्त सेवाएँ
धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों से संबंधित सेवाएँ	<p>आयकर अधिनियम की भाग 12कक या 12कख के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा किए गए धर्मार्थ कार्य।</p> <p>किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ—</p> <p>(क) किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन;</p> <p>(ख) धार्मिक स्थल के परिसरों का किराया, जो सामान्य जनता के लिए निर्धारित हो और आयकर अधिनियम की भाग 12 कक/12कख /10(23सी)(वी) के तहत पंजीकृत संस्थाओं/एकाइयों/ट्रस्टों के स्वामित्व या प्रबंधन में हो, या उक्त अधिनियम की भाग 10(23बीबीए) के अंतर्गत आने वाले निकाय/प्राधिकरण के स्वामित्व या प्रबंधन में हो, सिवाय उन मामलों के जहाँ—</p> <p>(I) कमरों के किराये के लिए शुल्क ₹1,000 या उससे अधिक प्रति दिन;</p> <p>(II) परिसरों, सामुदायिक हॉल, कल्याण मंडप, खुली जगह आदि के किराये के लिए शुल्क ₹10,000 प्रति दिन;</p> <p>(III) व्यवसाय/वाणिज्य के लिए दुकानों/स्थान के किराये के लिए शुल्क ₹10,000 प्रति माह।</p> <p>निर्दिष्ट संगठन [केएमवीएन /हज समिति] द्वारा किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा [हज और कैलाश मानसरोवर यात्रा] के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>प्रशिक्षण/कोचिंग निम्नलिखित में—</p> <p>(क) कला/संस्कृति से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण/कोचिंग, किसी व्यक्ति द्वारा या</p> <p>(ख) खेलों में प्रशिक्षण/कोचिंग, आयकर अधिनियम की धारा 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा।</p>
कृषि संबंधित सेवाएँ	<p>चावल का लदान, उतार-चढ़ाव, पैकिंग, भंडारण या गोदाम सेवाएँ।</p> <p>लघु वानिकी उत्पाद का गोदाम/भंडारण।</p>

	<p>अनाज, दलहन, फल और सब्जियों के भंडारण/गोदाम सेवाएँ।</p> <p>पशुधन (घोड़ों को छोड़कर) की कृत्रिम निषेचन सेवाएँ।</p> <p>पौधों की खेती और पशुओं [घोड़ों को छोड़कर] के पालन के संबंध में खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के लिए जॉब वर्क के रूप में मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया का संचालन।</p> <p>पौधों की खेती और पशुओं [घोड़ों को छोड़कर] के पालन से संबंधित सेवाएँ, खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के लिए निम्नलिखित माध्यम से—</p> <p>(क) किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्य, जिसमें खेती, कटाई, थ्रेशिंग, पौध सुरक्षा या परीक्षण शामिल हैं;</p> <p>(ख) कृषि श्रमिकों की आपूर्ति;</p> <p>(ग) किसी कृषि फार्म पर किए जाने वाले प्रक्रियात्मक कार्य, जैसे देखभाल, छंटाई आदि और ऐसे समान कार्य जो कृषि उपज की मूल विशेषताओं को नहीं बदलते, बल्कि केवल प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योग्य बनाते हैं;</p> <p>(घ) कृषि मशीनरी या खाली जमीन का किराया या पट्टा, उसके उपयोग से संबंधित संरचना के साथ/बिना;</p> <p>(ङ) कृषि उपज का लदान, उतार-चढ़ाव, पैकिंग, भंडारण या गोदाम सेवाएँ;</p> <p>(च) कृषि विस्तार सेवाएँ;</p> <p>(छ) किसी कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या कृषि उपज की बिक्री/खरीद के लिए कमीशन एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
शिक्षा सेवाएँ	<p>किसी शैक्षणिक संस्थान (एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन – ईआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अपने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को; • प्रवेश परीक्षा का आयोजन करके, प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त परिग्रहण के बदले।

	<p>किसी शैक्षणिक संस्थान (ईआई) को निम्नलिखित माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ—</p> <p>(i) छात्रों, संकाय और कर्मचारियों का परिवहन;</p> <p>(ii) खाद्य प्रदान करना, जिसमें केंद्रीय सरकार (सीजी), राज्य सरकार (एसजी) या केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) द्वारा प्रायोजित मिड-डे मील योजना शामिल है;</p> <p>(iii) ऐसे शैक्षणिक संस्थान (ईआई) में प्रदान की जाने वाली सुरक्षा/सफाई/हाउसकीपिंग सेवाएँ;</p>	<p>ये छूट केवल उन संस्थानों पर लागू होती हैं जिनमें प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करती हैं।</p>
स्वास्थ्य सेवा	<p>(iv) ऐसे शैक्षणिक संस्थान (ईआई) द्वारा प्रवेश परीक्षा से को, या आयोजन के लिए संबंधित सेवाएँ;</p> <p>(v) ऑनलाइन शैक्षणिक पत्रिकाओं या अवधि-पत्रिकाओं की आपूर्ति। यह छूट केवल उन संस्थानों पर लागू होती है जो किसी भी समय प्रचलित कानून के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करती हैं।</p>	
	<p>केंद्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय द्वारा किसी स्कूल को प्रदान की जाने वाली संबद्धता सेवाएँ, चाहे इसे किसी भी नाम से कहा जाए, यदि वह स्कूल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकार संस्था द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रण में हो।</p>	<p>क्लिनिकल प्रतिष्ठान/अधिकृत चिकित्सक/पैरामेडिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ हालांकि, इस प्रविष्टि का कोई भी भाग उस सेवा पर लागू नहीं होगा जो किसी क्लिनिकल प्रतिष्ठान द्वारा कमरे [इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियो-नेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) को छोड़कर] प्रदान करने के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कमरे का शुल्क शामिल होता है।</p>

	<p>जो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए प्रति दिन ₹5,000 से अधिक हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> उक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एम्बुलेंस में रोगी का परिवहन।
सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएँ	<p>पशु/पक्षियों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित किसी पशु चिकित्सा क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा संविधान की भाग 243डब्ल्यू/243जी के अंतर्गत नगरपालिका/पंचायत को सौंपे गए किसी भी कार्य से संबंधित गतिविधि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर—</p> <p>(क) डाक विभाग और रेलवे मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ;</p> <p>(ख) विमान/जहाज से संबंधित सेवाएँ, पोर्ट/हवाई अड्डे के परिसरों के अंदर/बाहर;/ हवाई अड्डा;</p> <p>(ग) सामान/यात्रियों का परिवहन; या</p> <p>(घ) उपरोक्त 'निर्दिष्ट सेवाओं' के अलावा किसी भी अन्य सेवा, जो व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदान की जाती है।</p> <p>डाक विभाग द्वारा डाक पत्रक, आंतरिक पत्र, पुस्तक डाक और सामान्य डाक (10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफों) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था (बी.ई.) को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसकी पिछली वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार उस राशि तक हो, जिससे वह सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण से छूट का पात्र हो। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं और अचल संपत्ति किराए की सेवा पर लागू नहीं होती।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य सीजी/एसजी/यूटी/एलए को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं होती।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जहाँ ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त परिग्रहण ₹5,000 से अधिक न हो। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं होती।</p>

(क) से (ग) तक, जिन्हें आगे 'निर्दिष्ट सेवाएँ' कहा गया है।

*निरंतर सेवा की आपूर्ति के मामले में, यह छूट केवल तभी लागू होगी जब ऐसी सेवा के लिए वित्तीय वर्ष में वसूल किया गया परिग्रहण ₹5,000 से अधिक न हो।

किसी सरकारी इकाई द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) या सीजी/एसजी/यूटी/एलए द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवा, जिसके लिए सीजी/एसजी/यूटी/एलए से अनुदान के रूप में प्राप्त परिग्रहण लिया जाता है।

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या आयकर अधिनियम की खंड 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम द्वारा अपने निवासियों (आयु \geq 60 वर्ष) को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसमें प्रति सदस्य प्रति माह ₹25,000 तक का परिग्रहण लिया जा सके, बशर्ते कि वसूला गया परिग्रहण बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के शुल्क सहित हो।

रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित माध्यम से-

- (क) प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री;
- (ख) रिटायरिंग रूम/वेटिंग रूम की सुविधा;
- (ग) क्लॉक रूम सेवाएँ;
- (घ) बैटरी संचालित कार सेवाएँ।

रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत एक जोन/विभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अन्य जोन/विभागों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (सीजी/एसजी/यूटी) द्वारा अपनी उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज़) को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिनमें ऐसे उपक्रमों या पीएसयूज़ द्वारा बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की गारंटी शामिल हो।

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित माध्यम से-

- (क) किसी भी समय प्रचलित कानून के तहत आवश्यक पंजीकरण;
- (ख) कर्मचारियों, उपभोक्ताओं या जनता की सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, कैलिब्रेशन, सुरक्षा जांच या प्रमाणन, जिसमें किसी भी समय प्रचलित कानून के तहत आवश्यक अग्नि सुरक्षा लाइसेंस शामिल है।

	<p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) द्वारा पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
	<p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) द्वारा ऐसे अनुबंध के पालन में विफलता को सहन करने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके तहत अनुबंध के अंतर्गत सीजी/एसजी/यूटी/एलए को दंड या निश्चलित हर्जाने के रूप में परिग्रहण देय हो।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण (सीजी/एसजी/यूटी/एलए) द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार को व्यक्तिगत किसान को सौंपने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, पौधों की खेती और सभी प्रकार के पशुओं [घोड़ों को छोड़कर] के पालन के लिए, खाद्य, रेशा, ईंधन, कच्चा माल या अन्य समान उत्पादों के लिए।</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (सीजी/एसजी/यूटी) द्वारा, कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों में निरीक्षण, कंटेनर स्टफिंग या आयात-निर्यात माल से संबंधित अन्य कार्यों के लिए अधिकारियों को ड्यूटी पर भेजने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए मर्चेट ओवरटाइम शुल्क का भुगतान किया जाता है।</p> <p>राज्य सरकार (एसजी) द्वारा अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहकर्ता ठेकेदार को उन खनिजों पर रॉयल्टी संग्रह करने का अधिकार सौंपने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो खनन पट्टाधारकों द्वारा प्रेषित की गई हों, यह सभी निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।</p> <p>आरसीआई अधिनियम, 1992 के तहत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा चिकित्सा प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, पुनर्वास केंद्रों में पुनर्वास, थेरेपी या परामर्श और उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12ए या 12एबी के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा स्थापित हों।</p>
निर्माण सेवाएँ	<p>निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या किसी सिविल संरचना या लाभार्थी-प्रधान व्यक्तिगत आवास निर्माण या हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत सुधार से संबंधित किसी अन्य मूल कार्य के शुद्ध श्रम अनुबंध।</p>

	<p>बिजली वितरण उपक्रमों द्वारा कृषि उपयोग के लिए किसान/कृषक के ट्यूबवेल तक बिजली वितरण नेटवर्क का विस्तार करने हेतु अवसंरचना के निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग या इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
<p>यात्रियों का परिवहन (साथ/बिना साथ में लाए गए सामान के) की सेवाएँ</p>	<p>निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग, या मूल कार्यों के इंस्टॉलेशन के शुद्ध श्रम अनुबंध, जो किसी एकल आवासीय इकाई से संबंधित हों, और जो आवासीय परिसर के हिस्से के रूप में न हों।</p> <p>ये सेवाएँ निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं—</p> <p>(क) अर्थव्यवस्था श्रेणी में हवाई यात्रा, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य में स्थित हवाई अड्डे से आरंभ हो या समाप्त हो, या पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे से।</p> <p>(ख) नॉन-एयर कंडीशंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (रेडियो टैक्सी को छोड़कर) द्वारा यात्रियों का परिवहन, जिसमें पर्यटन, संचालित यात्रा, चार्टर या हायर को शामिल नहीं किया गया हो; या</p> <p>(ग) एयर-कंडीशंड स्टेज कैरिज को छोड़कर स्टेज कैरिज।</p> <p>हालांकि, उपरोक्त आइटम (ख) और (ग) में दी गई कोई भी व्यवस्था उन सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो किसी ईको के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और सीजीएसटी अधिनियम की भाग 9(5) के तहत अधिसूचित की गई हैं।</p> <p>ये सेवाएँ केंद्रीय सरकार (सीजी) को हवाई मार्ग द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो किसी क्षेत्रीय संपर्क योजना के हवाई अड्डे से आरंभ या समाप्त होती हैं, और इसके लिए भुगतान व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में किया जाता है। यह छूट केवल आरसीएस हवाई अड्डे के संचालन प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने तक लागू होगी, जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।</p> <p>ये सेवाएँ निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं—</p> <p>(क) रेलवे में प्रथम श्रेणी/एयर-कंडीशंड कोच को छोड़कर किसी अन्य श्रेणी में;</p> <p>(ख) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे;</p> <p>(ग) आंतरिक जलमार्ग</p>

	<p>(घ) भारत के भीतर स्थित स्थानों के बीच किसी पोत में सार्वजनिक परिवहन, जो मुख्यतः पर्यटन के उद्देश्य के लिए न हो; और</p> <p>(ङ) मीटर वाली टैक्सियाँ या ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा सहित)। हालांकि, उपरोक्त आइटम (ङ) में दी गई कोई भी व्यवस्था उन सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो किसी ईको के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और सीजीएसटी अधिनियम की भाग 9(5) के तहत अधिसूचित की गई हैं।</p>
सामान परिवहन सेवाएँ	<p>सामान के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ-</p> <p>(क) सड़क मार्ग द्वारा, निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर-</p> <p>(i) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ;</p> <p>(ii) कूरियर एजेंसी;</p> <p>(ख) आंतरिक जलमार्ग द्वारा।</p> <p>रेल/पोत/गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द्वारा माल वाहन में सामान के करमुक्त परिवहन-</p> <ul style="list-style-type: none"> • कृषि उपज • दूध, नमक और अनाज, जिसमें आटा, दाल और चावल शामिल हैं • जैविक उर्वरक • पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएँ (रजिस्ट्रार ऑफ़ न्यूजपेपरस के साथ) • रक्षा/सैन्य उपकरण • प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं, संकटों, दुर्घटनाओं या हादसों के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री <p>गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द्वारा किसी अप्रवर्तित व्यक्ति को, जिसमें अप्रवर्तित आकस्मिक करदाता भी शामिल है, प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं को छोड़कर-</p> <p>(क) फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत फैक्ट्री;</p> <p>(ख) संसद/समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी;</p> <p>(ग) सहकारी समिति;</p> <p>(घ) कॉर्पोरेट निकाय ;</p> <p>(ङ) साझेदारी फर्म जिसमें एओपी शामिल हो;</p> <p>(च) पंजीकृत आकस्मिक करदाता।</p>

	<p>गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द्वारा माल वाहन में सामान के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, निम्नलिखित को-</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (सीजी/एसजी/यूटी) का विभाग या प्रतिष्ठान; या</p> <p>(ख) स्थानीय प्राधिकरण ; या</p> <p>(ग) सरकारी एजेंसियाँ, जिन्होंने केवल भाग 51 के तहत कर कटौती के उद्देश्य से पंजीकरण लिया हो और माल या सेवा की करयोग्य आपूर्ति करने के लिए नहीं।</p>
<p>बैंकिंग और वित्तीय</p>	<p>निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ-</p> <p>(क) जमा, ऋण या अग्रिम प्रदान करना, जहाँ प्रतिफल ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के रूप में हो (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज को छोड़कर);</p> <p>(ख) बैंकों के बीच या विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों के बीच, अथवा बैंकों और ऐसे डीलरों के बीच विदेशी मुद्रा की परस्पर बिक्री या क्रय।</p> <p>प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडवाई) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खाता धारकों को बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से की गई एकल लेन-देन में ₹ 2,000 तक की राशि के निपटान के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>एक बहु-सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) का दर्जा प्राप्त हो, में स्थित वित्तीय सेवाओं के मध्यस्थ द्वारा भारत से बाहर स्थित ग्राहक को भारतीय रुपये के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
<p>जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ</p>	<p>राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीएआई) द्वारा पीएफआरडीएआई अधिनियम, 2013 के तहत दी जाने वाली वार्षिकी संबंधी सेवाएँ।</p> <p>भारतीय सेना, नौसेना तथा वायु सेना समूह बीमा निधि द्वारा अपने-अपने सदस्यों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को, केंद्र सरकार की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>

	<p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (गृह मंत्रालय के अधीन) समूह बीमा निधियों द्वारा उनके सदस्यों को संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली/प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की गई जीवन बीमा सेवाएँ।</p> <p>नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा तट रक्षक के कर्मचारियों को सीजी की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाएँ।</p> <p>निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत ऐसी सेवाएँ—</p> <p>(क) जनश्री बीमा योजना;</p> <p>(ख) आम आदमी बीमा योजना;</p> <p>(ग) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा स्वीकृत जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद, जिसकी अधिकतम बीमा राशि ₹2,00,000 हो;</p> <p>(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना;</p> <p>(ङ) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;</p> <p>(च) प्रधान मंत्री जन धन योजना;</p> <p>(छ) प्रधान मंत्री वय वंदन योजना।</p>
सामान्य बीमा व्यवसाय	<p>निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत ऐसी सेवाएँ –</p> <p>(क) कुटीर बीमा योजना;</p> <p>(ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पशु बीमा;</p> <p>(ग) आदिवासियों के बीमा हेतु योजना;</p> <p>(घ) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी एवं ग्रामीण दुर्घटना पॉलिसी;</p> <p>(ङ) स्वरोजगार महिला के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी;</p> <p>(च) कृषि पंपसेट और असफल कुएँ का बीमा;</p> <p>(छ) निर्यात क्रेडिट बीमा पर एकत्रित प्रीमियम;</p> <p>(ज) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस);</p>

⁶⁴ पूर्व में जिसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।

	<p>(झ) जन आरोग्य बीमा पॉलिसी; (बी)</p> <p>(ञ) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई);</p> <p>(ट) बीज फसल बीमा पर पायलट योजना;</p> <p>(ठ) पशु बीमा पर केंद्रीय क्षेत्र योजना;</p> <p>(ड) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना;</p> <p>(ढ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना;</p> <p>(ण) नारियल पाम बीमा योजना;</p> <p>(त) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना;</p> <p>(थ) निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1999 के राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिरोध और बहु अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु है;</p> <p>(द) बंगला शस्य बीमा;</p>
	<p>केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत, जिसके लिए कुल प्रीमियम केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा भुगतान किया गया हो। (सी)</p>
	<p>उपरोक्त (ए) या (बी) या (सी) में निर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>
	<p>मोटर वाहन दुर्घटना कोष द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए संकलित प्रीमियम से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए योगदान के बदले प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएँ।</p>
<p>निर्दिष्ट निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>	<p>कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम द्वारा ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारियों भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>कोल माइन प्रॉविडेंट फंड एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को कोल माइन प्रॉविडेंट फंड संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>एनपीएस ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्रतिपूर्ति के बदले प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p>

<p>पेंशन योजनाएँ</p>	<p>योगदान की वसूली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अटल पेंशन योजना • राज्य सरकार की कोई भी पेंशन योजना
<p>व्यवसाय सहायक/व्यवसाय संवाददाता</p>	<p>निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उनके संबंधित पदों में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ –</p> <p>(क) किसी बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय सहायक/व्यवसाय संवाददाता द्वारा, उसके ग्रामीण क्षेत्र शाखा में खातों के संदर्भ में;</p> <p>(ख) किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय सहायक या व्यवसाय संवाददाता के मध्यस्थ के रूप में, प्रविष्टि (क) में उल्लिखित सेवाओं के संदर्भ में; या</p> <p>(ग) किसी बीमा कंपनी के व्यवसाय सहायक/व्यवसाय संवाददाता द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में।</p>
<p>सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ</p>	<p>अनुसूचित सेवाएँ, जो केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण को किसी पंचायत/नगर पालिका को संविधान के अनुच्छेद 243जी/243डब्ल्यू के अंतर्गत सौंपी गई किसी भी कार्य से संबंधित किसी भी गतिविधि के माध्यम से प्रदान की जाती हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> शुद्ध सेवाएँ <input type="checkbox"/> मिश्रित वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति, जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य उक्त मिश्रित आपूर्ति के मूल्य का 25% से अधिक न हो। <p>किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित माध्यमों से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ–</p> <p>(क) जल आपूर्ति;</p> <p>(ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य;</p> <p>(ग) स्वच्छता संरक्षण;</p> <p>(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और</p> <p>(ङ) झूगी बस्ती सुधार और उन्नयन।</p> <p>न्यायालय मूल्य दुकानों द्वारा केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अन्न, केरोसिन, चीनी, खाने का तेल आदि की बिक्री के माध्यम से, कमीशन/मार्जिन के बदले प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश को किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल प्रीमियम केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा भुगतान किया गया हो।</p>

	केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जिसके लिए कुल व्यय का 75% या उससे अधिक केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा वहन किया गया हो।	
पट्टे से संबंधित सेवाएँ	राज्य सरकार के औद्योगिक विकास निगमों या उपक्रमों, या किसी अन्य ऐसे निकाय द्वारा, जिसमें केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश की 20% या उससे अधिक हिस्सेदारी हो, किसी औद्योगिक/वित्तीय व्यवसाय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों/डेवलपर्स को औद्योगिक भूखंडों/वित्तीय व्यवसाय हेतु अवसंरचना विकास भूखंडों की 30 वर्ष या उससे अधिक की दीर्घकालिक पट्टे की अनुमति देने के बदले अग्रिम राशि का भुगतान, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन।	
कानूनी सेवाएँ	द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	को
	<input type="checkbox"/> मध्यस्थ न्यायाधिकरण	बीई के अलावा कोई भी व्यक्ति
	<input type="checkbox"/> वकीलों की साझेदारी फर्म या एकल वकील (वरिष्ठ वकील के अलावा) द्वारा कानूनी सेवाओं के रूप में	किसी व्यवसाय संघ जिसकी कुल वार्षिक कारोबार राशि पिछली वित्तीय वर्ष में इतनी हो कि वह सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण से मुक्त होने के लिए पात्र हो।
	<input type="checkbox"/> वरिष्ठ वकील द्वारा कानूनी सेवाओं के रूप में	सीजी/एसजी/यूटी/एलए/जीए/जीई
	वकीलों की साझेदारी फर्म/एकल वकील (वरिष्ठ वकील के अलावा) द्वारा किसी अन्य वकील/वकीलों की साझेदारी फर्म को कानूनी सेवाएँ प्रदान करना।	
खेल आयोजनों का प्रायोजन	खेल आयोजनों का प्रायोजन, जो निम्नलिखित द्वारा आयोजित किए गए हों – (क) किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ या उसके संबद्ध महासंघों द्वारा, जहाँ प्रतिभागी टीमों या व्यक्ति किसी जिले, राज्य, क्षेत्र या देश का प्रतिनिधित्व करते हों; (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारत स्कूल खेल महासंघ द्वारा;	

	<p>पूरा भारत बधिर खेल परिषद, भारत पैरालिंपिक समिति या स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा;</p> <p>(ग) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड द्वारा;</p> <p>(घ) राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा; या</p> <p>(ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के अंतर्गत।</p>
<p>कौशल विकास सेवाएँ</p>	<p>निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा –</p> <p>(क) भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी);</p> <p>(ख) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी);</p> <p>(ग) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई पुरस्कार प्राधिकारी</p> <p>(घ) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई मूल्यांकन एजेंसी</p> <p>(ङ) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त कोई प्रशिक्षण संस्था</p> <p>(च) एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण साझेदार द्वारा – संबंधित मामलों में –</p> <p>(i) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या एनएसडीसी द्वारा लागू किसी अन्य योजना; अथवा</p> <p>(ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; अथवा</p> <p>(iii) किसी भी राष्ट्रीय कौशल पात्रता ढाँचे से सम्बद्ध योग्यता या कौशल, जिसके लिए एनसीवीईटी ने योग्यता पैकेज को अनुमोदित किया हो</p> <p>कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा डीजीटी के माध्यम से केंद्रीय रूप से पैनलबद्ध मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा एसडीआई योजना के अंतर्गत मूल्यांकन के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।</p> <p>भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू डीडीयूजीकेवाई के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के रूप में होती हैं।</p>

कलाकार द्वारा प्रदर्शन	किसी कलाकार द्वारा लोक या शास्त्रीय कला रूपों जैसे संगीत/नृत्य/थियेटर में प्रदर्शन के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, यदि ऐसे प्रदर्शन के लिए लिया गया परिग्रह ₹1,50,000 से अधिक नहीं है। यह छूट उन सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो ऐसे कलाकार किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदान करते हैं।	
विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश का अधिकार	<p>प्रवेश के अधिकार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:</p> <p>(i) संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या चिड़ियाघर;</p> <p>(ii) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष अधिनियम, 1958 / किसी भी प्रचलित राज्य अधिनियम के तहत घोषित संरक्षित स्मारक;</p> <p>(iii) निम्नलिखित कार्यक्रमों/स्थलों में प्रवेश के अधिकार के लिए लिया गया परिग्रह प्रति व्यक्ति ₹500 से अधिक न होने पर:</p> <p>(क) सर्कस, नृत्य या नाट्य प्रदर्शन जिसमें नाटक या बैले शामिल हो;</p> <p>(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत कार्यक्रम, पेजेंट, संगीतमय प्रदर्शन या किसी खेल आयोजन, सिवाय किसी मान्यता प्राप्त खेल आयोजन के;</p> <p>(ग) मान्यता प्राप्त खेल आयोजन;</p> <p>(घ) ग्रहशाला</p>	
किसी अविकसित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा, जो किसी प्रचलित कानून के तहत पंजीकृत हो, प्रदान की जाने वाली सेवाएँ	<p>अविकसित निकाय / गैर-लाभकारी संस्था द्वारा अपने सदस्यों को प्रतिपूर्ति / योगदान के हिस्से के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:</p> <p>(i) व्यावसायिक संघ के रूप में</p>	<p>(ii) मुक्त गतिविधि प्रदान करने के लिए</p> <p>(iii) हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय परिसर में अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए किसी तृतीय पक्ष से वस्तुएँ/सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति माह ₹7,500 तक की राशि तक</p> <p>ऐसी संस्था/निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जो निम्नलिखित में संलग्न हो –</p> <p>(i) औद्योगिक/कृषि श्रमिकों या किसानों की कल्याण संबंधी गतिविधियाँ; अथवा</p> <p>(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रचार-प्रसार।</p> <p>अपने सदस्यों को प्रति वर्ष प्रत्येक सदस्य के लिए ₹1,000 तक के सदस्यता शुल्क के विरुद्ध।</p>

अन्य छूटप्राप्त सेवाएँ	<p>चल रही इकाई का समग्र या उसका स्वतंत्र भाग के रूप में स्थानांतरण।</p> <p>आवासीय आवास को आवास के रूप में उपयोग हेतु किराए पर देने की सेवाएँ, सिवाय उन मामलों के जहाँ आवासीय आवास किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया गया हो।</p> <p>व्याख्या 1 — इस प्रविष्टि के तहत छूट के उद्देश्य के लिए, यह प्रविष्टि उस स्थिति में भी लागू होगी जहाँ आवासीय आवास किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया गया हो, जब—</p> <p>(i) पंजीकृत व्यक्ति एक स्वामित्वाधीन व्यवसाय का स्वामी हो और आवासीय आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने स्वयं के आवास के रूप में किराए पर देता हो; और</p> <p>(ii) ऐसी किराए पर देने की सेवा उसके अपने खाते पर हो, न कि स्वामित्वाधीन व्यवसाय के खाते पर।</p> <p>व्याख्या 2— इस प्रविष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निम्नलिखित पर लागू होगा—</p> <p>(क) छात्रावासों में छात्रों के लिए आवासीय सेवाएँ;</p> <p>(ख) होस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट आवास और समान प्रकार की आवासीय सेवाएँ।</p> <p>ऐसी आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिनका मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹20,000 या उससे कम हो, बशर्ते कि आवासीय सेवा न्यूनतम निरंतर अवधि 90 दिनों के लिए प्रदान की गई हो।</p> <p>उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएँ</p> <p>किराए पर देने के रूप में सेवाएँ —</p> <p>(क) राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) को, 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन;</p> <p>(कक) स्थानीय प्राधिकारी को, 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त विद्युत चालित वाहन (ईओवी); या</p> <p>(ख) वस्तु परिवहन एजेंसी (जीटीए) को, माल परिवहन के साधन।</p>

(ग) छात्र, संकाय और कर्मचारी के परिवहन के लिए मोटर वाहन, उस व्यक्ति को जो पूर्व-विद्यालय शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को छात्र, संकाय और कर्मचारी के परिवहन की सेवाएँ प्रदान करता हो।

टोल शुल्क के भुगतान पर सड़क या पुल तक पहुँच प्रदान करने के रूप में सेवा।

विद्युत् प्रेषण/वितरण उपक्रम द्वारा विद्युत् का प्रेषण/वितरण।

विद्युत् प्रेषण या वितरण उपक्रमों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत् के प्रेषण या वितरण की आपूर्ति से संबंधित या सहायक सेवाओं के रूप में मीटरिंग उपकरण किराए पर देना, मीटर/ट्रांसफॉर्मर/कैपेसिटर आदि का परीक्षण करना, विद्युत् कनेक्शन जारी करना, मीटर/सेवा लाइनों का स्थानांतरण करना, डुप्लीकेट बिल जारी करना आदि।

किसी इनक्यूबीटी द्वारा वित्तीय वर्ष में कुल ₹50 लाख तक के कारोबार के लिए प्रदान की गई सेवाएँ, बशर्ते-

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹50 लाख से अधिक न हुआ हो; और

(ख) इनक्यूबीटी के रूप में समझौता करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो।

अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाएँ, जो निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई हों —

(क) कोई सरकारी इकाई; या

(ख) कोई अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 35 की उप- भाग (1) की खंडों (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो।

इस मामले में शर्त यह है कि अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 35 की उप- भाग (1) की खंडों (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, वह अनुसंधान एवं विकास सेवा की आपूर्ति के समय अधिसूचित हो।

	<p>एनएसटीईडीबी द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी व्यवसाय इनक्यूबेटर / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क (टीबीआई/स्टेप) या बाइरैक द्वारा मान्यता प्राप्त जैव-इनक्यूबेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली या दी जाने वाली कर योग्य सेवाएँ।</p> <p>स्वतंत्र पत्रकार, पीटीआई या यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा समाचार एकत्रित करने या प्रदान करने के रूप में सेवाएँ।</p> <p>सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों, प्रकाशनों अथवा किसी अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री के उधार देने के रूप में सेवाएँ।</p> <p>भारत के बाहर आयोजित व्यवसाय प्रदर्शनी से संबंधित किसी भी व्यक्ति को आयोजक द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।</p>
	<p>फल एवं सब्जियों की पूर्व-संशोधन, पूर्व-शीतलीकरण, पकाने, वैक्सिंग, खुदरा पैकिंग, लेबलिंग के रूप में सेवाएँ, जो उक्त फल या सब्जियों के मौलिक लक्षणों को परिवर्तित या बदलती नहीं हैं।</p> <p>कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र द्वारा शीत श्रृंखला ज्ञान प्रसार के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ।</p> <p>भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ।</p> <p>संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में संचालन हेतु मालवाहक वाहन को राष्ट्रीय अनुमति प्रदान करने के रूप में सेवाएँ।</p> <p>आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के रूप में सेवाएँ।</p> <p>मान्यता प्राप्त खेल निकाय (आरएसबी) को प्रदान की गई सेवाएँ — (क) किसी व्यक्ति द्वारा खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम प्रबंधक के रूप में आरएसबी द्वारा आयोजित खेल आयोजन में भागीदारी के लिए; (ख) किसी अन्य आरएसबी द्वारा।</p> <p>सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में स्नानघर, वाशरूम, शौचालय, मूत्रालय या टॉयलेट की सुविधाओं का प्रावधान।</p>



अपने ज्ञान का परीक्षण करें

1. छूट प्राप्त आपूर्ति का अर्थ है ऐसी किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य (निल रेट) होती है और जो पूर्णतः करमुक्त होती है, परन्तु इसमें गैर-करयोग्य आपूर्ति शामिल नहीं होती। उक्त कथन की वैधता पर चर्चा करें।
2. आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12 एबी के तहत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, यदि वे सेवाएँ परोपकारी गतिविधियों के रूप में प्रदान की जाती हैं, तो जीएसटी से मुक्त होती हैं। 'परोपकारी गतिविधियाँ' शब्द का विस्तृत अर्थ समझाएं।
3. निम्नलिखित में से कौन-सी स्वतंत्र सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं, इसका परीक्षण करें:
 - (a) चिकित्सकों के निर्देशानुसार अस्पताल द्वारा चलाई जा रही कैंटीन से भर्ती मरीजों को प्रदान किया गया भोजन।
 - (b) किसी आवासीय सोसाइटी का आरडब्ल्यूए, जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, प्रति सदस्य मासिक ₹6,500 रखरखाव शुल्क एकत्र करता है।
4. एक व्यक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फुटबॉल मैच में रेफरी के रूप में कार्य करता है। उसने एक स्थानीय खेल क्लब द्वारा आयोजित परोपकारी फुटबॉल मैच में भी एकमुश्त भुगतान के बदले रेफरी के रूप में कार्य किया। चर्चा करें कि उसके द्वारा किए गए इन कार्यों पर कोई जीएसटी देय है या नहीं।
5. आरएक्सएल प्रा. लि. 'फॉरएवर यंग' ब्रांड नाम से एक ब्यूटी साबुन का निर्माण करती है। आरएक्सएल प्रा. लि. ने अपने ब्रांड के प्रचार के लिए एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया। कंपनी की ब्रांड एंबेसडर, श्रीमती अहाना कपूर, जो एक प्रमुख फिल्म अभिनेत्री हैं, ने उक्त कॉन्सर्ट में अपनी सेवाओं के अंतर्गत एक शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन दिया। कॉन्सर्ट की आय ₹1,20,000 की राशि श्रीमती अहाना द्वारा एक परोपकारी संगठन को दान की जाएगी।
क्या श्रीमती अहाना कपूर को उक्त कॉन्सर्ट में दी गई शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति के लिए कोई जीएसटी भुगतान करनी होगी, इसका परीक्षण करें।
6. निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा आपूर्ति पर जीएसटी की छूट है या नहीं, इसका परीक्षण करें:
 - (i) एक निजी परिवहन ऑपरेटर द्वारा स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल को छात्रों के स्कूल आने-जाने के लिए प्रदान की गई सेवा।

- (ii) किसी शॉपिंग मॉल में आम जनता को वाहन पार्किंग के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ।
7. एक राज्य परिवहन उपक्रम ने फास्ट कैब रेंटिंग, जो एक मोटर वाहन किराए पर देने वाली कंपनी है, से 8-10 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहन किराए पर लिए हैं। इस मामले में क्या कोई जीएसटी देय होगा, इस पर अपनी टिप्पणी दें।
 8. इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, एक शैक्षिक संस्था, ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों (जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करते हैं) के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की और आवेदकों से प्रवेश शुल्क लिया। निर्धारित करें कि क्या इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज इस पर जीएसटी देय है या नहीं।
 9. बाबलू ट्रांसपोर्टर्स, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ने केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को दिल्ली से एर्नाकुलम तक सड़क मार्ग द्वारा एक कंपनी के लिए परिवहन किया। बाबलू ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि उक्त सेवाओं पर जीएसटी देय नहीं है क्योंकि ये सेवाएँ छूट प्राप्त हैं। आप उन्हें इस विषय में सलाह दें।
 10. कीयन एंटरप्राइजेज़, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ने मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत न्यू दिल्ली में ब्रेथिंग वॉल लिमिटेड के लिए व्यवसायिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कीयन एंटरप्राइजेज़ का दावा है कि व्यवसायिक प्रदर्शनी के आयोजन से संबंधित सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं, अतः उसे जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। दी गई स्थिति में कीयन एंटरप्राइजेज़ के दावे की तकनीकी सत्यता की जांच करें।
 11. एसटी लिमिटेड ने दिल्ली के तितु ट्रांसपोर्टर्स (एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी) को केंद्रीय और पश्चिमी दिल्ली में माल ढुलाई के लिए 5 ट्रक किराए पर दिए हैं। ट्रक के लिए किराए की राशि ₹7,500 प्रति ट्रक प्रति दिन है। दिए गए मामले में यह जांचें कि क्या जीएसटी देय है।



उत्तर

1. उक्त कथन विधि के दृष्टिकोण से पूर्णतः मान्य नहीं है। भाग 2(47) के अनुसार, छूट प्राप्त आपूर्ति से आशय है ऐसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति जो शून्य कर दर पर हो या पूरी तरह करमुक्त हो तथा इसमें गैर-करयोग्य आपूर्ति भी सम्मिलित है।

2. 'परोपकारी गतिविधियाँ' से तात्पर्य उन गतिविधियों से संबंधित है जो-

(i) सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से-

(क) देखभाल या परामर्श प्रदान करने की

(I) अत्येष्टि अवस्था में स्थित रोगियों या गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की;

(II) एचआईवी या एड्स से ग्रसित व्यक्तियों की;

(III) नशीली दवाओं या शराब जैसे निर्भरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के आदी व्यक्तियों की; या

(ख) रोग निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के प्रति जनजागरूकता;

(ii) धर्म, आध्यात्म या योग के विकास से संबंधित गतिविधियाँ;

(iii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों/कौशल विकास के प्रचार-प्रसार से संबंधित गतिविधियाँ-

(क) परित्यक्त, अनाथ या बेघर बच्चों से संबंधित;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार या आघातग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित;

(ग) बंदियों से संबंधित; या

(घ) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों;

(iv) पर्यावरण का संरक्षण, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र, वन एवं वन्यजीव शामिल हैं।

3. (क) स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत, किसी चिकित्सकीय संस्थान, अधिकृत चिकित्सक या पैरा-मेडिकल्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं। डॉक्टर/पोषण विशेषज्ञों के निर्देशानुसार अस्पताल की कैटिन द्वारा इन-पेशेंट्स को दिया गया भोजन स्वास्थ्य देखभाल की सम्मिश्रित आपूर्ति का हिस्सा है और स्वतंत्र रूप से कर योग्य नहीं है। अतः उक्त सेवाएँ जीएसटी से मुक्त मानी जाती हैं।

(ख) किसी आवासीय सोसायटी/आवासीय परिसर में अपने सदस्यों को सामान्य उपयोग के लिए सेवाएँ एवं वस्तुएँ प्रदान करने हेतु किसी आरडब्ल्यूए (अविविकसित निकाय या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था) द्वारा अपने सदस्यों से प्रति सदस्य मासिक ₹7,500 तक के शुल्क या अंशदान की वसूली पर जीएसटी से छूट प्राप्त है। अतः, दिए गए मामले में आरडब्ल्यूए द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं क्योंकि प्रति सदस्य मासिक रखरखाव शुल्क ₹7,500 से अधिक नहीं है।

4. किसी मान्यता प्राप्त खेल संस्था द्वारा आयोजित खेल आयोजन में रेफरी के रूप में एक व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संस्था को प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

चूँकि प्रथम मामले में फुटबॉल मैच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है, जो एक मान्यता प्राप्त खेल संस्था है, अतः उक्त फुटबॉल मैच में रेफरी के रूप में व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त होंगी।

हालाँकि, जब वह स्थानीय खेल क्लब द्वारा आयोजित चैरिटी फुटबॉल मैच में रेफरी के रूप में कार्य करता है, तो वह उपर्युक्त छूट का अधिकारी नहीं होगा क्योंकि स्थानीय खेल क्लब मान्यता प्राप्त खेल संस्था नहीं है। अतः इस मामले में जीएसटी देय होगा।

5. लोक या शास्त्रीय कला रूपों में कलाकार द्वारा (i) संगीत, या (ii) नृत्य, या (iii) नाटक के माध्यम से प्रदर्शित सेवा, यदि ऐसी प्रस्तुति के लिए लिया गया मुआवजा ₹1,50,000 से अधिक नहीं है, तो जीएसटी से मुक्त होती है। हालाँकि, ऐसी छूट उस सेवा पर लागू नहीं होती जो उक्त कलाकार ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदान करता है।

चूँकि सुश्री अहाना कपूर 'फॉरएवर यंग' साबुन की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आरएक्सएल प्रा. लि. द्वारा निर्मित है, अतः आरएक्सएल प्रा. लि. द्वारा अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सम्मेलन में उनके द्वारा दी गई शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ उपर्युक्त छूट के अंतर्गत नहीं आएंगी और इसलिए उस पर जीएसटी देय होगा। यह तथ्य कि सम्मेलन की आय सुश्री अहाना द्वारा किसी चैरिटेबल संस्था को दान की जाएगी, उपर्युक्त छूट की पात्रता या अपात्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

6. (i) हाँ। किसी शैक्षणिक संस्था को छात्रों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

(ii) नहीं। सामान्य जनता को वाहन पार्किंग की सेवा जीएसटी से मुक्त नहीं है। अतः इस सेवा पर जीएसटी देय होगा।

7. किसी राज्य परिवहन उपक्रम को, जिन मोटर वाहनों में 12 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है, किराए पर देने की सेवा जीएसटी से मुक्त होती है।

चूँकि फास्ट कैब रेंटिंग द्वारा राज्य परिवहन उपक्रम को किराए पर दिए गए मोटर वाहन 8-10 यात्रियों को ले जाने के लिए हैं, अतः वे छूट के लिए पात्र नहीं होंगे और इस प्रकार, जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य होंगे।

8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध प्रवेश परीक्षा के आयोजन के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त होती हैं।

चूंकि प्रदत्त मामले में इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज - जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है - द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध प्रवेश परीक्षा के आयोजन के रूप में हैं, अतः उक्त सेवाएँ छूटप्राप्त हैं और इस प्रकार, इस मामले में जीएसटी देय नहीं है।

9. वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं, विपत्तियों आदि के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के वस्तु वाहन में परिवहन की सेवा जीएसटी से मुक्त होती है। अतः बबलू ट्रांसपोर्टर्स द्वारा प्रदत्त सेवाएँ जीएसटी से मुक्त होंगी।


10. नहीं, कीयन एंटरप्राइजेज़ द्वारा किया गया यह दावा कि उसे जीएसटी नहीं देना है, सही नहीं है। किसी आयोजक द्वारा किसी व्यक्ति को व्यवसाय प्रदर्शनी से संबंधित प्रदान की गई सेवाएँ केवल तभी जीएसटी से मुक्त होती हैं जब वह व्यवसाय प्रदर्शनी भारत के बाहर आयोजित की जाए।

हालांकि, चूंकि प्रस्तुत मामले में प्रदर्शनी भारत में आयोजित की जा रही है, अतः कीयन एंटरप्राइजेज़ द्वारा आयोजन सेवाएँ जीएसटी से मुक्त नहीं होंगी।

11. ट्रकों को तितु ट्रांसपोर्टर्स को किराए पर देने की सेवा पर जीएसटी देय नहीं होगा क्योंकि वस्तु परिवहन एजेंसी को, वस्तुओं के परिवहन के साधन किराए पर देने की सेवा जीएसटी से मुक्त है।



CROSSWORD



अड़ी

2. व्यवसाय संवर्धक द्वारा किसी बीमा कंपनी को _____ क्षेत्र में प्रदत्त सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
4. मूल कार्यों से संबंधित _____ निवासीय इकाई के शुद्ध श्रम द्वारा निर्माण अनुबंध की सेवाएँ, जब वे निवासीय परिसर के भाग के रूप में न हों, जीएसटी से मुक्त हैं।
6. किसी अधिसूचना/आदेश के दायरे या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से _____ वर्ष के भीतर डाली गई व्याख्या को पूर्वाभास प्रभाव प्राप्त होगा।
7. ऋण, अग्रिम या जमा पर ब्याज के अतिरिक्त बैंक द्वारा एकत्र की गई कोई भी _____ जीएसटी से मुक्त नहीं है।
10. सामानों के परिवहन के माध्यम से _____ एजेंसी की सेवाएँ जीएसटी के अंतर्गत देय हैं।
12. _____ विभाग द्वारा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और सामान्य डाक के माध्यम से प्रदत्त सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
13. स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रति दिन _____ हजार रुपये तक के कमरे के शुल्क पर कमरा प्रदान करने के रूप में नैदानिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
14. किसी स्थानीय प्राधिकरण को किराए पर दिए जाने वाले ऐसे _____, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अभिप्रेत हो, की सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं। (संक्षिप्त रूप)

नीचे

1. रेलवे द्वारा _____ श्रेणी में यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी देय है।
2. किसी व्यक्ति द्वारा किसी _____ समारोह के आयोजन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
3. किसी _____ उद्यम के स्थानांतरण के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
5. आसाम से मणिपुर तक हवाई मार्ग द्वारा _____ श्रेणी में यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी देय है।
7. आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 12एए या 12एबी के तहत पंजीकृत इकाई द्वारा _____ गतिविधियों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।

8. किसी _____ में प्रवेश के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी से मुक्त हैं।
9. _____ भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है।
11. किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय को _____ शैक्षिक जर्नल या पत्रिकाओं की आपूर्ति जीएसटी से मुक्त नहीं है।

इस अध्याय के क्विज़ टाइम और क्रॉसवर्ड पहली में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए निम्न क्यूआर कोड स्कैन करें।



कोड स्कैन करें।

वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन

वित्त अधिनियम, 2025 दिनांक 29.03.2025 से प्रभावी हो गया है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम में किए गए अधिकांश संशोधन केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से ही प्रभावी होंगे। 30.04.2025 तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए, मई 2026, सितंबर 2026 और/या जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए इन संशोधनों की लागूअवस्था के संबंध में जानकारी आईसीएआई द्वारा एक घोषणा के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

नीचे दी गई तालिका में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 2(69) के वर्तमान प्रावधानों की तुलना वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधानों से की गई है।

जैसे ही आईसीएआई द्वारा परीक्षा(ओं) के लिए इन संशोधनों के लागू होने की घोषणा की जाएगी, छात्र यहाँ दिए गए संशोधित प्रावधानों को अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों की जगह पढ़ें।

खंड संख्या	मौजूदा प्रावधान	वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान	अवलोकन
2 (69)	<p>स्थानीय प्राधिकारी: अर्थात् —</p> <p>(क) संविधान के अनुच्छेद 243 की खंड (डी) में परिभाषित "पंचायत"।</p> <p>(ख) संविधान के अनुच्छेद 243 पी की खंड (ई) में परिभाषित "नगर पालिका"।</p>	<p>स्थानीय प्राधिकारी: अर्थात् —</p> <p>(क) संविधान के अनुच्छेद 243 की खंड (डी) में परिभाषित "पंचायत"।</p> <p>(ख) संविधान के अनुच्छेद 243P की उपखंड (ई) में परिभाषित "नगर पालिका"।</p> <p>(ग) नगरपालिका समिति, जिला परिषद, जिला बोर्ड, और कोई अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि के नियंत्रण</p>	<p>भाग 2 के उप-खंड (69) की उप-खंड (ग) में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है ताकि " नगर पालिका या स्थानीय कोष " शब्दों के स्थान पर " नगर निगम कोष या स्थानीय कोष " शब्दों का प्रयोग किया जा सके और उक्त उप-खंड के बाद एक व्याख्या जोड़ी जा सके,</p>

	<p>(ग) नगरपालिका समिति, जिला परिषद, जिला बोर्ड, तथा कोई अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो या जिसे सौंपा गया हो।</p> <p>(घ) कैंटोनमेंट बोर्ड: कैंटोनमेंट अधिनियम, 2006 के भाग 3 में परिभाषित।</p> <p>(ङ) क्षेत्रीय परिषद या संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित जिला परिषद।</p>	<p>या प्रबंधन के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हो या जिसे सौंपा गया हो।</p> <p>व्याख्या- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए-</p> <p>(i) "स्थानीय निधि" का अर्थ है ऐसा कोई भी निधि जो स्थानीय स्वशासन के उस प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन में हो, जो पंचायत क्षेत्र से संबंधित नगर कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित किया गया हो और जिसे कानून द्वारा किसी भी नाम से कहे जाने वाले कर, शुल्क, टोल, सेस या शुल्क लगाने, एकत्र करने एवं आबंटित करने के अधिकार सौंपे गए हों।</p> <p>(ii) "नगरपालिका निधि" का अर्थ है ऐसा कोई भी निधि जो स्थानीय स्वशासन के उस प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन में हो, जो महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित नगर कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित किया गया हो और जिसे कानून द्वारा किसी भी नाम से कहे जाने वाले कर, शुल्क, टोल, सेस या शुल्क लगाने, एकत्र करने एवं आबंटित करने के अधिकार सौंपे गए हों।</p>	<p>जिसमें "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा में प्रयुक्त "स्थानीय कोष" एवं "नगरपालिका कोष" शब्दों की परिभाषा प्रदान की जा सके, जिससे उक्त शब्दों के दायरे को स्पष्ट किया जा सके।</p>
--	--	---	---

	<p>(च) संविधान के अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371जे के तहत गठित विकास बोर्ड।</p> <p>(छ) संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत गठित क्षेत्रीय परिषद।</p>	<p>(क) कैंटोनमेंट अधिनियम, 2006 की भाग 3 में परिभाषित कैंटोनमेंट बोर्ड।</p> <p>(ख) संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद।</p> <p>(ग) संविधान के अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371जे के तहत गठित विकास बोर्ड।</p> <p>(घ) संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत गठित क्षेत्रीय परिषद।</p>	
--	--	---	--